खण्ड-199, अंक-9
सोमवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1880
(8 दिसम्बर, 1958 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 199 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

---

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह, विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगुलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री,
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण, शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंहचौधरी, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी महरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेश प्रकाशसिंह, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### राज्य में खाद्यान्न का व्यापार

**१--सर्वश्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल), गेंदा सिंह (जिला देवरिया), तथा जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका विचार प्रदेश के खाद्यान्न के व्यापार को अपने हाथ में लेने का है ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--यह विषय अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । राज्य सरकार इस पर भारत सरकार के आदेश प्राप्त होने पर विचार करेगी ।

**२--सर्वश्री नारायणदत्त तिवारी, गेंदा सिंह, तथा जगदीशशरण अग्रवाल--क्या सरकार ने खुले बाजार से चावल खरीदने का निश्चय किया ह ? यदि हां, तो कितना और किस भाव पर ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--चावल की खरीदारी का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

**३--सर्वश्री नारायणदत्त तिवारी, गेंदा सिंह, तथा जगदीशशरण अग्रवाल---क्या सरकार खाद्यान्नों-सम्बन्धी एवं मूल्य-स्थिरीकरण सम्बन्धी अपनी वर्तमान नीति की सूचना सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सरकार की वर्तमान नीति यथासंभव खाद्यान्नों के बढ़ते हुये भावों को रोकना तथा पर्याप्त मात्रा में उचित भावों पर उनको उपलब्ध कराना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये प्रश्न परसों के लिये थे और उस वक्त तक हमारे पास सूचना पहुंची नहीं थी इसलिये उत्तर दे दिया गया । अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वर्तमान परिस्थिति को भी आपको सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष--जी हां, लेकिन जो उत्तर आप दें उसकी नकल मेरे पास भेज दीजियेगा ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जरूर ।

श्री अध्यक्ष--किस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--दूसरे प्रश्न का । गवर्नमेंट आफ इंडिया ने चावल के दाम फिक्स कर दिये हैं । सेकेंड ग्रेड अरवा चावल के १८.७५ रुपये प्रति मन, सेला ग्रेड २ चावल १८.२५ रुपये प्रति मन, ग्रेड २--अरवा चावल १९.७५ रुपये प्रति मन, सेला ग्रेड २ चावल १९.२५ रुपये प्रति मन, अरवा ग्रेड ३ चावल १६.७५ रुपयें प्रति मन, सेला ग्रेड ३ चावल १६.२५ रुपये प्रति मन, ग्रेड ४ अरवा १५ रुपये प्रति मन और सेला १४.५० रुपये प्रति मन ।

श्री अध्यक्ष--तो इस भाव पर प्रान्तीय सरकार खरीदने वाली है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने खुले बाजार से खरीदने का निश्चय कर लिया है ? इसका उत्तर पहले आप बताइये ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--विभिन्न ग्रेड्स जो कीमत की मैंने बतायी है उन दामों पर २३ सरप्लस जिलों से प्रान्तीय सरकार खरीदेगी ।

श्री अध्यक्ष--तो यह उत्तर आप मेरे पास भेज दीजियेगा ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बहुत अच्छा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने यह भी तय कर लिया है कि कितना चावल और कितना धान वह खरीदेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस वक्त डेढ़ लाख टन के करीब चावल खरीदेगी ।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने चावल और धान दोनों का प्रश्न पूछा है । तो आप कृपा कर पैडी का भी बताइये ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पैडी कुछ नहीं, अभी राइस का ही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश दिया है जिससे गेहूं के दाम भी तय कर दिये हैं जो कि आज के समाचार-पत्रों में छपा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सूचना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार ने जो मूल्य निश्चित किया है उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि उसमें किसानों को भी मुनाफा हो ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, इन सब बातों को सोचा और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तो बहुत ज्यादा इस पर सोचा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने निश्चय कर लिया है कि अगली फसल के खाद्यान्नों के भाव अभी से घोषित कर दिये जांय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस पर निश्चयपूर्वक मैं नहीं कह सकता। यदि नोटिस दिया जायगा तो विचार कर कह सकता हूं ।

श्री गेंदासिंह--खरीदारी का काम कब से शुरू हो जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तुरन्त लागू किया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खरीदने की एजेन्सी कौन होगी ? होलसेल ट्रेडर्स को लायसेन्स देकर खरीदा जायगा या गवर्नमेंट परचेज़ करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह राइस मिलों से भी लेंगे और होलसेल ट्रेडर्स की एजेन्सी से भी लेंगे ।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार को मालम है कि थोड़े दिन हुये बताया गया था कि एक मन धान पैदा करने के लिये सरकारी फार्म पर १३ रुपये खर्च होते हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सरकारी फार्मों पर कितना पैदा होता है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बतायेगी कि जब कुल चावल का स्टाक वह नहीं खरीद सकती है तो जो अन्य व्यापारी खरीदेंगे उसका उचित मूल्य किसानों को मिले इसके लिये वह कुछ प्रबंध करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अगर आपका तात्पर्य पैडी से है तो यह डिमांड और सप्लाई की बात ह ।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या सरकार बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार न कीमत तय करते समय प्रदेशीय सरकार से भी मश्विरा किया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां, हम से भी बात हुई थी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मुख्य मंत्री तथा अन्न मंत्री जी केन्द्रीय सरकार की जो होलसेल ट्रेडिंग की नीति है उस संबंध में प्रदेश की नीति को स्पष्ट करेंग ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, होलसेल ट्रेडिंग का निश्चय नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में हुआ था, उसमें मैं भी मौजूद था, इसलिये मैं भी इसके सिद्धान्त से सहमत हूं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार ने इस नीति पर विचार करते हुये इस बात का पता लगाया है कि विभिन्न खाद्यान्नों का कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सरकार ने किया होगा लेकिन मेरे पास इसकी सूचना नहीं है । यदि आप नोटिस देंगे तो मालम कर लूंगा ।

श्री शिवराज सिंह यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने जो मशविरा चावल की दर के बाबत दिया था वह दर इससे कम थी या ज्यादा थीं जो घोषित की गई हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यही थीं ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार कोआपरेटिव सोसायटीज के जरिये चावल की खरीदारी करेगी ? यदि हां, तो उसको एक्टिव बनाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही ह ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं परसों कह चुका हूं कि इस बात की चेष्टा की जायगी कि मारकेटिंग सोसायटीज के जरिये खरीदारी की जाय ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को पैडी के निम्नतम दाम निर्धारित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---दामों का निर्धारित करना हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट आफ इंडिया के हाथ में है ।

## नोटिफाइड एरिया करनैलगंज, जिला गोंडा को नगरपालिका में परिणत करने पर विचार

**४--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या स्वशासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नोटीफाइड एरिया करनैलगंज (गोंडा) विधिवत नगरपालिका घोषित हो चुकी है ? यदि हां, तो नगरपालिका करनैलगंज में कब तक चुनाव होने की संभावना है ?

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)--नोटीफाइड एरिया करनैलगंज अभी नगरपालिका घोषित नहीं की गई है।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि करनैलगंज नोटीफाइड एरिया को नगरपालिका में परिणत करना शासन के विचाराधीन है ?

श्री राम स्वरूप यादव--विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी। घोषणा करना जन, १९५९ के बाद के लिए स्थगित कर दिया गया है।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल--कब तक सम्बन्धित घोषणा होने की सम्भावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने निवेदन किया जून, १९५९ के बाद घोषणा की जायगी।

## नगर निगम चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी

**५--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगर निगम के चुनाव कराने के लिये चुनाव अधिकारियों को कोई आदेश सरकार की ओर से भेजे गये हैं ? यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं और कब तक चुनाव हो जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। दूसरे भाग में जो प्रश्न हैं वे नहीं उठते।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि अभी स्वशासन मंत्री जी वहां पधारे थे और उन्होंने यह साफ शब्दों में कहा था कि नगरनिगम की स्थापना अप्रैल तक हो जायगी और उसके लिए आदेश अधिकारियों को दे दिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--क्या मंत्री जी ने कहा था, इसकामुझे स्मरण नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि विधेयक ही हमारा परिषद् के विचाराधीन है। विधेयक पारित हो जाने के बाद सरकार की यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा दिया जाय। उसके हम लिए तैयार हैं जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, लेकिन आदेश तभी भेजे जा सकते हैं जब विधेयक पारित हो जाय और गवर्नर महोदय द्वारा स्वीकृत हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस समय की स्थिति को देख कर कोई अन्दाजिया तारीख बताने की कृपा करेंगे कि कब तक चुनाव हो सकेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकार का इरादा है कि यदि विधेयक पारित हो जायगा अप्रैल-मई में चुनाव करा दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कारपोरेशन बिल के अधिनियम बनने की कब तक सम्भावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--अधिनियम तो विधेयक पारित होने के बाद ही बनेगा।

## देहाती क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानों पर गेहूं न मिलना

**६--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर केवल बाजरा ही दे का आदेश जिलाधिकारियों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या खाद्य मंत्री पुनः विचार करके बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि कुछ शहरों को छोड़ कर देहाती क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकानों पर बाजरा ही देने का आदेश है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पूर्वी जिलों में नहीं बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश के अन्दर देहाती क्षेत्रों की फेयर प्राइस शाप्स में गेहूं नहीं दिया जा रहा है बल्कि मोटा अनाज दिया जा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोटे अनाज में कौन-कौन गल्ला दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बाजरा भी है, मेलो भी है ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानों पर गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उसका कारण यह है कि खरीफ की फसल आ चुकी है और गेहूं दो सेर दस छटांक का है । वह गरीब हैं, उनको सवा तीन सेर का कोर्स ग्रेन ले में ज्यादा फायदा ह । इसलिए दिया गया ह ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)-- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाजरे से भी कोई मोटा अनाज जौ या चना वगैरह भी दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बाजरे के अन्दर जौ और चना नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चना दिया जाता है और वह भी शहरों में ।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि किसी दहाती क्षेत्र से ऐसी मांग आई थी कि उनको गेहूं न दिया जाय, बाजरा और मोटा अनाज ही दिया जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ग्रामीणों से तो कोई नहीं आई मगर जो शहरों के लोग हैं व अखबारों में लिखते रहते हैं और उनकी जरूर मांग आती रहती है ।

## विधायकों से मिलने तथा पत्रव्यवहार के सम्बन्ध में अधिकारियों को आदेश

**७--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर सन् ५८ में जिला अधिकारियों को विधायकों से मिलने, उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों तथा अन्य व्यावहारिक विषयों के बारे में कोई हिदायत सरकार द्वारा भेजी गई है ?

**८--यदि हां, तो क्या इस आदेश की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कुछ आदेश भेजे गये थे परन्तु गोपनीय होने के कारण उनकी प्रति मेज पर रखना सम्भव नहीं है ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इसका पता है कि जानकारी रहने से विधायकों को सुविधा रहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो आदेश जाते हैं उनके शब्दों का उनको पता नहीं होगा परन्तु इतना मैं कह सकता हूं कि उनमें जरूर यह बात लिखी गई है कि विधायकों के साथ जो चिट्ठी-पत्री हो उसमें उनके साथ सौजन्यता का व्यवहार हो और जो विधायकों की इच्छा हो उसकी पूर्ति यथासम्भव होनी चाहिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आदेश की गोपनीयता का कारण यह है कि वह विधायकों के विरुद्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि विधायकों के साथ सौजन्यता का व्यवहार करना ही विरुद्ध है तो वह जरूर विरुद्ध होगा ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मेहरबानी करके उन विधायकों को उन आदेशों को दिखाने की कृपा करेंगे जो जिलाधीशों को दिये गये हैं ताकि वे विधायक उन आदेशों के मुताबिक कार्य कर सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस प्रश्न का मैं ठीक आशय तो नहीं समझा लेकिन विधायकों से मतलब सभी विधायकों के सम्बन्ध में है । जैसा मैंने निवेदन किया कि माननीय विधायकों की तरफ से यदि कोई चिट्ठी पत्री जाय तो उसका यथासम्भव जल्दी उत्तर देना चाहिये और जो बात वह जानना चाहते हों उनकी यथासम्भव उनको जानकारी करानी चाहिये । उनकी जो इच्छा हो यथासम्भव उसको पूरा होना चाहिये । इतना ही मैं इस समय बतला सकता हूं ।

## तारांकित प्रश्न

[ गृह मंत्री द्वारा स्थगित ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न ]

* * *

*२९---रघुबीर राम (जिला गाजीपुर)---[नवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

### हरिजन पाठशालाओं के अध्यापकों का ग्रेड

*३०---श्री रामशरण यादव---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या हरिजन पाठशालाओं के अध्यापकों को १ अप्रैल, १९५८ से लागू अन्य राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों का ग्रेड दिया गया है ?

गृह मन्त्री के सभासचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---हरिजन पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन १ अप्रैल, १९५८ से स्थानीय निकायों के अध्यापकों के बराबर कर दिया गया है ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि हरिजन पाठशालाओं को शिक्षा विभाग में मर्ज किया जा रहा है ?

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मर्ज करने का प्रश्न नहीं है । हरिजन पाठशालायें चल रही हैं और अब हरिजन कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग एक साथ है ।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि हरिजनों की तरफ से यह मांग आयी है कि हरिजन पाठशालायें अलग न रखी जांय और शिक्षा विभाग में ही ये मिला दी जांय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी मुझे ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र देखने को नहीं मिला ।

श्री गेंदासिंह---जिस ग्रेड का इसमें जिक्र है, उसमें कितनी वृद्धि साधारण पाठशालाओं से हरिजन पाठशालाओं में की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दोनों को बराबर कर दिया गया है। स्थानीय निकायों के अध्यापक प्राइमरी के जो अनट्रेन्ड हैं वे ३६ पया पाते हैं और जो ट्रेन्ड हैं वे ४१ पाते हैं। इसके साथ मंहगाई का भत्ता है। यही उनको कर दिया गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि उनके पास ही शिक्षा तथा हरिजन कल्याण विभाग है, राजकीय विद्यालयों तथा हरिजन पाठशालाओं को हर बात में समान रखेंगे ?

*श्री कमलापति त्रिपाठी—सुझाव तो अच्छा है। अवश्य विचार करेंगे।

* * * *

## इटावा जिले में हरिजन सहायक विभाग द्वारा व्यय

*३७—श्री भजन लाल (जिला इटावा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के हरिजन सहायक विभाग ने वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितना रुपया हरिजन, पिछड़ी जातियों, पिछड़ी मुसलमान ट्राइब्स व जातियों के विकास में अलग-अलग मद में खर्च किया ? उसमें कितना रुपया हरिजन सहायक अफसर, सुपरवाइजर, क्लर्क, चपरासी के अलग-अलग वेतन, भत्ता तथा कार्यालय किराया, स्टेशनरी में खर्च हुआ ?

श्री इस्तफा हुसैन— सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८७८ पर)

श्री भजन लाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्ग और पिछड़े हुए मुसलमानों और विमोचित जातियों के लिये कुएं बनाने तथा आवास के हेड में, सिर्फ २१० रुपया विमोचित जाति के लिये ही स्वीकार किया गया है या खर्च किया गया है और इस बात को देखते हुए क्या सरकार इन व्यवस्थाओं के लिये अधिक रुपया देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— पया तो आवश्यकता के अनुसार और सरकारी कोष जितनी अनुमति देता है, उतना दिया जाता है। मांग होगी, जरूरत होगी और कोष से देना संभव होगा तो अवश्य दिया जायगा।

श्री भजन लाल—क्या यह सही है कि जिला इटावा से पिछड़े वर्ग की ओर से दरख्वास्तें अधिक दी गयी हैं लेकिन उनके कुएं बनाने के लिये एक रुपया भी मंजूर नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इस बात का पता नहीं है कि बहुत सी दरख्वास्तें आयी हैं। यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो मैं जांच करा दूंगा।

* * * *

*६४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित बारहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

* * * *

## कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड में हरिजन विद्यार्थियों के लिए जमा धन

*७१—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित) (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के शिक्षा विभाग में हरिजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति तथा पुस्तक सहायता आदि का कितना धन और किन वर्षों का बिना वितरण के जमा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल १९५७-५८ का १२० रु०।

*७२—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह धन अब तक क्यों वितरित नहीं किया गया तथा भविष्य में शीघ्र वितरण की क्या व्यवस्था की जावेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिन विद्यार्थियों को यह धनराशि स्वीकृत थी वे स्कूल छोड़ कर चले गये।

* * * *

## हरिजन सहायक उपसमिति, जिला बलिया

*७५—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले में परिगणित जातीय छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु जिलास्तर पर किसी समिति का निर्माण हुआ है ?

श्री इस्तफा हुसैन—बलिया जिले में जिला स्तर पर जिला हरिजन सहायक उप समिति का निर्माण हुआ है। यह उप समिति केवल छात्रवृत्ति वितरण पर ही नहीं बल्कि हरिजन सम्बन्धी अन्य विषयों पर भी विचार करती है।

*७६—श्री जगन्नाथ चौधरी—यदि हां, तो उक्त कमेटी का निर्माण कब और किन नियमों के अन्तर्गत हुआ है ?

श्री इस्तफा हुसैन—उक्त कमेटी का पुनः निर्माण १९५६ में शासन द्वारा शासकीय आदेश संख्या २६७०/छब्बीस—८३४-१९५५, दिनांक २२ सितम्बर, १९५६ द्वारा हुआ।

*७७—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कमेटी के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—उक्त कमेटी के सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

१—अध्यक्ष, जिला बोर्ड
२—अधीक्षक, पुलिस विभाग
३—जिला सहकारी अधिकारी
४—जिला विद्यालय निरीक्षक
५—श्री पूर्णमासी राम
६—श्री राम रतन, एम० एल० ए०
७—श्री श्याम बिहारी
८—श्री रघुवीर राम
९—श्री बहोरन राम
१०—श्री स्वरूप दास
११—श्री जुगुल डोम
१२—श्री फजलुर रहमान अन्सारी
१३—श्री हकीम मुजीवुररहमान अन्सारी
१४—जिला नियोजन अधिकारी
१५—जिला हरिजन कल्याण अधिकारी

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि २२ सितम्बर, सन् १९५६ से अब तक हरिजन सहायक उपसमिति की कितनी मीटिंगें हुई हैं और कब-कब हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी कोई सूचना सचिवालय में उपलब्ध नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—छात्रवृत्ति किन-किन आधारों पर दी जाती है और उसके वितरण के संबंध में मंत्री जी को कोई शिकायत मिली है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बलिया की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई। मुमकिन है कि आई हो। आधार तो स्पष्ट है कि हरिजनों की फीस माफ रहती ही है और गरीब लड़कों को किताब वगैरह खरीदने के लिये और पढ़ने के साधनों के लिये छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किन-किन हरिजन समस्याओं पर हरिजन कमेटी ने निर्णय लिये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना चाहिये ।

श्री गौरीशंकर राय---इस समिति के सदस्यों के रखने का आधार क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हरिजन कार्यकर्त्ता होना, सामाजिक हरिजनों के प्रतिनिधि होना, शिक्षा विभाग का अधिकारी हो, इस तरह से मिला कर वह समिति बनाई जाती है । अब तो जब से प्लानिंग कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक हो गये हैं तब से यह अन्तरिम जिला परिषद् के जिम्मे कर दी गई है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या शिक्षा मंत्री जी को जानकारी है कि बलिया की समिति के जितने भी नान-आफीशल लोग हैं वे सभी कांग्रेस पार्टी के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैं नहीं जानता, पर जैसा माननीय सदस्य कहते हैं सम्भव है कि ऐसा हो ।

श्री गौरीशंकर राय---छात्रवृत्ति के अतिरिक्त और कौन-कौन से विषयों पर इस समिति में विचार होता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हरिजनों के कुएं बनाने के सम्बन्ध में संस्तुति आती हैं, कहीं-कहीं मकानों के सम्बन्ध में आती हैं । इसी तरह के काम इसमें होते हैं ।

श्री रामशरण यादव---क्या इन हरिजन संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के एम० एल० एज० को भी सम्मिलित करने की मांग आई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

* * * *

## गोरखपुर जिले की हरिजन पाठशालाओं को चौथे त्रैमासिक का अनुदान न मिलना

*७९---श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, से सहायता प्राप्त किन-किन हरिजन पाठशालाओं को सन् १९५७-५८ के चतुर्थ क्वार्टर का अनुदान नहीं दिया गया है, और न देने का क्या कारण है ?

श्री इस्तफा हुसैन---जिला गोरखपुर के निम्नलिखित हरिजन पाठशालाओं को ४ थे त्रैमासिक का अनुदान १९५७-५८ में नहीं स्वीकृत हुआ :

१---हरिजन पाठशाला, ढोलबजवा
२--- ,, ,, सुरस देवरिया ।
३--- ,, ,, राजपुर ।
४--- ,, ,, मनिकौरा ।
५--- ,, ,, शाहाबाद ।
६--- ,, ,, बेलवार, बलेशर ।
७--- ,, ,, हनुमानगढ़ी ।
८--- ,, ,, बशरतपुर ।
९---हरिजन कन्या पाठशाला, बिछियां ।
१०--- ,, ,, अंधियारीबाग ।
११--- ,, ,, बहनाड़ ।
१२--- ,, ,, हमोयपुर ।
१३---हरिजन रात्रि पाठशाला, नौतनवां ।
१४--- ,, ,, पिपरसंडी ।

चौथे त्रैमासिक का अनुदान गत वर्ष, वार्षिक विवरण-पत्र समय से न प्राप्त होने के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका ।

श्री रामसूरत प्रसाद---क्या सरकार को ज्ञात है कि इन पाठशालाओं की स्थानीय संस्था के पास इन संस्थाओं के द्वारा वार्षिक अनुदान-पत्र भेज दिये गये थे लेकिन वे सरकार के पास नहीं भेजे गये ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जो रिपोर्ट अब मुझे मिली है उससे मालूम होता है कि इस समय केवल चार संस्थायें हैं जिनके अभी तक वार्षिक विवरण प्राप्त नहीं हुये हैं और अनुदान स्वीकृत नहीं किये जा सके । बाकी सबको मिल गया है ।

श्री रामसूरत प्रसाद---क्या सरकार इन चार संस्थाओं के अनुदान शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तीन त्रैमासिक अनुदान अग्रिम दिये जाते हैं । चौथा वार्षिक विवरण आने पर दिया जाता है ।

श्री केशव पांडेय---जिन संस्थाओं ने वार्षिक विवरण नहीं भेजा है उन पर क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनका अनुदान तो रुका ही रहता है और बार बार उनसे प्रार्थना की जाती है कि जल्दी भेज दें ।

* * *

## बलिया जिले में हरिजन कल्याण योजनायें

*८४---श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या गृह-मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन कल्याण के लिये बलिया जिले में कौन-कौन सी योजनायें चल रही हैं और उन्हें किस-किस प्रकार की सहायता दी जाती है ?

श्री इस्तफा हुसैन---बलिया जिले में हरिजन कल्याण विभाग की वे समस्त योजनायें चल रही हैं और उनके अन्तर्गत वह समस्त सहायता दी जाती है जिनका विस्तारपूर्वक विवरण हरिजन कल्याण की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिया हुआ है और इस सम्बन्ध में साहित्य व सूचना प्रति वर्ष सदन में रखी जाती है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो वितरित साहित्य हमें प्राप्त हुआ है उसमें लिखित बातें अधिकतर कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये जिले में कोई आदेश भेजने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यदि माननीय सदस्य इसकी ओर ध्यान आकर्षित करेंगे तो सरकार अवश्य करेगी ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी को मालूम है कि बलिया जिले में हरिजनों के आवास के लिये केवल एक वनहिता हरिजन कालोनी बनाने का कार्य शुरू हुआ जो पिछले चार साल से अधूरा है और उसका काम भी बन्द है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

* * *

## मिर्जापुर जिले में घरेलू धन्धों के लिए सहायता

*८८---श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक सरकार द्वारा जिला मिर्जापुर में इस वर्ष हरिजन एवं अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को कितना रुपया किन-किन घरेलू धन्धों (Cottage Industries) के लिये किस तिथि को दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८९--श्री रामकृष्ण जैसवार (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सरकार द्वारा दिये गये Cottage Industries के अनुदानों में दिये गये तिथि से अब तक कितने लोगों को वितरण किया जा चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

* * *

*९२-९३--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[नवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये । ]

* * *

*९५-९६--श्री दीन दयालु करुण (जिला गोंडा)--[नवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये । ]

* * *

## लखनऊ में हरिजन छात्रावास

*९८--श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि लखनऊ में कुल कितने हरिजन छात्रावास हैं और प्रत्येक छात्रावास में कुल कितने छात्र हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लखनऊ जिले में कुल तीन हरिजन छात्रावास हैं। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| १--हरिजन छात्रावास, पीली कोठी, ऐशबाग, लखनऊ | २६ छात्र । |
| २--हरिजन छात्रावास, मक्कागंज, लखनऊ | ३६ छात्रा । |
| ३--हरिजन छात्रावास, चांद गंज, लखनऊ | २६ छात्र । |

*९९--श्री सुखरामदास (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ छात्रावास में रहने के लिये हरिजन छात्रों से कोई शुल्क भी लिया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लखनऊ जिले के किसी भी हरिजन विभाग से अनुदानित छात्रावास में रहने के लिये किसी भी छात्र से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है ।

* * *

## नगरपालिका गौरा बरहज, जिला देवरिया में भंगी कालोनी बनाने की प्रार्थना

*१०८--श्री उग्रसेन--क्या सरकार के पास नगरपालिका गौरा बरहज, जिला देवरिया, के अन्तर्गत स्वीपर्स कालोनी के १०० घर बनाने का Plan और estimate हरिजन वेलफेयर अफसर, देवरिया के यहां से आया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

*१०९--श्री उग्रसेन--उक्त स्वीपर्स कालोनी के बनाने में कितना धन व्यय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अनुमानतः १,५६,००० रु० ।

*११०--श्री उग्रसेन--स्वीपर्स कालोनी बनाने का काम कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हरिजन सहायक विभाग के पास इस प्रकार की कालोनी बनाने की न तो कोई बजट में धनराशि है और न उसकी कोई योजना ही है । अतएव इस कालोनी पर कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन वेलफेयर आफिसर, देवरिया ने किसके आदेश से गौरा बरहज नगरपालिका के अन्तर्गत स्वीपर्स कालोनी के १०० घरों का प्लान बना कर भेजा है ?

श्री इस्तफा हुसैन---जी हां, हरिजन वेलफेयर अधिकारी के यहां गौरा बरहज नगर-पालिका के जरिये दरख्वास्त आयी थी लेकिन चूंकि यह काम हाउसिंग कमेटी के जरिये होता है और हाउसिंग कमेटी को जितनी कालोनी बनानी थी वह बना चुकी, इसलिये इसमें और ज्यादा धन नहीं दिया गया ।

* * *

*१२१---श्री द्वारिका प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)---[नवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

* * *

## इटावा जिले में हरिजनों को मकानों के लिए सहायता

*१३०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में १९५७-५८ में कितने मकानों के लिये हरिजनों को सहायता दी गई ?

श्री इस्तफा हुसैन---३३ मकानों के लिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ३३ मकानों के लिये कुल कितना रुपया दिया गया और आमतौर से जो रुपया दिया गया है उसका औसत फी मकान क्या था ?

श्री इस्तफा हुसैन---सन् १९५७-५८ में इटावा जिले में ३३ मकानों के लिये हरिजनों को जो सहायता दी गयी उनमें से ३२ मकानों को तो सुधार करने के लिये और एक मकान के नवनिर्माण के लिये सहायता दी गई । इन ३२ मकानों की मरम्मत के लिये ७६६ रु० १२ नय पैसे और एक नये मकान के लिये १,००० रु० की सहायता स्वीकृत की गयी है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने नये मकान बनाने के लिये और कितने मरम्मत के लिये प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री इस्तफा हुसैन---इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है, सूचना मिलने पर मंगा दूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये जो सहायता दी जाती है उसके लिये उन्होंने कोई नियम बनाया है ? अगर नियम है और वह प्रकाशित है तो क्या वे उस किताब को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---माननीय सदस्य मागेंगे तो इस सम्बन्ध में जो नियम होंगे वे बतला दिये जायेंगे ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता जो दी गई है वह व्यक्तिगत दी गई है या किसी सामूहिक मकान बनाने के लिये, जैसे पंचायत वगैरह के लिये भी दी गयी है ?

श्री इस्तफा हुसैन---मेरा खयाल ऐसा है कि आवास वाले मकानों की मरम्मत के लिये ही रुपया दिया गया है, केवल एक नया मकान बनाने के लिये व्यक्तिगत रूप से सहायता दी गई है ।

* * * *

## पिछड़ी जाति क विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

*१३१---श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह १९५८-५९ वर्ष में प्रदेश में बैकवड जाति के विद्यार्थियों को कितना धन स्कालरशिप में देने जा रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन---९,०९,००० रु०।

श्री भूप किशोर--यह स्कालरशिप जो दी जाती है वह बैकवर्ड क्लास की किन-किन जातियों के विद्यार्थियों को दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष--बैकवर्ड क्लास की लिस्ट मौजूद है, उससे मालूम हो जायगा ।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों को यह स्कालरशिप किसी विशेष योग्यता के आधार पर दी जाती है या आमतौर से दी जाती है ?

श्री इस्तफा हुसैन--योग्यता के आधार पर भी दी जाती है और गरीबी के आधार पर भी दी जाती है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--यह जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह कम से कम कितनी और अधिक से अधिक कितनी दी जाती है ?

श्री इस्तफा हुसैन--इस समय रुपये की तादाद बतलाना मुश्किल है, लेकिन हर क्लास के वास्ते अलग-अलग रकमें निर्धारित हैं ।

* * *

## शाहजहांपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का न होना

*१४४--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन कल्याण विभाग की ओर से शाहजहांपुर जिले में कितने Social Workers काम कर रहे हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--इस समय वहां कोई Social Worker काम नहीं कर रहा है ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतलायेगी कि अब तक शाहजहांपुर में सोशल वेलफेयर आफिसर भी थे, उनका दफ्तर भी था और इस विभाग की ओर से काम भी हो रहा था, फिर ये सब अब क्यों हटा लिये गये हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन--जो सोशल वर्कर्स शाहजहांपुर में नियुक्त हुए थे वे बगैर नोटिस दिये हुए काम छोड़ कर चले गये, इस वास्ते इनको हटा लिया ।

श्री देवनारायण भारतीय--सोशल वर्कर्स काम छोड़ कर चले गये तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के पास उनके अलावा और कोई सोशल वर्कर्स नहीं हैं जिसकी वजह से वहां वे नहीं भेजे गये या सरकार वहां भेजना नहीं चाहती ?

श्री इस्तफा हुसैन--शाहजहांपुर में सोशल वर्कर्स जरूर भेजे जायंगे । इस सम्बन्ध में जिलाधीश, शाहजहांपुर, से नाम मांगे गये हैं । ज्योंही नाम आ जायंगे उन पर विचार होगा और फिर सोशल वर्कर्स नियुक्त किये जायेंगे ।

श्री देवनारायण भारतीय--जिला शाहजहांपुर में सोशल वर्कर्स पर सरकार कितना रुपया खर्च करना चाहती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सोशल वेलफेयर के मातहत भी समाज कल्याण विभाग है, अगर माननीय सदस्य का मतलब उससे है तब तो मैं कुछ जानता नहीं लेकिन हरिजनों में काम करने के लिये सामाजिक कार्यकर्ता रखे जाते हैं उस विषय में निवेदन कर दिया कि वे शाहजहांपुर में इस समय नहीं हैं और वहां से नाम मंगाये गये हैं । यह प्रश्न विचाराधीन है । शीघ्र ही वहां वे नियुक्त किये जायंगे ।

[८ दिसम्बर, १९५८ के लिए रखे गये तारांकित प्रश्न]

## नैनीताल जिले में बेरीघाट बांध में खराबी की शिकायत

*१—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल जिले की गोला नदी के बेरीघाट बांध की सालाना मरम्मत अभी तक न होने के कारण हल्द्वानी तहसील के अनेक ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है ?

राजस्व मन्त्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—बेरीघाट बांध की सालाना मरम्मत मानसून (वर्षाऋतु) के आरम्भ के पहिले की जाती है और इस वर्ष १६ जून से २६ जून तक की गई थी। बैरीघाट बरसाती सुचारु रूप से चल रहे हैं।

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि हां, तो उस दुर्व्यवस्था के निराकरण हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री धर्मसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस १५ अगस्त को यह प्रश्न किया गया उस समय वहां पर यह बांध टूट गया था और वहां काश्तकारों को पानी नहीं मिला था ?

श्री धर्मसिंह—माननीय सदस्य ने जिस समय प्रश्न किया था उस समय वहां की क्या स्थिति थी यह देखना पड़ेगा। इसलिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—भविष्य में किसानों की इस तरह की परेशानी को देखते हुए क्या सरकार इस तरह का प्रबन्ध कर देगी कि वहां बार-बार नुकसान न होने पाये ?

श्री धर्मसिंह—जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, कार्य सुचारु रूप से होता रहा है, लिहाजा इसका कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—इस सदन के वर्तमान सत्र में नैनीताल जिले से शिकायतें आई कि वहां गूलों में पानी नहीं चल रहा है, क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी कि पानी चलता है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—जांच का प्रश्न नहीं है। जांच के तुरन्त उपरान्त ही उत्तर दिये जा रहे हैं।

## नैनीताल जिले में कलसा बांध का सर्वेक्षण

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नैनीताल जिले की कलसा नदी पर कलसा बांध के सर्वे आदि से सम्बन्धित कार्यवाही में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री धर्मसिंह—कलसा बांध योजना का सर्वेक्षण किया गया तथा लागत का अनुमान लगाया गया। इसकी लागत १ करोड़ रुपये के लगभग है जब कि इससे सिंचाई केवल २००० एकड़ भूमि की ही हो सकेगी। लागत बहुत अधिक होने के कारण इस योजना को कार्यान्वित करने का विचार छोड़ दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि जो व्यक्ति इस योजना के सर्वेक्षण हेतु गये थे वे केवल अधूरी टेक्निकल जानकारी रखने वाले और डैम के बारे में भी जानकारी न रखने वाले ओवरसियर थे इसलिये दुबारा सर्वेक्षण करायेगी ?

श्री चरणसिंह—कोई जरूरत सरकार इसलिये नहीं महसूस करती है कि अगर १,००,००,००० रु० के बजाय ८०,००,००० रु० या ६०,००,००० रु० खर्च हुआ तब भी यह योजना अनइकोनामिक रहेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यह सिफारिश की थी कि इसमें करीब २०,००० एकड़ जमीन को सींचने का पानी इकट्ठा हो सकता है और १,००,००,००० रु० से कम में यह योजना बन सकती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री चरणसिंह)---जी, इस वक्त ऐसा इल्म नहीं है। अगर २०,००० एकड़ जमीन आबपाशी हो सकती है और फंड्स गवर्नमेंट के पास हुए तो इसको कार्यान्वित करने की कोशिश की जायगी ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कलसा बांध योजना के सर्वेक्षण में कितना धन सरकार का खर्च हुआ है ?

श्री धर्म सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

थाना हजरतगंज, लखनऊ में श्रीमती पच्चो के भगाने की रिपोर्ट

*४---श्री बलवान्तसिंह (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना हजरतगंज, लखनऊ में दिनांक २८ जुलाई, १९५८ को किसी लड़की की भगाने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, श्री राम आसरे, चौराहा बटलर पैलेस निवासी ने थाने पर एक लिखित सूचना अपनी पुत्री श्रीमती पच्चो के भगाए जाने की दी और उसमें उन्होंने श्री मुहम्मद अली व श्री लतीफ पर शक प्रकट किया। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर ३६३/३६६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया। जांच होने पर लड़की की आयु २० साल से अधिक पाई गई। अतएव यह अपराध धारा ३६३/३६६ का न होकर धारा ४९८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत आता है जो गैरदस्तअंदाजी पुलिस है। इसलिये इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। लड़की अभी तक लापता है।

*५---श्री बलदाऊ सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार को इस बात का पता है कि जिन लोगों ने उक्त दिन लड़की को भगाया है वे लोग किसी गिरोह के हैं जो यही काम किया करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

*६-७---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[निर्माण मन्त्री से सम्बन्धित तेरहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८---श्री रूमीसिंह (जिला शाहजहांपुर)---[आयुक्त शासन मन्त्री से सम्बन्धित बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

डिप्टी सुपरिण्टेंडेंट पुलिस, कम्प्लेण्ट्स, जिला खीरी के पास शिकायतें

*९---श्री छेदीलाल (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में सन् १९५६ ई० व १९५७ ई० तथा जून सन् १९५८ तक जिला खीरी के डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस (कम्प्लेण्ट्स) के पास कितनी-कितनी शिकायतें किस-किस महकमे की आईं और उनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गयी और कितनी सच पाई गई ?

श्री इस्तफा हुसैन---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८७९ पर )

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९५६ में १८, १९५७ में २२ और १९५८ में ३१ शिकायतों की जांच नहीं की गई, तो मंत्री जी जांच न करने के कारणों पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन---जो शिकायतें आती हैं उनकी पहले छानबीन की जाती है और जिन दरख्वास्तों में कोई बात ऐसी नहीं पायी जाती है कि जिनकी जांच हो सके उनको छोड़ दिया जाता है बकिया की जांच की जाती है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन तीन वर्षों में जो १९० शिकायतों की जांच की जा चुकी है तो जांच के बाद कितनों को सजा दी गई और कितने दोष मुक्त कर दिये गये ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--यह लम्बी तालिका है जिसमें दिया हुआ है कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, कितनों की जांच हुईं और सही पायी गई जिनमें सजा हुई। अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं।

**श्री अध्यक्ष**--टोटल आपके पास है कि कितनी सही पायी गई और उनमें सजा दी गई ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--टोटल लगा दूं।

**श्री अध्यक्ष**--मैं समझता हूं कि इतनी देर तक ठहरने का वक्त नहीं है। आप बाद में सूचना दे दीजयेगा।

**श्री शिवप्रसाद नागर**--अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इतना है कि कितने छोड़ दिये गये और कितनों को सजा दी गयी ?

**श्री अध्यक्ष**--उनके पास ब्यौरा है बहुत लम्बा। अगर टोटल लगा हुआ हो तो दे सकते हैं। लेकिन मैं सदन में टोटल लगाने के लिए समय नहीं दूंगा।

**श्री शिवप्रसाद नागर**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितनी शिकायतें आयीं इनमें से कितनी पुलिस के खिलाफ हैं और कितनी दूसरे महकमों के खिलाफ ?

**श्री कमलापति त्रिपाठी**--इसमें ज्यादातर पुलिस के ही खिलाफ हैं क्योंकि और दूसरे विभागों के तो जब विभागाध्यक्ष भेजते हैं तभी आती हैं और पुलिस की शिकायतें सीधी उनके पास जाती हैं और जांच करते हैं। तो साधारणतः जो शिकायतें आती हैं ज्यादातर पुलिस की ही होती हैं।

## देवरिया जिले की नलकूप योजना

*१०--**श्री शिवप्रसाद** (जिला देवरिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तहसीलवार कितने ट्यूबवेल और कहां-कहां पर लगाये जायेंगे ?

**श्री धर्मसिंह**--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के १९५६-५७ और १९५७-५८ के प्रोग्रामों के अन्तर्गत देवरिया जिले में ३२ नलकूप निम्नलिखित स्थानों पर लगाये जा रहे हैं...

| तहसील का नाम | गांव का नाम | तहसील का नाम | गांव का नाम |
|---|---|---|---|
| सलेमपुर .. | १--श्रीनगर | पडरौना .. | १--धनहा |
| | २--सोहनपुर प्रथम | | २--सरया बुजुर्ग |
| | ३--सोहनपुर द्वितीय | | ३--नौका |
| | ४--खामपुर | | ४--तम्कुही |
| | ५--मटवा | | ५--लक्ष्मीपुर |
| | ६--बेबी हेमजा | | ६--कहकुइयां |
| | ७--मगर इन्चा | | ७--भरवलिया |
| | ८--परसिया अभिलाक | | ८--भटिहरिया |
| | ९--ओकिना | | ९--किशनदेव पट्टी |
| देवरिया .. | १--बटुरही | | १०--महसो |
| | २--हरया | | ११--मुहुआ खुर्द |
| | ३--समोगद | | १२--दूधबलिया |
| | ४--पिपरादाउद | | १३--बली पट्टी |
| | ५--देवघाट | | १४--बिशनपुर |
| | ६--जोगम | हाटा .. | १--सुकरौली |
| | ७--दीवानपोखर | | |
| | ८--कटई | | |

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी वर्षों में नलकूप लगाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया।

श्री शिवप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाटा तहसील को एक ही नलकूप क्यों दिया गया है ?

श्री धर्मसिंह---अब तक एक ही लगाया गया है और बाकी का सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री शिवप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला नियोजन समिति ने एक प्रस्ताव इस आशय का पास किया है कि हाटा के इन क्षेत्रों की सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर द्वारा जांच कराके वहां नलकूप लगाये जायं ?

श्री धर्मसिंह---क्या प्रस्ताव भेजा है, इसकी सूचना तो हमें नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया वहां अभी सर्वेक्षण हो रहा है और धन उपलब्ध होने पर ही निर्णय हो सकेगा कि वहां उनका लगाना सम्भव है या नहीं ।

श्री शिवप्रसाद---क्या सरकार हाटा तहसील में सिंचाई की सुविधा के लिये भविष्य में नलकूप लगाने का विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---इसका उत्तर तो मैंने दे दिया कि सर्वेक्षण हो रहा है और धन उपलब्ध होने के बाद निर्णय होगा कि वहां उनका लगना सम्भव है या नहीं ।

## सूचना विभाग, लखनऊ के अन्तर्गत परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के क्लर्क तथा अधिकारी

*११---श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने सूचना अधिकारी परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक जिला सूचना अधिकारी और एक अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी परिगणित जाति के हैं और एक अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी पिछड़े वर्ग का है।

*१२---श्री हरदयाल सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सूचना विभाग के दफ्तर में कितने क्लर्क हैं ? उनमें कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना विभाग के मुख्यालय में १४२ क्लर्क हैं । इनमें से एक परिगणित जाति का तथा चार पिछड़े वर्ग के हैं ।

## नहर गंग, शाख इटावा में माइनर बरौली को चौड़ी करने की प्रार्थना

*१३---श्री अभयराम यादव (जिला इटावा)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नहरगंग शाख इटावा में माइनर बरौली को जो बिलन्दा झील से निकला है, चौड़ा करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अभयराम यादव---क्या सरकार को मालूम है कि इस माइनर के कम चौड़ा होने के कारण फसल का अधिकांश भाग सिंचाई से रह जाता है ?

श्री धर्मसिंह---ऐसी बात नहीं है, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस पर तो सिंचाई का रकबा ही नहीं है जिस के चौड़ा करने का सवाल हो ।

*१४-१६---श्री उदय शंकर (जिला बस्ती)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गमे ।]

*१७-१८--श्री देवनारायण भारतीय---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## वाराणसी में महिलाओं के एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल न खुल सकना

*१९--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में महिलाओं के एच० टी० सी०, नार्मल तथा जे० टी० सी० ट्रेनिंग केन्द्र अभी तक किसी भी तहसील में क्यों नहीं खोले गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस कार्य के लिये इस वर्ष शिक्षा बजट में कोई प्राविधान नहीं था अतः इन विद्यालयों के खोलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

*२०--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२१--श्री छत्तर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---[हटा दिया गया ।]

*२२--श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३-२४--श्री अमरनाथ मिश्र (जिला गोरखपुर)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## बस्ती जिले से राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*२५--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले से राजनैतिक पीड़ितों की पेन्शन के लिये तहसीलवार कितनी दरख्वास्तें आईं ? उनमें से कितनी मंजूर हुईं और कितनी विचाराधीन हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन---तहसीलवार सूची तैयार नहीं की जाती और न सम्भव ही है कुल जिले से १७४ दरख्वास्तें मंजूर हुईं और ५९ विचाराधीन हैं ।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह ५९ विचाराधीन पत्र कब तक निर्णीत हो जायंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन--उन पर बराबर विचार होता है और कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द उनका निबटारा हो जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, कुछ ऐसे पुराने राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के आश्रितों को जो सहायता दी जाती है और शिक्षा निःशुल्क की जाती है उन पर प्रदेशीय सरकार दो लाख रुपया खर्च करती है । हिसाब लगाया गया तो मालूम हुआ कि सम्भवतः अगर छः या साढ़े छः लाख रुपया इस पर खर्च किया जाय तो बहुतों की निःशुल्क शिक्षा हो जायगी । इस विषय में प्रान्तीय सरकार ने भारत सरकार को लिखा है और वहां से कुछ सहायता हमको मिली तो आवर्तक अनुदान के रूप में इन सैनिकों के आश्रितों को सहायता देना सम्भव हो सकेगा ।

श्री रामशरण यादव--क्या माननीय मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि 'आश्रितों' की क्या डेफीनीशन है, क्या लिस्ट है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उसकी भी परिभाषा बहुत दिनों से साफ कर दी गयी है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक थे, उनके आश्रित उनके लड़के होंगे अथवा ऐसे भतीजे इत्यादि भी हों, लेकिन जब वह पूरी तरह से उस युग में देश के काम में लगे हुए थे वह पूर्णतया उनके ही आश्रित रहे हों ।

## शाहजहांपुर जिले के सूचना केन्द्र

*२६---श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में कितने सूचना केन्द्र खोले गये तथा किन-किन स्थानों पर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला शाहजहांपुर में सूचना विभाग द्वारा केवल दो सूचना केन्द्र खोले गये हैं, एक जिला मुख्यालय पर दूसरा तिलहर में ।

*२७-२८---श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं), श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं), श्री शिवराज सिंह---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-३०---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---[ग्याहरवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देने की जानकारी

*३१---श्री अमरनाथ मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह देहाती क्षेत्रों में प्राइमरी शिक्षा कब से अनिवार्य करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी से यह बताना सम्भव नहीं है। साधन उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा। नियोजन आयोग का परामर्श १९६५ तक करने का है।

*३२---श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३३-३४---श्री उग्रसेन---[ग्वारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३५---श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---[३ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

## मुरादाबाद जिले में सोझनी ग्रामवासियों के पुनर्वासन की योजना

*३६---श्री किशनसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोझनी ग्राम, तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद जो राम गंगा नदी से कट रहा है उसको दूसरी जगह किसी ऊंचे स्थान पर बसाने का विचार वह कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरणसिंह---सोझनी ग्राम के निवासियों को जिनकी पुरानी आबादी का कुछ हिस्सा रामगंगा नदी की बाढ़ से कट चुका है और उनको बसाने के लिये सोझनी मुस्तहकम व जुज़ ढकिया मौजे की ७०९ एकड़ जमीन जो ऊंचे स्तर पर है कानून द्वारा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही भूमि प्राप्त की कार्यवाही होने के बाद उन्हें उक्त कथित भूमि पर बसा दिया जायेगा।

## रैनी बांध टूटने से कुछ ग्रामों को अन्यत्र बसाने का प्रबन्ध

*३७---श्री किशन सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह रैनी बांध के टूटने से जो ११-१२ गांव बहुत खतरे में आ गये हैं उनको बसाने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरण सिंह---रैनी बांध के टूटने से जिन ग्रामों का स्थान बाढ़ ग्रसित हुआ है वहां के रहने वालों को सुरक्षित वन भूमि स्थिति मलघन, श्योनाथपुर, जहां लगभग २,००० एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा बसने का स्थान प्राप्त है, स्थानान्तर करने के लिये आवश्यक लिखा-पढ़ी किया जाना निश्चित हुआ है।

राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रार्थना

*३८—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों की शिक्षा निःशुल्क करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन—इस सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय इसके लिए प्रान्तीय सरकार का जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसका आखरी फैसला कब तक हो सकेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आखिरी जवाब जब उनके यहां से आ जायगा तो आखरी फैसला हो जायगा। अभी पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पहला पत्र किस तारीख को भेजा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद अक्तूबर में भेजा गया।

श्री श्री कृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक सरकार ने जो पत्र भेजा है उसमें सिफारिश की है कि शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए ?

*३९—श्री भूपकिशोर—[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

डी० एस० पी०, कम्प्लेंट्स, गोंडा के पास शिकायतें

*४०—श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह (जिला गोंडा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में जो डी० एस० पी०, कम्पलेन्ट्स हैं उन्हें १ जनवरी, सन् १९५६ से १ अगस्त सन् १९५८ तक सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ?

श्री इस्तफा हुसैन—१ फरवरी, सन् १९५६ से १ अगस्त, १९५८ तक ३१६ शिकायतें प्राप्त हुईं। बांदा जिले में डी० एस० पी० की नियुक्ति १ फरवरी, १९५६ को हुई थी। तब से १ अगस्त, १९५८ तक उन्हें ३१६ शिकायतें प्राप्त हुईं।

*४१—श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में कितनों पर आरोप प्रमाणित हुआ और सम्बन्धित कर्मचारियों को क्या दण्ड दिया गया ?

श्री इस्तफा हुसैन—६६ मामलों में आरोप सही पाये गये और सम्बन्धित कर्मचारियों को विभागीय कार्यवाही द्वारा दण्ड दिया गया ? दो शिकायतों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और चार पर विभागीय कार्यवाही जारी है।

श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह—मैंने गोंडा जिले के लिए कहा था और इसमें बांदा के लिए उन्होंने कहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गोंडा जिले में नियुक्ति कब हुई ?

श्री अध्यक्ष—आपने उत्तर में 'बांदा जिले में' लिखा है। यह बांदा का है या गोंडे का है ?

श्री इस्तफा हुसैन—अध्यक्ष महोदय, यह 'गोंडा' होना चाहिए।

---

नोट—तारांकित प्रश्न ४१ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष---ऐसा तो नहीं है कि बांदा से ऐसी खबर आ गयी हो ?

श्री इस्तफा हुसैन---ऐसा नहीं है। गलती से टाइप हो गया है प्रश्न संख्या ४० में 'गोंडा' होना चाहिये।

श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन पांच व्यक्तियों पर अभी विभागीय कार्यवाही हो रही है वह किस विभाग के हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नाम की तालिका मंगाने के लिए तो सूचना चाहिए।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन चार व्यक्तियों को विभागीय दण्ड दिया गया है उनको क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विभाग के कर्मचारियों में से इसमें एक सज्जन बरखास्त किये गये और एक कांस्टेबिल भी नौकरी से अलहदा हुए। छः सब-इन्सपेक्टर और तीन हेड कांस्टेबिल और २३ कांस्टेबिलों के इंटिग्रिटी सर्टिफिकेट रोके गये, वेतन की वार्षिक वृद्धि रोकी गयी और चरितावली में दुश्चरित्रता का नोट दिया गया।

## विधायक निवासों में बिजली पर व्यय

*४२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तीनों विधायक निवासों में १९५६-५७ में बिजली पर कितना सरकारी व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---६१,७१४ रुपये २० नये पैसे।

## रायबरेली जिले में महाराजगंज व बछरावां थानों में कत्ल

*४३---श्री चन्द्रिका प्रसाद (जिला रायबरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में महाराजगंज तहसील में महाराजगंज और बछरावां थाने में जून सन् १९५७ से मई, १९५८ तक कुल कितने कत्ल हुये ? उनके सम्बन्ध में कितनों पर मुकदमा चला और उनमें कितनों को सजायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस अवधि में कुल १४ कत्ल हुये। ४८ व्यक्तियों पर मुकदमा चला और उनमें से अब तक १७ व्यक्तियों को सजायें हुईं।

## गोरखपुर जिले में नहर विभाग के निरीक्षणगृह तथा बाढ़ योजनायें

*४४---श्री अब्दुलरऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में नहर विभाग द्वारा १९५२ के बाद कौन-कौन से निरीक्षण गृह बनाये गये और उन पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री चरण सिंह---सन् १९५२ के पश्चात् गोरखपुर जिले में सिंचाई विभाग द्वारा निम्नलिखित निरीक्षण गृह बनवाये गये हैं :

| निरीक्षण गृह | | व्यय |
|---|---|---|
| (१) | बसुली .. .. .. | २४,३७७ रु० |
| (२) | बरवा .. .. .. | २४,१८२ ० |
| (३) | परतावल .. .. .. | २४,२६२ रु० |
| (४) | पिपराइच .. .. .. | २०,२१४ रु० |

*४५---श्री अब्दुलरऊफ लारी---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के महाव, बधेला, रोहिन, बसमनियां और पेपास नदियों की बाढ़ से बर्बाद होने वाले गांवों की बचत की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरण सिंह--गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के महाव, बघेला, रोहिन, बसमिनयां और पेपास नदियों की बाढ़ से बर्बाद होने वाले ग्रामों की रक्षा हेतु निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव है :

(१) महाव नदी पर महाव नाले की खुदाई करके उसको गहरा कर दिया गया है और आवश्यक मरम्मत करा दी गई है।

(२) बघेल नदी के दायें किनारे पर बिसखोप बांध का निर्माण।

(३) रोहिन नदी के दायें किनारे पर जमुहानी, सिमराहा बांध का निर्माण।

(४) रोहिन नदी के दायें किनारे पर बरातगढ़ से चन्दीपुर तक मकनहा बांध का निर्माण।

बसमनिया तथा पेपास पर बांध बनाने की योजना नहीं है।

*४६--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार के पास उपर्युक्त बाढ़ से पीड़ित गांवों से ग्राम सभाओं के प्रस्ताव व महज्जर नामों द्वारा कुछ सुझाव आये हैं? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या विचार कर रही है?

श्री चरण सिंह--बाढ़ से पीड़ित ग्रामों के गांव सभापति पिपरहिया, तरैनी, सियाभार, जिजीनहवा के प्रस्ताव, महज्जर नामों द्वारा कुछ सुझाव प्राप्त हुये हैं, परन्तु धनराशि की कमी के कारण कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

## बदायूं जिलान्तर्गत दातागंज थाने में विभिन्न अपराधों की रिपोर्ट

*४७--श्री हरिश्चन्द्र सिंह---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना दातागंज जिला बदायूं में मार्च, १९५८ से अगस्त, १९५८ तक कितने कत्ल, डकैतियां, चोरियां तथा फौजदारियां दर्ज हुयीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मार्च, सन् १९५८ से अगस्त, १९५८ तक जिला बदायूं के थाना दातागंज में सात कत्ल, दो डकैतियां, २९ चोरियों तथा पांच फौजदारियों की रिपोर्ट दर्ज की गई।

*४८--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

## जाति पांति के विरोध में साहित्यिक प्रचार के लिए प्रार्थना

*४९--श्री अभयराम यादव---क्या सरकार जाति-पांति की कटुता को समाप्त करने के लिये छोटी-छोटी पुस्तकें जाति-पांति के विरोध में विभिन्न भाषाओं में लिखा कर बड़ी संख्या में मुफ्त बांटने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जाति-पांति की कटुता देश में राष्ट्रीय भावना की वृद्धि से ही मिटेगी। सूचना विभाग के सारे प्रकाशन और प्रयत्न इसी दिशा में प्रेरित हो रहे हैं।

## अकबरपुर, जिला फैजाबाद के एक बी० ए०, सी० टी० अध्यापक को ग्रैजुएट का ग्रेड न मिलना

*५०--श्री बलवान सिंह (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री कृपया यह बतावेंगे कि अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद के पांचों हायर सेकेंडरी स्कूलों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो बी० ए० सी० टी० हैं और व पांच साल स अधिक समय से काम कर रहे हैं लेकिन उनको ग्रेजुएट्स का ग्रेड नहीं दिया जा रहा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--केवल एक अध्यापक। अकबरपुर में केवल चार हायर सेकेंडरी स्कूल हैं।

*५१--श्री शिवराज सिंह---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

## ड्यूटी पर मारे गये पुलिस अधिकारी

*५२---श्री गनेश चन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५६ व १९५७ में सरकारी काम करते समय कितने थानेदार मारे गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् १९५६ में १ प्लाटून कमांडर और सन् १९५७ में पांच सब-इन्सपेक्टर और प्लाटून कमांडर मारे गये।

## गवर्नमेंट इण्टर कालेज, मैनपुरी में अध्यापकों की कमी

*५३---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार को ज्ञात है कि मैनपुरी जिले में जो गवर्नमेंट इंटर कालेज है, उसमें २ सितम्बर, १९५८ तक न तो कोई प्रिंसिपल है और न तो कोई हिसाब तथा विज्ञान के अध्यापक हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। इनके स्थान स्थायी पदाधिकारियों के स्थानान्तरण या अवकाश पर जाने के कारण खाली हुए थे, किन्तु स्थानापन्न प्रबन्ध कर दिया गया था। यद्यपि प्रबन्ध के अनुसार काम होने में कुछ कठिनाइयों के कारण थोड़ा समय लग गया।

*५४-५५--श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

## श्री महावीर उपाध्याय, ग्राम दासनपुर, जिला जौनपुर का लापता होना

*५६--श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दासनपुर, थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर के निवासी श्री महावीर उपाध्याय को पुलिस ने सन् १९४२ के आन्दोलन में गिरफ्तार किया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

*५७--श्री नागेश्वर प्रसाद---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें कहां भेजा और वे आज कहां हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका प्रश्न नहीं उठता है। श्री महाबीर उपाध्याय बहुत दिनों से लापता हैं।

## नेशनल डिसिप्लिन स्कीम

*५८--श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में कितना धन दिया है?

*५९--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसकी रूप रेखा क्या है और राज्य में उक्त स्कीम कहां-कहां लागू है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नेशनल डिसिप्लिन स्कीम इस प्रदेश में लागू नहीं की गई अतः प्रश्न नहीं उठते।

*६०-६२--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

## कर्मशाला मण्डल, मध्य क्षेत्र, कानपुर के स्टोर लेजर का पन्ना फाड़ना

*६३--श्री टीका राम (जिला बदायूं)--क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कर्मशाला मंडल मध्य क्षेत्र, कानपुर के यहां से मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज, कानपुर को कटिंग व थ्रेडिंग के लिये भेजे गये ८०० लेन्थ ६" पाइप के स्टोर के लेजर में जहां लिखा गया था वह इशू साइड का पन्ना लेजर से फाड़ लिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह--यह सत्य है कि मध्य क्षेत्र कानपुर के १९५०-५१ के स्टोर लेजर (Store Ledger) के इशू साइड का २ नं० का पन्ना फटा हुआ है ।

अन्य रिकर्ड के हिसाब से पन्ने की प्रतिलिपि बनाकर लगा ली गई है ।

*६४--श्री टीका राम--क्या यह सही है कि सिंचाई कर्मशाला मंडल मध्य क्षेत्र, कानपुर के वर्तमान कृषि अभियन्ता ने चौंकीदारों की छुट्टी के समय गेट पर जहां पर कि पाइप रखे जाते थे गैरमुस्तकिल और बिना जमानत के चपरासी रखे ? यदि हां, तो इस नियमोल्लंघन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--स्टोर की देख-रेख करने के लिये चौकीदार रहते हैं मगर जब कोई चौकीदार छुट्टी जाता है तो उसकी एवजी में नये आदमी अस्थायी रूप से रखे जाते हैं क्योंकि कोई leave reserve इसके लिये नहीं है । इसमें नियमोल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## सिंचाई कर्मशाला मण्डल मध्य क्षेत्र में मेसर्स भारत इण्डस्ट्रीज, कानपुर के पाइप

*६५--श्री भजन लाल (जिला इटावा)--क्या राजस्व मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज कानपुर के यहां कटिंग व थ्रेडिंग के पश्चात् सिंचाई कर्मशाला मंडल मध्य क्षेत्र में आये हुए पाइप किस-किस साइज के और कितने थे तथा इसका विवरण क्रमशः विभागीय लेजर में दिया गया अथवा नहीं ?

श्री चरण सिंह--६" पाइप जो मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज के यहां से कटिंग व थ्रेडिंग के पश्चात् सिंचाई कर्मशाला मण्डल, मध्य क्षेत्र, कानपुर में आये उनका विवरण संलग्न है ।

कुल ८०० फुल लेन्थ्स ६" पाइप फर्म से आये जिसमें ६० १/२ फुल लेन्थ्स यानी १२१ हाफ लेन्थ्स जिस का बिल फर्म से आया स्टोर लेजर में इन्दराज है । बाकी का बिल फर्म से नहीं आया, अतः स्टोर लेजर में इन्दराज नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८८०-८८१ पर)

*६६--श्री भजन लाल--क्या यह सही है कि मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज, कानपुर ने सिंचाई कर्मशाला मण्डल, कानपुर से कटिंग एवं थ्रेडिंग के लिए आये हुए ८०० लेन्थ पाइपों में से ६७९ लेन्थ पाइपों के बिल भुगतान हेतु उक्त कर्मशाला मण्डल को नहीं भेजे और न उन्हें फर्म के लिक्वीडेशन के कागजातों में ही दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या ६७९ लेन्थ ६" पाइप की उक्त फर्म में कटिंग व थ्रेडिंग नहीं की ?

श्री चरण सिंह--भारत इन्डस्ट्रीज ने कुल ८०० फुल लेन्थ्स में से २३६ तो बिला कटी ही वापस कर दी। बाकी ५६४ लेन्थ्स में से ६० १/२ फुल लेन्थ्स यानी १२१ हाफ लेन्थ्स का बिल भेजा जिसका इन्दराज लेजर में है । बाकी ५०३ १/२ फुल लेन्थ्स यानी १००७ हाफ लेन्थ्स का बिल ही नहीं भेजा । यह नहीं कहा जा सकता है कि फर्म ने उन्हें अपने (liquidation) के कागजों में दिखाया है या नहीं फर्म ने कार्य कुल ५६४ फुल लेन्थ्स पर किया ।

*६७--श्री भजन लाल--क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कर्मशाला मण्डल मध्य क्षेत्र, कानपुर से ६" पाइपों की कटिंग व थ्रेडिंग के लिए १९५०-५१ व १९५१-५२ में मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज, कानपुर के पास किस तिथि को और किस मात्रा में भेजा गया था तथा इसका विवरण सम्बन्धित लेजर की इशू साइट में लिखा गया था अथवा नहीं ?

श्री चरण सिंह--६" पाइप जो भारत इन्डस्ट्रीज को कटिंग और थ्रेडिंग के लिए भेजा गया था वह दो इन्डेन्ट्स द्वारा गया, एक में ३०० और दूसरे में ५०० लेन्थ्स जिनके इन्टेन्ड नं० और दिनांक इस प्रकार हैं :--

१---४५/४०, दिनांक ५ मार्च, १९५१ ... ३०० लेन्थ्स ।

२---४०/७४ दिनांक, १३ मार्च, १९५१ ... ५०० लेन्थ्स ।

३०० लेन्थ्स की इन्ट्री लेजर में है और ५०० लेन्थ्स की नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह इन्ट्री पेज नं० २ पर रही होगी, जो कि फटा हुआ है और जिसका विवरण प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर में दिया जा चुका है ।

## सिंचाई कर्मशाला मण्डल, मध्य क्षेत्र, कानपुर को मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज द्वारा दिये गये पाइपों में गड़बड़ी

*६८--श्री रूम सिंह---क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कर्मशाला मण्डल, मध्यक्षेत्र, कानपुर की '६" पाइपों की वेरिफिकेशन की लिस्ट में १९५०-५१ से १९५४-५५ तक मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज की कटिंग व थ्रेडिंग के लिए भेजे गये हैं, पाइपों के सम्बन्ध में बिना रिमार्क दिये स्टाक पूरा दिखाया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरण सिंह--सन् १९५०-५१ से १९५४-५५ तक जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उस में वेरिफाइंग आफिसर्स ने जो ६" इंची पाइप कटिंग और थ्रेडिंग के लिए दिया गया था उस को हिसाब में रखते हुए पोजीशन (position) निकाली और वेरिफिकेशन लिस्ट (verification list) में जो चीफ ऐग्रीकल्चरल इन्जीनियर को भेजी गयी उसमें इसका जिक्र इस कारण नहीं किया गया क्योंकि यह इन्टर्नल ट्रांजैक्शन था ।

*६९--श्री रूम सिंह---क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मशाला मन्डल के ६" पाइपों के वेरीफिकेशन में १९५१-१९५२ से १९५४-५५ तक कोई नाप तौल नहीं की गई और जिसके फलस्वरूप सम्बन्धित रजिस्टर में नाप तौल की सत्यता के प्रमाण स्वरूप सम्बन्धित अधिकारियों ने अपने हस्ताक्षर नहीं किये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चरण सिंह---फिजीकल वैरीफिकेशन ( physical verification ) नाप तौल सहित उक्त समय में तीन बार हुआ और वैरीफाइंग आफिसर के हस्ताक्षर वैरीफिकेशन लिस्ट या लेजर्स (ledgers) में मौजूद है ।

## लखीमपुर में पुलिस चौकी, संकटादेवी की छत गिर जाना

*७०---श्री शिव प्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस चौकी संकटा देवी, नगर लखीमपुर, जिला खीरी की इमारत की छत कितने दिनों से गिरी पड़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला खीरी में पलिस चौकी संकटा देवी के भवन की छत अगस्त, सन् १९५७ से गिरी पड़ी है ।

*७१---श्री शिव प्रसाद नागर---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या चौकी अभी तक उसी इमारत में कायम है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पुलिस चौकी को उस इमारत से हटा कर किराये के एक दूसरे भवन में कर दिया गया है ।

## हाई स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों का ग्रेड

*७२---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल कक्षा में पढ़ाने वाले एम० ए० एवं आचार्य पास संस्कृत अध्यापकों को एल० टी० ग्रेड का वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हां, इसलिये कि एल० टी० अथवा रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग होना आवश्यक है ।

## गवां बाजार, जिला बदायूं में अनाज की लूट

*७३--श्री बुद्धो सिंह (जिला मुरादाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या २८-८-५८ को जिला बदायूं की गिन्नौर तहसील के कस्बा गवां बाजार की दूकानें, गल्ला आदि लूटने की घटना हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके सम्बन्ध में कोई जांच की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां ।

*७४--श्री बुद्धोसिंह--यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितना गल्ला और दूसरी चीजें लूटी गयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अनुमानतः २,८०० रु० का सामान लूटा गया ।

*७५--श्री बुद्धो सिंह--क्या इस लूट में पुलिस के कुछ कर्मचारी भी शामिल थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

## कांकर कुई, जिला सहारनपुर में बरसाती पानी निकालने की योजना

*७६--श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में गांव मल्हीपुर तथा कांकर कुई मजरा में बरसात में रुहाड़े तथा जोहड़ों में पानी भर जाने से जो कच्चे मकान गिर रहे हैं सरकार द्वारा उनको कब तक पटाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह--जिला सहारनपुर में इस वर्ष गांव मल्हीपुर तथा कांकरकुई मजरा में बरसात में रुहाड़े तथा जोहड़ों में पानी के रुकने से कोई मकान नहीं गिरा । इस लिये सरकार द्वारा उनको पटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*७७--श्रीमती शकुन्तला देवी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला सहारनपुर में उपर्युक्त गांवों तथा साथ वाले गांव की कृषि-भूमि को रुहाड़ों के अधिक पानी से जो हानि हो रही है उसको शीघ्र ही बचाने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री चरणसिंह--जिला सहारनपुर में मौजा कांकरकुई में बरसात का जो पानी रूक जाता है उसको निकालने के लिये एक योजना बनाई जा रही है ।

*७८--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--[२ दिसम्बर, १९५८ संख्या ८५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

## सब इन्सपेक्टर आफ पुलिस की पदोन्नति

*७९--श्रीमती राजेन्द्र किशोरी--क्या सरकार सब-इन्सपेक्टर आफ पलिस के रैंक (rank) से पदोन्नति (promote) देकर सब डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस रैंक (rank) के अधिकारी बनाने की स्कीम पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

## मुजफ्फरनगर जिले में बाढ़ग्रस्त गांवों को ऊंचा करने की योजना

*८०--श्री बादाम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार मुजफ्फर नगर जिले के गत वर्षों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में कुछ ग्रामों को ऊंचा करने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन ग्राम ह ?

श्री चरण सिंह--जी हां। मुजफ्फरनगर जिले के गत वर्षों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जिन ग्रामों को ऊंचा करने की योजना बनाई गई थी उन ग्रामों के नाम निम्नलिखित हैं :

१--सालापुर
२--नाई नगला १
३--मन्गलोरा
४--नाई नगला २
५--पथेर
६--बसैड़ा
७--मन्डावरा
८--रानामजरा
९--जलालपुर
१०--पथेरगढ़
११--कून्डला
१२--ईसापुर खुरगान
१३--गढ़ीमोक
१४--नगलाबबेल
१५--नगलाराय
१६--रामडा १
१७--मुहम्मदपुर
१८--रामडा २
१९--बरही
२०--लक्ष्मीपुर
२१--सिंगापुर
२२--मुस्तफाबाद
२३--अन्धेरा
२४--गूजरपुर
२५--दिलावरा
२६--शीतलगढ़ी
२७--ऊदपुर
२८--कमालपुर
२९--कालामजरा
३०--मीरकस्बा

*८१--श्री नरेंद्र सिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

## बाराबंकी जिलान्तर्गत घाघरा नदी में कथित नौका दुर्घटना

*८२--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में घाघरा नदी में दिनांक ७ व ८ अगस्त, १९५८ को एक नाव डूब गई है ? यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की जान गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई दुर्घटना ७-८ अगस्त, १९५८ को नहीं घटी।

## टेहरी-गढ़वाल जिले में कुछ अध्यापकों का बकाया वेतन

*८३--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला टेहरी-गढ़वाल के शिक्षा विभाग के अध्यापकों को विलीनीकरण की अवधि के महंगाई तथा वेतन के एरियर बिल्स अभी तक भुगतान नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गये हैं, पूर्व माध्यमिक तथा प्रारम्भिक विद्यालय नहीं हुए हैं क्योंकि उनका अभी तक विलीनीकरण नहीं हुआ।

*८४-८५--श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--[स्वशासन मन्त्री से सम्बन्धित ग्यारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ८४-८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## बाराबंकी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*८६--श्री मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--७४ व्यक्तियों को।

*८७--श्री व्रजनारायण तिवारी--[हटा दिया गया।]

## 'मूर्ति हटाओ' आन्दोलन में गिरफ्तारियां

*८८--श्री कुंवरपालसिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५७ के सोशलिस्ट पार्टी द्वारा चलाये गये मूर्ति हटाओ आन्दोलन के सिलसिले में कुल कितने सत्याग्रही उत्तर प्रदेश भर में पकड़े गये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मूर्ति तोड़ने या हटाने के प्रयास में ६९ व्यक्ति पकड़े गये थे ।

## हाई स्कूल तथा इण्टरमीडियेट की परीक्षा में अव्यवस्था

*८९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, सन् १९५८ में हाई स्कूल इन्टरमीडियेट बोर्ड की परीक्षा के समय लखनऊ से इस प्रकार की शिकायतें आई थीं कि तांगे पर लाउडस्पीकर लगा कर परीक्षा केन्द्रों के आस-पास घूम कर कुछ लोगों ने परीक्षा प्रश्नों के उत्तर घोषित किये थे और स्थिति संभालने के लिये परीक्षा निरीक्षकों ने पुलिस की सहायता मांगी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं ।

*९०--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश भर से शिक्षा विभाग के पास सन् १९५८ की उक्त बोर्ड की परीक्षा में नकल करने व अव्यवस्था पैदा करने की कितनी शिकायतें आई थीं ? उनमें लड़कों व लड़कियों द्वारा नकल करन व अन्य प्रकार की पृथक-पृथक कितनी थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तालिका 'क' संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८८२-८८३ पर )

*९१--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--तालिका 'ख' संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८८२-८८३ पर )

## अनक्वालिफाइड ओवरसियर्स

*९२--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--प्रदेश में तीन साल से अधिक सर्विस वाले अनक्वालीफाइड ओवरसियरों के सम्बन्ध में जो अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं, ८ सितम्बर, १९५८ के प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ५४ अनक्वालीफाइड ओवरसियर हैं उनकी services approve करने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन से पास कब भेजा जायेगा ?

श्री चरण सिंह--उन ५४ अनक्वालीफाइड ओवरसियर, जिनकी तीन वर्ष से अधिक की सेवा हो चुकी थी, में से ४७ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जा चुके हैं । शेष ७ को सर्विस में रक्खे जाने या न रक्खे जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*९३--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष कितने अनक्वालीफाइड ओवरसियर नौकरी से अलहदा किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह--इस वर्ष ९४ अनक्वालीफाइड ओवरसियरों को सेवा मुक्त तथा तथा ६ अनक्वालीफाइड ओवरसियरों को उनके स्थाई पदों पर प्रत्यावर्तित ( revert ) कर दिया गया है ।

*९४--श्री राजाराम शर्मा--[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## गोंडा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराध

*९५--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में थाना कोतवाली में १ जनवरी, १९५८ से लेकर ३१ अगस्त, १९५८ तक कितनी चोरियां हुईं और कितने कत्ल तथा डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस अवधि में कुल ६५ चोरियां तथा ४ कत्ल हुए। डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

*९६--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त अपराधों में कितने व्यक्तियों का चालान हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१२४ व्यक्तियों का चालान हुआ।

## इटावा जिले के नहर विभाग में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*९७--श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)-- क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में १९५७-५८ में कितने पतरौल व अमीन नियुक्त किये गये ? उनमें कितने परिगणित जाति के थे तथा कितने पिछड़े वर्ग के थे ?

श्री चरण सिंह--इटावा जिले में सन् १९५७-५८ में १० पतरौल व १ अमीन नियुक्त किये गये जिनमें से केवल १ पतरौल परिगणित जाति का था।

*९८--श्री घासीराम जाटव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के नहर विभाग में कुल कितने अमीन, पतरौल, टंडैल, बरकंदाज, मेट, जिलेदार, रनर हैं ? उनमें कितने परिगणित जाति के हैं तथा कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री चरण सिंह--इटावा जिले के नहर विभाग में कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :--

| | |
|---|---|
| अमीन | २९ |
| पतरौल | १२६ |
| टन्डैल | १५ |
| बरकन्दाज | ३१ |
| मेट | २३ |
| जिलेदार | ६ |
| हरकारे | ५४ |

जिनमें क्रमशः पिछड़े वर्ग व परिगणित जातियों की संख्या इस प्रकार है--

| | पिछड़े वर्ग | परिगणित जाति |
|---|---|---|
| अमीन | .. | १ |
| पतरौल | .. | ६ |
| हरकारे | .. | ५ |

*९९--श्री घासीराम जाटव--[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

## सीतापुर जिले की मिसरिख तहसील में फौजदारी के मुकदमे

*१००--डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मिसरिख, जिला सीतापुर में प्रति थाने में कितने दोतरफा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७, ११७/१५१ के मुकदमें मार्च, सन् १९५७ से अगस्त, १९५८ तक चलाये गय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--थाना भिसरिख में १८, महोली में ३६, पिसावां में १२ तथा संधना में ३०।

*१०१--डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा--क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त मुकदमों से कितने मुकदमों में दोतरफा सजा मिली है और कितने मुकदमें में एक तरफा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी-- उपरोक्त कुल ९६ मुकदमों में से ४४ में दो तरफा सजा हुई। एक तरफा सजा किसी मुकदमे में नहीं हुई।

*१०२-१०४--श्री मुक्तिनाथ राय--[ग्यारहवें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

## उन्नाव जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन तथा मौरावां थाने में चोरियां-डकैतियां

*१०५--श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के मौरावां थाने के अन्तर्गत जनवरी, १९५७ से अब तक कितनी चोरियां व कितनी डकैतियां हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जनवरी, १९५७ से अब तक जिला उन्नाव के मौरावां थाने के अन्तर्गत ११३ चोरियां हुईं। डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

*१०६--श्री परमेश्वरदीन वर्मा--इन चोरियों तथा डकैतियों में से कितनी के बारे में पुलिस ने पता लगा लिया ? कितनी का पता पुलिस नहीं लगा सकी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उपरोक्त चोरियों में से ३२ चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस ने पता लगा लिया है। ६० मामलों का पता नहीं लगा सका। ४ मामलों में अभी जांच हो रही है। शेष १७ मामलों में जांच नहीं की गई।

*१०७--श्री परमेश्वरदीन वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले से कितने प्रार्थना-पत्र राजनीतिक पीड़ितों के आये हैं ? उनमें से कितने स्वीकार किये गये, कितने अस्वीकार किये गये और कितने विचाराधीन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--३०३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें से १३५ स्वीकार किये गये, ११८ अस्वीकार किये गये और ५० विचाराधीन हैं।

## कक्षा ७ में निःशुल्क शिक्षा देने की प्रार्थना

*१०८--श्री हरदयाल सिंह--क्या सरकार कक्षा ७ की भी फीस मुआफ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वित्तीय कठिनाइयों के कारण कक्षा ७ में निःशुल्क शिक्षा करना सम्प्रति संभव नहीं है।

## सहारनपुर जिले में मसखरा नदी के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*१०९--डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम दुमझेड़ा, परगना सुल्तानपुर, जिला सहारनपुर के ३२ घर मसखरा नदी के कटाव से गिर गये हैं ? यदि हां, तो सरकार और अधिक कटाव के रोकने के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री चरण सिंह--मसखरा नदी के कटाव के कारण दुमझेड़ा गांव में कुछ मकान गिर गये हैं। इस नदी से गांव के कटाव रोकने के लिये एक योजना तैयार की जा रही है।

## जौनपुर जिले के जलालपुर ग्राम के एक कुएं से लाश बरामद करना

*११०--श्री रामलखन सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गत अगस्त के प्रथम सप्ताह में जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाने के अन्तर्गत जलालपुर गांव के एक कुयें से जो लाश निकाली थी वह किसकी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--७ अगस्त, १९५८ को उक्त गांव में एक गिरे हुए पुराने कुएं से एक स्त्री का शव मिला परन्तु अभी तक मृतक का नाम तथा पता नहीं मालूम हो सका है।

## बाराबंकी जिले में जूनियर हाई स्कूल, उधवापुर के विद्यार्थियों से अल्पबचत योजनान्तर्गत धन संग्रह

*१११--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, उधवापुर में माह जनवरी, सन् १९५७ ई० से ११ सितम्बर, सन् १९५८ तक विद्यार्थियों से अल्पबचत योजना का रुपया वसूल किया गया है ? यदि हां, तो वह धन कितना ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, किन्तु माह जनवरी, १९५७ से ११ सितम्बर, १९५८ तक नहीं बल्कि माह जनवरी, १९५८ से अगस्त, १९५८ तक रुपया वसूल किया गया।

यह धन १३५ रुपया २५ नया पैसा है।

## वाराणसी जिलान्तर्गत रामचंडीपुर के निकट नौका दुर्घटना

*११२--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--क्या सरकार को पता है कि मौजा रामचंडीपुर, गोवरहा, परगना जाल्हूपुर, जिला वाराणसी में तारीख ९ सितम्बर, १९५८ को उक्त ग्रामों के पश्चिम तरफ बहने वाले सोते में नाव दुर्घटना हुई जिसमें ६५ स्त्री-पुरुष तथा बच्चे डूब गये ? यदि हां, तो क्या उनकी लाश निकाली गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। दुर्घटना ग्रस्त नौका में स्त्री-पुरुष तथा बच्चों की कुल संख्या केवल ४४ थी जिनमें से २४ की संख्या में जीवित तथा २ मृत यात्रियों को जल से बाहर निकाला जा सका।

*११३--श्री लोकनाथ सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा रामचंडीपुर गोबरहा, जिला वाराणसी के सोते में इतनी बड़ी नाव दुर्घटना होने का कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नौका पर यात्रियों की अधिक संख्या होने के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना हुई।

## वाराणसी तहसील में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल

*११४--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की वाराणसी तहसील में कुल कितने बालक-बालिकाओं स्कूल सरकारी सहायता से चलाये जा रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--४१।

*११५--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बालक बालिकाओं के स्कूलों की संख्या अलग-अलग बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बालक .. ३३।
बालिका .. ८।

## मान्यता प्राप्त तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान

*११६--श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने बालकों और कितने बालिकाओं के मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इन्टरमीडियेट कालेज हैं ? उन्हें सामूहिक रूप से सरकार कितना आवर्त्तक और कितना अनावर्त्तक अनुदान देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या:

| | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| हाई स्कूल .. .. .. | ६२३ | १०३ | ७२६ |
| इण्टरमीडियेट .. .. .. | ७७२ | १४० | ९१२ |

उक्त संख्या में से केवल १,११० सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जिन्हें शासन अनुदान देता है। इन विद्यालयों के लिये वर्तमान वर्ष (१९५८-५९) के शिक्षा आय-व्ययक में शासन ने सामूहिक रूप से २,२९,३३,८०० रुपया आवर्त्तक एवम् १२,३०,००० रुपया अनावर्त्तक धनराशि का अनुदान प्राप्त करने हेतु प्राविधान किया है।

*११७--श्री अनन्तराम वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने बालकों और कितने बालिकाओं के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इन्टरमीडियेट कालेज हैं उन पर सरकार कितना आवर्त्तक और कितना अनावर्त्तक धन खर्च करती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा इण्टर कालेजों की संख्या :

| | बालक | बालिका | योग |
|---|---|---|---|
| १--हाई स्कूल .. .. .. | ३७ | १९ | ५६ |
| २--इण्टरमीडियेट .. .. | ४३ | २८ | ७१ |

इन उपरोक्त राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा इण्टर कालेजों के ऊपर वर्तमान वर्ष (१९५८-५९) के शिक्षा आय-व्ययक में शासन ने कुल १,४०,३८,७०० रु० आवर्त्तक तथा ११,४३,९०० रु० अनावर्त्तक धनराशि का व्यय करने का प्राविधान किया है।

## बस्ती जिले की कूड़ा घोंघी बांध के रेगुलेटरों पर फाटक का न होना

*११८--श्री मथुराप्रसाद पान्डेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में कूड़ा-घोंघी बांध के तीन रेगुलेटरों पर फाटक न लगने के कारण किन-किन गांवों की फसल इस बाढ़ से डूबी है और कितने रकबे को क्षति पहुंची है ?

श्री चरण सिंह--बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में कूड़ा घोंघी के तीन रेगुलेटरों पर फाटक न लगने के कारण किसी भी गांव की फसल इस बाढ़ से नहीं डूबी है।

## झांसी जिले में बरोदिया के श्री लक्षमन सिंह तथा पिपराई के श्री हजारी लाल का कत्ल

*११९--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १३ अगस्त, १९५८ को दिन के १२ या १ बजे ग्राम बरोदिया, थाना नारहट (जिला झांसी) के श्री लक्षमन सिंह को डाकुओं ने पकड़ कर गोली से उड़ा दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, संध्या के लगभग ४ बजे मारा ।

*१२०---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार को यह भी पता है कि १ अगस्त, १९५७ को ग्राम पिपरई, थाना जाखलौन (जिला झांसी) में दिन में श्री हजारी लाल व श्री भैयालाल को डाकुओं ने पकड़ कर बीच गांव में खड़ा कर के गोली से उड़ा दिया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हजारी लाल डाकुओं के गिरोह द्वारा २ अगस्त, १९५७ की प्रातःकाल गोली से ग्राम बमौनी में मारा गया। भैयालाल उस समय नहीं मारा गया और न ग्राम पिपरई में घटना उस समय घटित हुई ।

*१२१---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये इस क्षेत्र में दो नये थाने और सात नई पुलिस चौकियां स्वीकृत की गई हैं। साथ ही पी० ए० सी० की संख्या भी बढ़ा दी गई है ।

## जौनपुर जिले में पुलिस के खिलाफ शिकायतें

*१२२---श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की केराकत तहसील के केराकत, चन्दवक और जलालपुर थानों की पुलिस के खिलाफ कितनी दरख्वास्तें सन् १९५७-५८ में एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० (कम्पलेन्ट) के यहां प्राप्त हुई और उनमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सन् १९५७-५८ ई० में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या संलग्न तालिका में दी है।

दोषी पाये गये कर्मचारियों को दंड दिया गया।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८८४ पर )

## बखिरा पम्प नहर, जिला बस्ती में ली गयी भूमि का मुआवजा

*१२३---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बखिरा पम्प नहर बस्ती से इस वर्ष कितने एकड़ की सिंचाई हुई है?

श्री चरण सिंह---इस वर्ष बखिरा पम्प नहर बस्ती से ७१ एकड़ भूमि की सिंचाई हुई है ।

*१२४---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बखिरा पम्प नहर बस्ती में जो भूमि ली गई है, उसका कितना रुपया मुआवजा किसानों को दिया गया ? क्या बखिरा पम्प नहर में ली गई जमीन की मालगुजारी अब भी किसानों को देनी पड़ रही है ?

श्री चरण सिंह---जिला बस्ती में बखिरा पम्प नहर के निर्माण के लिये जो भूमि ली गई है, उसका १३,०१९ रुपया ३ आना का मुआवजा किसानों को बांटा जा चुका है। बखिरा पम्प नहर में ली गई जमीन की मालगुजारी अब किसानों को नहीं देनी पड़ रही है ।

## माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर-पुस्तकों की बिक्री में घाटे का सन्देह

*१२५---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---(अ) क्या माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा प्रयोग की गई उत्तर पुस्तकों की बिक्री के विषय में सन् १९५६-५७ के आडिट रिपोर्ट द्वारा कुछ गबन का पता चला है ?

(ब) कितना गबन हुआ है और उनके दोषी कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---(अ) सन् १९५६-५७ की आडिट रिपोर्ट में ऐसे किसी गबन की चर्चा नहीं है। १९५७-५८ की रिपोर्ट में १९५६ की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तकों की बिक्री के सम्बन्ध में घाटे का सन्देह प्रकट किया गया है ।

(ब) यह अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता। जांच जारी है।

## गोरखपुर जिलान्तर्गत डुमरैला कम्युनिटी शेड का निर्माण

*१२६---श्री रामसूरत प्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत डुमरैला ग्राम को बाढ़ विभाग द्वारा निर्मित Community Shed पर सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री चरणसिंह---डुमरैला कम्युनिटी शेड के बनवाने में कुल १३,७०६ रुपया व्यय किया गया है।

*१२७---श्री रामसूरत प्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त Community Shed किन-किन ठेकेदारों द्वारा बनवाया गया है और किन विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण में बना है ?

श्री चरणसिंह---डुमरैला ग्राम में कम्युनिटी शेड, श्री भगवान सिंह, राधे श्याम शर्मा, तुलसी राम, राघव राय, राजेंद्र राय, तथा राम जनम सिंह ठेकेदारों द्वारा तथा श्री चांद बहादुर, पोशाकी लाल वर्मा, रामअधार सिंह और जै प्रकाश बंसल ओवरसियर तथा श्री सुरेश चन्द्र और श्री रघुराज सिंह सहायक अभियंताओं के निरीक्षण में बनाया गया है।

*१२८---श्री रामसूरत प्रसाद---क्या यह सही है कि उक्त Community Shed के एक ओर के सभी पाये जड़ से टूट कर गिर गये हैं और टीन का छाजन भी एक ओर नहीं है तथा आधे भाग पर जो है वह भी पुराने टीन से छाया गया है ?

श्री चरण सिंह---डुमरैला ग्राम में कम्युनिटी शेड के एक तरफ के सभी पाये तथा एक ओर का टीन का छाजन भयंकर तूफान के कारण उखड़ गये हैं। हालांकि दोनों तरफ नयी टीन का छाजन लगाया गया है, परन्तु टीनों पर काई इत्यादि लगने के कारण पुराने प्रतीत होते हैं।

## सगड़ी तहसील के जैराजपुर रेगुलेटर की जांच

*१२९---श्री मुक्तिनाथ राय---आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के जैराजपुर विन्दबल ग्राम के पुराने बांध के नवीनीकरण के सम्बन्ध में ११ अगस्त, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ४० के पूरक प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जैराजपुर बांध के नवीनीकरण से उत्पन्न हुई परिस्थिति की जांच के सम्बन्ध में जो सूचना सरकार को दी गयी थी, उसकी जांच सरकार ने किस अधिकारी द्वारा करायी थी ?

श्री चरण सिंह---सगड़ी तहसील के जैराजपुर रेगुलेटर की जांच जिलेदार द्वारा की गई । चूंकि यह एक प्राविधिक समस्या थी अतएव इसमें जनता की राय लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

## मुखलिसपुर, बखिरा तथा बान गंगा नहरों का सिंचित क्षेत्र

*१३०---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुखलिसपुर, बखिरा तथा बान गंगा की नहरों के कमांड में क्रमशः कितना-कितना क्षेत्र रक्खा गया है और यह नहरें कितने-कितने धन में तैयार हुई है ?

श्री चरण सिंह--मुखलिसपुर (कुआनो नहर), बखिरा तथा बानगंगा की नहरों के कमांड म क्रमशः १,२४,८०० एकड़, ३३,४६५ एकड़ तथा ६५,२०० एकड़ क्षेत्र रक्खा गया है। इसमें कोई भी नहर अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। अनुमानित धनराशि तथा अगस्त, १९५८ तक हुये व्यय का ब्योरा निम्न प्रकार है---

| नहर का नाम | | अनुमानित धनराशि | व्यय अगस्त, १९५८ तक |
|---|---|---|---|
| १--मुखलिसपुर (कुआनो) | .. | ५०,००,००० | ८,७०,९४७ |
| २--बखिरा .. | .. | १४,२१,६५६ | १०,८८,७०९ |
| ३--बान गंगा | .. | ४३,०१,००० | ३८,३४,०९० |

## पक्की सड़कों से न मिलने वाले बस्ती जिले के पुलिस स्टेशन

*१३१--श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में कौन-कौन पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिन तक पक्की सड़कें नहीं पहुंचती हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बस्ती जिले में निम्नलिखित थाने ऐसे हैं जो पक्की सड़कों पर नहीं स्थित हैं :

महुली, घनघटा, दुधारा, उस्का, परसरामपुर, त्रिलोकपुर, लोटन, पैकोलिया, सोन्हा, कप्तानगंज।

*१३२--श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--[३ दिसम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ८५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

## लखनऊ में पी० एस० पी० के आदमियों की गिरफ्तारी

*१३३--श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ७ सितम्बर, १९५८ को लखनऊ शहर में पी०एस०पी० के कितने आदमी गिरफ्तार किये गये और किस किस धारा के अन्तर्गत?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१५ व्यक्ति सी० आर० पी० सी० की धारा १५१/१०७/११७ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये।

## धौरा जलाशय के निर्माण पर व्यय

*१३४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि धौरा जलाशय के निर्माण में अब तक कितनी लागत पर क्या प्रगति हुई है?

श्री चरण सिंह--धौंरा जलाशय के निर्माण में जुलाई, १९५८ तक १९.३१ लाख रुपये का कार्य हो चुका है। बांध के निर्माण में २.२१ करोड़ घनफुट मिट्टी का काम पूरा हुआ।

## गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील में घाघरा का कटाव

*१३५--श्री मदन पाण्डेय--क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में घाघरा नदी के बायें किनारे पर गोला से पश्चिम खैराटी से देवरिया जिले के बरहज बाजार तक नदी द्वारा कटाव हो रहा है तथा बरडीहा, बल्थर, बगहा और कोल खास आदि गांव पांच-पांच बार कट चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कटाव से गांवों की रक्षा के निमित्त उसके द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये?

श्री चरण सिंह---गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में घाघरा नदी के बायें किनारे पर गोला से पश्चिम खैराटी से कुछ थोड़ा-सा कटाव सन् १९५७ में हुआ है। वर्त्तमान काल में भी कटाव की संभावना है। उस ग्राम के पूर्रब तरफ नरहरपुर तक जो १३ मील की दरी पर है कोई कटाव नहीं हो रहा है। नरहरपुर से तहसील बांसगांव के अंतिम ग्राम कोलखास तक बीच में केवल ग्राम डुमरी व कोलखास में इस समय कटाव हो रहा है। ग्राम बल्थर १२ या १४ साल पूर्व कट चुका है। ग्राम बरडिहा तथा बगहा २ वर्ष हुए कट चुके हैं। इन ग्रामों के लोग दूसरे सुरक्षित स्थान पर गयाघाट, सीधेगौर, नेतवार पट्टी में बसाये गये हैं। ग्राम कोलखास गत वर्ष कट गया है और यहां के लोग उसी ग्राम के पास गरियाकोल में अस्थायी रूप से बस गये हैं और कुछ लोग जिला देवरिया के ग्राम कपरवार में बस गये हैं और बसते जा रहे हैं। ग्राम बगहा वालों को सरकार की सहायता से भूमि नेतवार पट्टी में और उसकी सतह ऊंची करके बसाया गया है और उनको मकान बनाने के लिये हर तरह की सहायता भी दी गई है।

*१३६---श्री मदन पाण्डेय---क्या यह सही है कि राज्य के तत्कालीन सूचना एवं सिंचाई मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने सन् १९५५ में उक्त कटाव पीड़ित क्षेत्रों का स्वयं निरीक्षण किया था तथा उक्त क्षेत्र के निवासियों को कटाव से रक्षा हेतु सरकार द्वारा तत्काल प्रयत्न किये जाने का आश्वासन दिया था?

श्री चरण सिंह---तत्कालीन सिंचाई मंत्री जी को इस समय स्मरण नहीं है कि उन्होंने तत्काल प्रयत्न किये जाने का कोई आश्वासन दिया हो।

*१३७---श्री मदन पाण्डेय---क्या यह सही है कि गोरखपुर जिलाधीश ने राज्य सरकार के आदेश पर नवम्बर सन् ५६ में उक्त कटाव पीड़ित क्षेत्र के बगहा, बरडीहा, बल्थर, खैराटी और कोलखास आदि गांवों के निवासियों को फिर से जिले के पकड़ी और मधवलिया रेंजों में बसाने का आश्वासन दिया था तथा एक कमेटी बांसगांव के नायब तहसीलदार के संयोजकत्व में उपयुक्त आवास स्थल देखने के लिये नियुक्त की थी जिसने उक्त जंगल रेंजों में जाकर आववास-स्थल का चयन भी किया था? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट क्या है?

श्री चरण सिंह---सन् १९५६ में बगहा, बरडीहा, बेल्थर, खैराटी व कोलखास के निवासियों ने जमीन मधवलिया रैन्ज में लेने की इच्छा की थी। इसकी जांच हुई। जो जमीन निवासियों ने पसन्द की थी उसमें १,००० एकड़ मधवलिया रेंज के पास जंगल विभाग की थी और कुछ जमीन जनता की थी। इसके अतिरिक्त जंगल के दूसरे टुकड़े में ९० एकड़ जमीन भी जंगल विभाग की थी। कानूनन जो जमीन दूसरों की थी वह खेती के लिये नहीं ली जा सकती थी। ९० एकड़ जमीन जो टुकड़ों में पड़ती थी उसको जंगल विभाग ने नरसरी के लिये रख छोड़ा था, इसलिये वह जमीन भी नहीं ली जा सकती थी। केवल १,००० एकड़ जमीन मधवलिया रेंज में ऐसी थी जो कि पीड़ितों को दी जा सकती थी, परन्तु यह जमीन कृषि के लिये बिल्कुल अयोग्य थी, क्योंकि यह जमीन इतनी नीची थी कि इसमें साल के अधिक महीनों में पानी भरा रहता था और एक फसल भी नहीं बोई जा सकती थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस जिले में गऊसदन योजना बनाने की आज्ञा दे दी थी। इस कारण यह जमीन पशुपालन विभाग को दे दी गई। इस प्रकार मधवलिया रेंज की जमीन उपरोक्त लिखित ग्रामों के निवासियों को न दी जा सकी।

## विलम्ब से प्राप्त होने वाले राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*१३८---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार कृपया उन राजनीतिक पीड़ितों को जो अब तक प्रार्थना-पत्र नहीं दे सके हैं पेंशन या अन्य प्रकार की सुविधा के लिये प्रार्थना पत्र देने के लिये कुछ अवधि और बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अवधि बढ़ाने का तो कोई विचार नहीं है किन्तु विशेष परिस्थिति में यदि कोई प्रार्थना-पत्र अवधि के पश्चात भी प्राप्त होगा तो उस पर विचार किया जा सकता है।

## बांसी व खलीलाबाद तहसीलों पर समाजवादियों का 'घेरा डालो' आन्दोलन

*१३९--श्री उग्रसेन--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले की बांसी तथा खलीलाबाद तहसील केन्द्रों में क्रमशः दिनांक ११-७-५८ एवं २४-७-५८ को सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनता ने घेरा डाला था। यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ११-७-५८ को बांसी तहसील व २४-७-५८ को खलीलाबाद तहसील पर सोशलिस्ट पार्टी के अनुयायी नारे लगाते हुये एकत्रित हुए। उस दिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

## गोंडा जिले में गिरगिटही व खैरवान बांध से निकली नहर की जमीन का मुआवजा न मिलना

*१४०--श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में तहसील बलरामपुर के गिरगिटही व खैरवान बांध से जो नहर निकाली गई है उसका मुआवजा किसानों को मिल गया ? यदि हां, तो कब और कितने लोगों को मिला है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

## नागबासुकि घाट, इलाहाबाद पर व्यय

*१४१--श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि इलाहाबाद के नागबासुकि घाट की मरम्मत के लिये कितने धन की योजना थी और उसमें कितना धन व्यय हुआ ?

श्री चरण सिंह--इलाहाबाद जिले में नागबासुकि घाट के निकट गंगा से कटाव रोकने के लिये ४,९२,००० रु० की योजना बनाई गई थी, जिसके अन्तर्गत ३,६७,५१९ रु० अगस्त, १९५८ तक व्यय हो चुका है।

*१४२--श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या यह सही है कि जितना हिस्सा घाट का बनाया गया है उसमें बहुत-सा हिस्सा फट गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह--यह बात सत्य नहीं है। जितना कार्य इस योजना के अन्तर्गत किया गया है उसमें अभी तक कोई क्षति नहीं हुई।

## मोहनलालगंज पुलिस के खिलाफ श्री गजराज सिंह की शिकायत

*१४३--श्री रामशरण यादव--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २४-७-५८ को ग्राम छतौनी, थाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के निवासियों ने थाना मोहनलालगंज की पुलिस के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की है कि उक्त पुलिस ने गत जुलाई में घर में जबरिया घुसकर औरतों की बेइज्जती की और पंचायतघर के निर्माण हेतु रखे रुपये छीन लिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्री गजराज सिंह, आत्मज श्री गया बख्श सिंह, निवासी ग्राम छितौनी, थाना मोहनलालगंज ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र थाना मोहनलालगंज की पुलिस के विरुद्ध दिया था जिसमें औरतों को गाली देने एवं मारने की धमकी देने व ४७० रुपया संदूक में से निकाल लेने का आरोप लगाया गया था।

*१४४--श्री रामशरण यादव--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त आरोप की जांच डी० एस० पी० (कम्प्लेंट्स), लखनऊ ने की थी और आरोप को सही नहीं पाया। अतः किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

## कला अध्यापक बढ़नी, जिला बस्ती का वेतन

*१४५--श्री दशरथ प्रसाद--क्या यह सही है कि जिला बस्ती के गांधी आदर्श विद्यालय, बढ़नी में कला अध्यापकों को निर्धारित वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, निर्धारित वेतन क्रम ही मिल रहा है।

## आजमगढ़ जिले में सिसुवा ग्राम को ऊंचा करने वाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने की शिकायत

*१४६--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १०-६-५८ को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, बाढ़ विभाग, बलिया तथा २५-७-५८ को उनके पास सिसवा ग्राम, जिला आजमगढ़ के मजदूरों ने ठेकेदारों द्वारा मजदूरी न दिये जाने की लिखित शिकायत भेजी है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--आजमगढ़ जिले में सिसवा ग्राम को ऊंचा करने के कार्य में लगे हुए मजदूरों द्वारा बाकी मजदूरी के संबंध में कोई भी लिखित शिकायत एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, बाढ़ विभाग, बलिया को नहीं प्राप्त हुई और इस प्रकार कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

## जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में बम काण्ड

*१४७--कुंवर श्रीपाल सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा के अन्तर्गत जो बम फटने का कांड जुलाई, सन् १९५८ में हुआ है, उसमें कितने आदमी मरे तथा उस सिलसिले में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त बम कांड में एक आदमी मरा तथा उस सिलसिले में एक आदमी गिरफ्तार किया गया है।

## बाराबंकी जिले में अस्त्रों के नये लाइसेंस

*१४८--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी में १ जनवरी, सन् १९५७ ई० से २४ जुलाई, सन् १९५८ ई० तक बंदूक और रिवाल्वर के लाइसेंस प्राप्त करने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने लाइसेंस थानेवार दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१-१-५७ से २४-७-५८ तक बाराबंकी जिले में बंदूक और रिवाल्वर के लिये कुल ४६८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। थानेवार स्वीकृत लायसेंसों की संख्यायें संलग्न सूची में दी हैं ?

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८८५ पर)

## देवरिया जिलान्तर्गत लार टाउन एरिया के चेयरमैन तथा दो सदस्यों के कत्ल का कथित षड़यन्त्र

*१४९--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि लार टाउन एरिया, जिला देवरिया के कुल सदस्यगण तथा चेयरमैन की कोई दरख्वास्त सरकार के पास आई है जिसमें उपर्युक्त लोगों के कत्ल करने के षड़यंत्र का जिक्र है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लार टाउन एरिया के चेयरमैन तथा दो सदस्यगण की एक दरख्वास्त सरकार के पास आई थी जिसमें केवल इन लोगों के कत्ल करने के षड़यंत्र का जिक्र था।

*१५०--श्री अब्दुल रऊफ लारी--यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आवश्यकीय जांच के पश्चात् जो बातें दरख्वास्त में लिखी थीं वे निराधार पाई गईं ?

*१५१--श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या गृह मंत्री उस प्रार्थना-पत्र की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--प्रार्थना-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८८६ पर)

## झांसी डिवीजन में भांडेर कैनाल पर व्यय

*१५२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भांडेर कैनाल, झांसी डिवीजन की खुदाई में अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितना व्यय अभी और होने की संभावना है ?

श्री चरणसिंह--भांडेर कैनाल की खुदाई तथा पक्के कामों में अब तक कुल १,२०,००,००० रुपया (एक करोड़ बीस लाख रुपया) व्यय हो चुका है, इस नहर का बाकी भाग तथा उसकी उपशाखाओं (distributaries) को बसाने में १,१३,००,००० रुपया (एक करोड़ तेरह लाख रुपया) और व्यय होने की संभावना है।

*१५३--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भांडेर कैनाल, झांसी डिवीजन की लम्बाई कितनी है और इस नहर से प्रथम ३६ मील से कितने रकबे जमीन की सिंचाई होगी ?

श्री चरण सिंह--भांडेर कैनाल की लम्बाई ३६ मील है, उसकी उपशाखाओं की लम्बाई २५० मील होगी। भांडेर कैनाल तथा उसकी उपशाखाओं से कुल १,५४,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की जाने की सम्भावना है ।

## हरदोई जिले की नहरों के खिलाफ शिकायत

*१५४--श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)--क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि पिछली धान की बुआई के समय जिला हरदोई में नहरें समय पर पानी नहीं दे सकीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं ।

*१५५--श्री राजेन्द्रसिंह--क्या राजस्व राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान बरसात में जिला हरदोई में पानी भर जाने के कारण कितने स्थानों पर नहरें या गूलें कटानी पड़ी हैं ?

श्री चरणसिंह--हरदोई जिले की नहरों को बरसाती पानी निकालने के लिये इस वर्ष माह अगस्त में ११२ जगह काटना पड़ा ।

इनमें से १५ जगहें बांधों पर हैं, २ जगहें हरई स्केप पर हैं और ९५ जगहें छोटी नहरों (distributaries and minors) पर हैं ।

## गोरखपुर जिले में धोबहा साइफन का पानी निकालने का प्रबन्ध

*१५६--श्री मदन पाण्डेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में नवनिर्मित धोबहा साइफन द्वारा नहर को पार करने के उपरान्त धोबहा की जलराशि को नदी तक ले जाने की क्या व्यवस्था की गई ह ?

श्री चरण सिंह--धोबहा साइफन की जलराशि को नदी तक ले जाने के लिये न कोई विशेष प्रबन्ध किया गया है और न किसी ऐसे प्रबन्ध की आवश्यकता ही है। चोबहा नाले के बाढ़ का पानी नहर को सुपरपैसेज को पार कर नारायणी नदी के बाढ़ के पानी से जो कि नहर के किनारे से लगाता है, मिल जाता है और उसके साथ नदी में नीचे को बह जाता है।

## बाराबंकी जिले में बाढ़ तथा सूखा की रोक के लिए काम

*१५७--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भविष्य में बाढ़ और सूखा की रोक-थाम के लिये बाराबंकी में क्या कार्यवाही होने जा रही है ?

श्री चरणसिंह--भविष्य में बाढ़ और सूखा की रोक के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है अथवा तजबीज की जा रही है।

बाराबंकी जिले में ७० ग्रामों को ऊंचा करने की एक योजना बनाई गई थी जिनमें से ५० ग्रामों को ऊंचा किया जा चुका है और शेष ग्रामों पर कोष की कमी के कारण काम बाकी रह गया है।

१८ नलकूप बनाये गये हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में चालू कर दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त कोई नलकूप नहीं बनाये जा रहे हैं।

१९ १/२ मील सुल्तानपुर शाखा का निर्माण हो रहा है। यह शारदा सागर द्वितीय योजना के अन्तर्गत बनाई जा रही है। इस योजना द्वारा लगभग ६,००० एकड़ अतिरिक्त कृषि युक्त क्षेत्र परिधि में आवेगा।

लगभग ३६ मील की नहरें नानक सागर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सिंचाई के लिये पूर्ण हो चुकी हैं जो कि इस समय सिंचाई कर रही हैं। चार मील लम्बाई की नहरें और बनाई जानी स्वीकृति हो चुकी हैं। ये नहरें लगभग ५,००० एकड़ क्षेत्र को सिंचाई द्वारा लाभ पहुंचायेंगी उनका कुल अधिकृत क्षेत्र १५,००० एकड़ है। इनका कुल अनुमानित व्यय ३,६५,००० रु० होगा जो कि एन० ई० एस० ब्लाक तथा नानक सागर प्राजेक्ट में निकलेगा। ये नहरें मसौली, रूद्दौली, रामनगर और दरियाबाद ब्लाक में होगी। कुछ नहरेंब्लाक के बाहरी क्षेत्र में होंगी।

७४ मील दरियाबाद शाखा का भी इस जिले में पुनर्निर्माण होना है जो कि अधिक पानी सुल्तानपुर शाखा के लिये ले जायेगी, जो बन रही है। कुछ ड्रेनों क पानी का निकास सुधारने के लिये योजना विचाराधीन है या बन गई है।

लगभग १६ मील की नालियां अब तक पूरी हो चुकी हैं जो कि लगभग ४०० एकड़ क्षेत्र पानी भरने से बचायेंगी।

उनके अतिरिक्त लगभग १९ मील की छोटी नालियों का भी काम जारी है जो कि लगभग १,५०० एकड़ भूमि को जलानुवेधन (water-logging) से बचायेंगी।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त बाढ़ और सूखा रोकने की नालियां बनाने, गूलों को पक्का करने तथा कुछ नई नहरें बनाने की निम्नलिखित योजनाओं का निर्माण किया जावेगा। इन योजनाओं के लिये राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र, हैदरगढ़ से धन मिलेगा तथा इनको पूरा करने में लगभग दो या तीन वर्ष का समय लगेगा।

| क्रम-संख्या | योजना का नाम | कल्चेरेबिल कमांडेड क्षेत्र (एकड़) | वार्षिक आबपाशी (एकड़) | क्षेत्रफल जो बाढ़ से बचाया जावेगा नाले की योजना से | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| | हरपालपुर गूल (पक्का बनाना) | ६९१ | २२२ | .. | |
| | रकशा गूल (पक्का बनाना) | ६५३ | २५६ | .. | |
| | सेहरी माइनर टेल विस्तार | ४५१ | १७० | .. | |
| | कच्ची गूलें बनाना .. | २,१९७ | ३४५ | .. | |
| | खानपुर माइनर का ल .. विस्तार | ४०० | १४७ | .. | |
| | किरसिया माइनर टेल .. का विस्तार | १,३५१ | २४५ | .. | |
| | नालों की योजनायें-- | | | | |
| | गोमिया ताल नाला (टिकरा तथा रानीखेड़ा ग्रामों के क्षेत्र के लिये | .. | .. | | ३०० एकड़ |
| | पैकोली परीवां तथा दुर्गा- गंज ग्रामों के क्षेत्र के लिये नाले | .. | .. | | ५०० एकड़ |

## सरदारनगर, जिला पीलीभीत में पुलिस से झगड़ा

*१५८--श्री प्रताप सिंह--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम सरदारनगर, जिला पीलीभीत में पुलिस और ग्राम के निवासियों में १५-२-५८ को कोई झगड़ा हुआ, जिसमें बारह बोर बन्दूकों के बहुत से फायर पुलिस द्वारा किये गये ? यदि हां, तो पुलिस ने कितने आदमी गिरफ्तार किये हैं और इस झगड़े की इन्क्वायरी किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१५-२-५८ को नहीं बल्कि १३-२-५८ को झगड़े की एक घटना हुई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने अपनी बारह बोर बन्दूक से केवल ३ फायर किये। दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा मजिस्ट्रेट द्वारा इनक्वायरी कराई गई।

## हरदोई जिले के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*१५९--श्री मोहन लाल वर्मा (जिला हरदोई)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में १ जनवरी, १९५८ से आज तक पुलिस के ऐसे कितने कर्मचारी (सिपाही से थानेदार तक) हैं जिनके खिलाफ departmental अथवा अदालत द्वारा कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हरदोई जिले में १-१-१९५८ से ९-८-५८ तक २ सब इस्पेक्टरों, १ हेड कांस्टेबुल तथा १५ कांस्टेबुलों के विरुद्ध वैभागिक तथा ३ कांस्टेबुलों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गई। जिनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गई उनमें से ६ अधिकारियों को पदच्युत किया गया, २ को मिस कन्डक्ट ऐन्ट्री दी गई, ४ के वेतन में अवनति कर दी गई और ६ को छोड़ दिया गया। उन ३ अधिकारियों को जिनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही की गई, न्यायालय से सजा हो गई किन्तु उनकी अपीलें अभी चल रही हैं।

## फर्रुखाबाद जिलान्तर्गत गुरसहायगंज तथा कमालगंज थानों के इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायतें

*१६०---श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमालगंज और गुरसहायगंज, जिला फर्रुखाबाद के थाना इंचार्जों के विरुद्ध सरकार के पास कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१-८-५७ से कमलागंज और गुरसहायगंज के थाना इंचार्जों के विरुद्ध सरकार के पास केवल ३ शिकायती पत्र आये, जिनमें से १ में कमालगंज के थानेदार के विरुद्ध, १ में गुरसहायगंज के थानेदार के विरुद्ध और १ में दोनों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। कमालगंज के थाना इंचार्ज के विरुद्ध आये १ शिकायती पत्र में लगाये आरोप जांच के फलस्वरूप झूठे पाये गये। बाकी शिकायती पत्रों पर जांच जारी है।

## इलाहाबाद जिले के बाढ़ क्षेत्रों में रक्षार्थ कार्य

*१६१---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में गंगा-यमुना की बाढ़ के कारण बहुत से गांव जलमग्न हो गये हैं तथा आदमियों, जानवरों तथा धन की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरणसिंह---इलाहाबाद जिले में ३३६ ग्राम बाढ़ ग्रस्त हुए, मनुष्यों और जानवरों की कोई हानि नहीं हुई। ३ कच्चे मकान गिरे जिनकी लागत ४५० ० थी। उपरोक्त गांव नीचे बसे होने के कारण बाढ़ ग्रस्त हुये। कृषि योग्य भूमि की हानि का सही रूप से बाढ़ के समय में अन्दाजा नहीं किया जा सका है।

*१६२---श्री कल्याणचन्द मोहिले---सरकार ने उक्त स्थानों की रक्षा के लिये कौन-कौन से प्रबन्ध अब तक किये हैं और कौन-कौन से प्रबन्ध करने का इरादा है ?

श्री चरणसिंह---सरकार ने इन ग्रामों की आबादी बचाने के लिये गंगा और यमुना से बाढ़ ग्रस्त ग्रामों में से ५७ ग्रामों को ऊंचा करने की योजना बनाई। जिन में से ४२ ग्रामों पर काम पूरा हो चुका है, ३ पर काम चालू है और शेष १२ ग्रामों पर मिट्टी न मिलने के कारण काम शुरू नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त और कोई तत्कालीन योजना विचाराधीन नहीं है।

## नैनीताल जिले की हल्द्वानी तहसील में नाले के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*१६३---श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या बाढ़ नियन्त्रण विभाग को सूचना है कि नैनीताल जिले की हल्द्वानी तहसील में स्थित बिठौरिया-मुखानी कुसुम खेड़ा क्षेत्र के मध्य बहने वाले बड़े नाले ने कुसुमखेड़ा तल्ला, कुसुम खेड़ा मल्ला, छड़ेल आदि अनेक गांवों की भूमि को काटकर आत्मसात् कर लिया है ?

श्री चरणसिंह---बिठौरिया नाला, हल्द्वानी के भावर क्षेत्र के उत्तर से दक्षिण की ओर बरसात में बहता है। इस नाले में पहाड़ में से आई बजरी, पेड़ व झाड़ी इत्यादि बहुत वेग से बहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र के समाप्त और भावर के प्रारम्भ में जब भूमि का ढाल कम हो जाता है, तमाम बजरी व झाड़ी इत्यादि ठहर जाते हैं और जगह जगह ठेक बना देते हैं। उन ठेकों में बरसाती पानी ठहर कर दाहिनी तथा बाईं तरफ के खेतों में चल देता है और खेत खराब हो जाते हैं। उनमें रेत जमा हो जाता है और फसल व मकान को हानि पहुंचती है।

*१६४---श्री नारायणदत्त तिवारी---यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त वृहत् क्षेत्र के नष्ट प्रायः हो जाने की सम्भावना को देखते हुये उस नाले में बाढ़-नियन्त्रण की कोई योजना बना रही है ?

श्री चरणसिंह---कई साल पूर्व इस नाले पर करीब १० या १२ हजार रुपया खर्च कर क इस नाले को गहरा किया गया था, लेकिन मार्ग का ढाल पर्याप्त न होने से बजरी वगैरह नहीं रुक सकी और धीरे धीरे नाला पट गया। नाले को दुबारा खोदने में लगभग १० हजार रुपया खर्च होने की संभावना है। इसके अलावा इस नाले की देखभाल करने के लिये बरसात में ६ बेलदार रखना आवश्यक होगा। जो कि समय-समय पर नाले की सफाई करते रहेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बाढ़ कार्य के लिये कोष की कमी के कारण यह कार्य इस समय नहीं किया जा सकता है।

## प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को अपने घरों के निकट रखने के सम्बन्ध में जानकारी

*१६५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी किये हैं कि प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को अपने घरों के नजदीक के ही स्कूलों में स्थान दिये जायं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

## अतारांकित प्रश्न

## बरेली जिले में आत्माराम हायर सेकेण्डरी बल्लिया को सहायता देने की प्रार्थना

१---श्री नत्थू सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में आत्माराम हायर सेकेन्डरी बल्लिया को मान्यता प्राप्त किये कितने साल हो गये?

श्री कमलपति त्रिपाठी---जुलाई, सन् १९५४ ई० से।

२---श्री नत्थू सिंह---क्या यह सच है कि इस स्कूल को आज तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिल सकी है? यदि हां, तो क्यों और क्या अब इस साल सरकार कुछ सहायता देने का विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, सहायता नहीं दी गई क्योंकि आवेदन पत्र ही नहीं आया था।

इस वर्ष विषय विचाराधीन है।

---

## राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला, लखनऊ के एक कर्मचारी की मुअत्तली के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---कुछ काम रोको प्रस्ताव आये हुये हैं। एक श्री राजेन्द्र सिंह जी का है। इसमें यह है कि "राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला, लखनऊ के कार्य परिषद् के संयुक्त मंत्री श्री राममुरारी लाल सक्सेना को कारखाने के इंजीनियर मैनेजर द्वारा अवैधानिक ढंग से मोअत्तल कर दिया गया है ..... इत्यादि।"

यह केवल एक विभाग के शासन के अन्तर्गत मामले के सम्बन्ध में है। मैं इसको उपस्थित करने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह ( जिला हरदोई )---बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। मजबूर हड़ताल करने वाले हैं। प्रश्नों के लिये कुछ समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें। लेकिन किसी विभाग में कोई व्यक्ति निकाल दिया जाय तो उस पर कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता।

## राज्य में चावल के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---माननीय मदन पांडेय जी का एक कामरोको प्रस्ताव है कि "गत सप्ताह राज्य में व्यापार योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रसारित विज्ञप्तियों से यह जानकर कि राज्य में गल्ले के थोक व्यापार को सरकार अपने हाथों में ले रही है तथा इसी योजना के अन्तर्गत अरवा चावल का मूल्य. . . . . इत्यादि।

इस विषय में अभी प्रश्नोत्तर हो चुके हैं और मैं समझता हूं इस विषय में अभी एक रोज असरकारी दिन बहुत कुछ बहस भी हो चुकी है। इसलिये उसी बात पर पुनः विचार करने के लिये मैं काम रोको प्रस्ताव की आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--- दो शब्द निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

## बड्डूपुर, जिला बाराबंकी में सोशलिस्ट पार्टी का झन्डा उखाड़ने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---इसके बाद माननीय भगौतीप्रसाद वर्मा जी का है---"जिला बाराबंकी के बड्डूपुर ग्राम में जहां पर स्वर्गीय अवधशरण वर्मा, (लल्ला) भूतपूर्व एम० एल० ए० व सियाराम की हत्या हुई थी और जहां पर उनको हत्यारों ने जलाया था उस स्थान पर समाधि बना कर सोशलिस्ट पार्टी का झन्डा आदि लगा दिया गया था, उसे ४ दिसम्बर के लगभग उक्त मुकदमें के जमानत पर छूटे अभियुक्तों ने उखाड़ दिया और समाधि को क्षतिग्रस्त किया .. इत्यादि।

इसी विषय पर २ दिसम्बर को एक कामरोको प्रस्ताव आया था। उसमें १४ नवम्बर का जिक्र था कि १४ नवम्बर को झंडा उखाड़ दिया। अब ४ दिसम्बर प्रस्ताव में है। मालूम होता है कि लगातार यह उखाड़ा जाता है और लगातार जमाया जाता है। इस प्रश्न को दोबारा फिर से उठाने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह तो पुराना प्रश्न है।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--- अभी तक तो यह छिपा कर उखाड़ा जाता था, लेकिन अब की तो दिन दहाड़े-उखाड़ कर फेंक दिया गया।

श्री अध्यक्ष--- आप लोग कोई समझौता कर लीजिये तो अच्छा हो।

श्री भगौतीप्रसाद वर्मा---अध्यक्ष महोदय . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठिये।

## थाना इन्चार्ज, गोपीगंज, जिला वाराणसी द्वारा कथित गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---इसके बाद श्री उग्रसेन का है कि "२-१२-५८ को थाना इंचार्ज, गोपीगंज जिला वाराणसी ने श्री बाबूनाथ व शिव मूरत को नाजायज तौर पर गिरफ्तार कर थाने में बन्द कर रखा है। थाना इंचार्ज के उपर्युक्त कार्य से जनता में आतंक एवं अरक्षा की भावना व्याप्त है और परिस्थिति विषम हो गई है..... इत्यादि।"।

इसकी अदालती कार्यवाही हो सकती है इसलिये यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं है लेकिन माननीय गृह मंत्री को अगर इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी हो और वे देना चाहें तो दे सकते हैं।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, अभी आज ही तो यह मिला है। बहुत थोड़ी सी जानकारी है। बाबूनाथ के नाम से तो कोई सज्जन गोपीगंज थाने में उस तारीख को गिरफ्तार हुये नहीं हैं। दो सज्जन हुब्बन और शिवनाथ जुये में गिरफ्तार हुये थे।

श्री अध्यक्ष---कब गिरफ्तार हुये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नवम्बर में।

श्री अध्यक्ष---बहुत पुरानी बात है और अनिश्चित है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, हमारे पास तार आया है, उसे पढ़ें...

श्री अध्यक्ष--- मैं समझता हूं कि फुटकर चीजों के लिये आप काम रोको प्रस्ताव ले आते हैं जो उचित नहीं है।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष---अगर आप लिख कर भेज देते तो अब तक जांच हो कर जवाब भी दे दिया जाता। आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

## देवरिया सहकारी बैंक के २५० ग्रुप एकाउन्टेंट के अलग किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक काम रोको प्रस्ताव श्री ब्रजनारायण तिवारी का इस प्रकार है कि :---

"देवरिया सहकारी बैंक के २५० ग्रुप एकाउन्टेंट (सेक्रेटरी) अपने कार्यभार से अलग कर दिये गये। वे सुपरवाइजरों के विस्तृत क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर ऋणों को देने और वसूल करने का कार्य करते थे। उनके अलग कर देने से आम जनता का कार्य सफर कर रहा है तथा वे बेकार हो गये जिससे जनकार्य कठिन हो गया। अतः जनहित, निश्चित तथा आवश्यक प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसमें कोई समय निश्चित नहीं दिया कि कबसे उक्त कर्मचारी कार्यभार से अलग कर दिये गये।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--- श्रीमन्, अभी ५ तारीख के अखबार में देख लीजिये। २५० आदमी गिरफ्तार किये गये। इसकी निश्चितता के बारे में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष---शायद अखबार में पढ़कर आपने बता दिया....

श्री ब्रजनारायण तिवारी--- निश्चित मालूम है इसीलिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी को यदि जानकारी हो तो दे दें।

†सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, अखबार में दो रोज हुये मैंने भी पढ़ा था लेकिन ऐसी कोई सूचना मेरे कार्यालय में नहीं है। २५० आदमी देवरिया में निकाल दिये गये हों इस पर मुझे भी यकीन नहीं होता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सुपरवाइजर्स रखे जाते हैं और जब वह ट्रेनिंग में जाते हैं तो उनको एक साल लग जाता है और इस बीच में टैम्पोरेरी आदमी रख लिये जाते हैं और उनके वापस आने पर वह हटा दिये जाते हैं। लेकिन काम सफर करे और कोई आदमी निकाला जाय या काम में घाटा हो या किसानों की हालत खराब हो या बैंक के लेनदेन में दिक्कत हो, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। मुझे कोई इसके सम्बन्ध में सूचना नहीं है। यह वेग सो चीज है।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मैं प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपके प्रस्ताव के लिये अनिश्चित होने के कारण मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। मंत्री जी के दफ्तर में यदि आप प्रश्न कर लें तो अच्छा हो।

## देवरिया जिले के गन्ना परचेजिंग सेन्टर, बनवारी टोला, बरवा जंगल का गन्ना विक्रय न होने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री ब्रजनारायण तिवारी का यह दूसरा कामरोको प्रस्ताव है कि—"देवरिया जिले के गन्ना परचेजिंग सेंटर सिसवा, बनवारी टोला तथा बरवा जंगल क्षेत्र के गन्ना उत्पादक अभी तक अपने गन्ने का विक्रय नहीं कर रहे हैं जब कि गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने उक्त कांटे का क्षेत्र पंजाबी शुगर मिल, रामकोला को गन्ना देने के लिये आदेश दे दिया है और कांटा भी लग चुका है। फिर भी डी० सी० ओ०, देवरिया अब तक आदेश का पालन करने में आना-कानी कर रहे हैं जिससे किसानों में घोर असंतोष तथा नुकसान हो रहा है। अतः इस जनहित के निश्चित, अत्यावश्यक तथा तात्कालिक प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसमें भी आपने कोई तारीख नहीं दी कि कब से गन्ना देना बंद कर दिया गया है?

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कई रोज से फैक्टरी चल रही है और १२ रोज से आज तक न तो वहां पुर्जी बटी, न पैसा बटा और न गन्ना बिक रहा है। कांटा लगा हुआ है और आयुक्त के आदेश भी हैं, लेकिन डी० सी० ओ० पक्षपात के कारण चाहते नहीं हैं कि उस मिल में गन्ना जाय। हालांकि गन्ना उसी मिल के लिये जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपने सूचना दे दी। इससे मालूम होता है कि ११ रोज से वहां कार्य नहीं हो रहा है। इसलिये इसको आप सदन में बैठक के पहले रोज लाते.....

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, ....

श्री अध्यक्ष—आप बहस न करें। जो आपने सूचना दी उससे मालूम होता है कि यह मामला ११ दिन पुराना है। आपको पहले रोज उठाना चाहिये था और चूंकि नहीं उठाया इसलिये काम-रोको प्रस्ताव का विषय अनावश्यकता के आधार पर नहीं बन सकता है। माननीय मंत्री जी को यदि कोई सूचना हो तो वह इस विषय में दे दें तो अच्छा हो, क्योंकि बहुत से लोगों से सम्बन्धित विषय है।

†मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, सिसवा नाम का कोई सेंटर है नहीं। खैर, बनवारी टोला और बरवा जंगल नाम के सेंटर हैं। इस सम्बन्ध में दो मिलों का झगड़ा है। किसानों का कोई ताल्लुक नहीं है, न किसान इस झगड़े के अन्दर आते हैं। कुछ सेंटर हैं जो कि पंजाबी को दिये गये हैं। देवरिया मिल कहता है कि हमको मिलना चाहिये। उन्होंने गन्ना आयुक्त के यहां अपील कर रखी है। वह विचार कर रहे हैं। इस नोटिस के मिलने के बाद दरियाफ्त किया गया तो मालूम हुआ कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आयी कि काश्तकारों का गन्ना नहीं बिक रहा है या डी० सी० ओ० किसी किस्म से उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है।

## जिला खीरी में गेहूं और चने का बीज न देने पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक बंशीधर शुक्ल जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव है कि हमारे जिला लखीमपुर खीरी में जहां का आधा जिला बहिया से चौपट हो गया है अभी तक वहां के पीड़ित किसानों

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सरकार की ओर से रबी की फसल बोने के लिये गेंहू तथा चना का बीज नहीं दिया गया। आज पूरे जिले में डेढ़ लाख एकड़ जमीन बिना बोई पड़ी है। इस भुखमरी के युग में हजारों किसानों के भविष्य में भूख से मरने की भीषण स्थिति पैदा हो गयी है। अतः आज का सदन अपना सर्व कार्य स्थगित करके इस महान कार्य पर प्रथम विचार करता है।"

यह भी पहले रोज आ जाना चाहिये था।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)——पहले रोज आया था।

श्री अध्यक्ष——वह खत्म हो गया।

श्री बंशीधर शुक्ल——आपने कहा था कि यह व्योरेवार नहीं है, तो अब यह व्योरेवार है।

श्री अध्यक्ष——इसमें भी गोल ही गोल बातें हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल——अगर आप कहें तो गांव बता दूं, जिले में जहां-जहां बहिया आयी है, जहां के काश्तकार चौपट हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके बैठें।

श्री बंशीधर शुक्ल——लेकिन आप इस प्रस्ताव.....

श्री अध्यक्ष——लेकिन आप दोबारा प्रस्ताव ला ही नहीं सकते एक ही विषय के सम्बन्ध में।

माननीय मंत्री जो कोई सूचना देना चाहें तो आप ले लें।

†सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)——अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने यह प्रस्ताव पढ़ दिया है, कोई गलतफहमी जनता में न हो इसलिये जरूरी है कि मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। जहां तक बीज बांटने का सम्बन्ध है कोआपरेटिव और ऐग्रीकल्चरल सीड स्टोर्स ने ८० हजार ६ सौ १४ मन बीज बांटा। हमने बाहर से २ हजार ३ सौ मन चना भेजा और ११ हजार मन गेंहूं भेजा। चना २३ सौ मन में से १८ सौ मन बंट गया और अभी ५ सौ मन बाकी है। गेहूं ११ हजार मन में से ८ हजार मन बंट गया। इस तरह से लगभग १० हजार मन यह और ८० हजार ६ सौ १४ मन वह इतना बीज बंट चुका है। अभी ३ हजार मन गेहूं और ५ सौ मन चना बाकी है।

श्री अध्यक्ष——मंत्री जी के पास कोई शिकायत नहीं आयी ?

श्री मोहनलाल गौतम——ए० डी० ओ० की खबर है कि एक भी एकड़ जमीन बोयी जाने से बाकी नहीं है।

श्री बंशीधर शुक्ल——क्या आप जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके बैठें। यही स्थान जांच का नहीं है, जांच करने का स्थान उनका दफ्तर है।

श्री बंशीधर शुक्ल——बिना बोये किसान पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके बैठें। आप नाराज तो होते हैं, लेकिन देखिए तरीका यह है कि जब कोई जमीन परती रहे और बीज न मिले तो पहली बात यह करनी चाहिये कि आप मंत्री जी को पत्र लिखें कि अफसर लोग परती पड़ी हुई जमीन को बीज नहीं दे रहे हैं। वह काम न करके आप सीधे चले आते हैं सदन में और यहां कार्यस्थगन प्रस्ताव देते हैं। इसका मतलब

---

†वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

है कि यह केवल प्रचार की चीज होती है। उस काम को आप कराना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप माननीय मंत्री जी से कहें या लिखें। यदि तब वह उस काम को नहीं करते हैं और बारबार कहने पर भी कई दिन गुजर जाते हैं तब आप प्रश्नों के जरिये से उत्तर ले सकते हैं। तब भी अगर वह नहीं मानते हैं तब आप कामरोको प्रस्ताव ला सकते हैं। किन्तु कोई भी कामरोको प्रस्ताव अखबार में केवल खबर पढ़ लेने से यहां पर लिखकर नहीं लाया जा सकता। यदि आप सीधे कार्यवाही करें तो यह लोगों के लिये अधिक हितकर होगा। इसलिये मैं इस तरह से कामरोको प्रस्ताव का लाना अनुचित समझता हूं।

## राज्य में चावल का मूल्य कम निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री अब्दुल रऊफ लारी का है जिसमें वह कहते हैं कि "सरकार ने प्रदेश के कतिपय जिलों में अरवा तथा सेल्हा चावल का भाव क्रमशः १५ रुपये मन से लेकर १९.७५ नये पैसे तथा १४.५० नये पैसे प्रतिमन से लेकर १९.२५ नये पैसे तक निश्चित किया है जब कि सहकारिता एवं कृषि विभाग द्वारा पुराने धान के बीज की वसूली गोरखपुर जिले में रुपये में १७ रुपये से लेकर २० रुपये प्रतिमन तक हो रही है जिससे किसानों ने क्षोभ तथा असन्तोष व्याप्त है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिये यह सदन कार्य स्थगन करे।"

इसका उत्तर दिया जा चुका है कि केन्द्रीय सरकार ने इन दरों को निश्चित किया है। यह केवल प्रान्तीय सरकार का विषय नहीं है। इसलिये इस पर यहां पर भाव निश्चित करने के सम्बन्ध में बहस नहीं हो सकती। अतः मैं इस कामरोको प्रस्ताव के लिये इजाजत नहीं देता हूं कि वह यहां पर उपस्थित किया जाय।

†श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---सरकार अपना धान किसानों से बकाया का २० रुपये के हिसाब से वसूल कर रही है और किसानों का धान १५ रुपये मन के हिसाब से ले रही है, जो उचित नहीं है। मैंने इस बात को मंत्री जी के पास भी लिखकर भेजा लेकिन अभी तक काई जवाब नहीं मिल सका है। इसलिये मैंने इस प्रश्न को यहां पर उपस्थित किया।

†श्री उग्रसेन---(जिला देवरिया)---हम अपनी कठिनाई सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। जब बीज नहीं मिलता है तो खेत पड़ती रह जाते हैं। सारे प्रदेश में यह बात हुई है। इस समय विभाग के अधिकारियों ने और लेखपाल ने जो लिख दिया वह उनके पास था। यहां से जब रिपोर्ट मांगी गई तो वही रिपोर्ट उन्होंने वहां से भेज दी और उसी लेखपाल की रिपोर्ट को सरकार ने मान लिया। लेखपाल के लिख देने से यह बात पैदा हो जाती है। मैं चलकर, श्रीमन्, दिखा सकता हूं कि खेत बोने से बाकी रह गये हैं या नहीं। यह हमारी कठिनाई है और इसी कठिनाई की वजह से हम सरकार के सामने यह कामरोकों प्रस्ताव लाते हैं।

श्री अध्यक्ष---यह अभी आपने नहीं बतलाया कि आपने माननीय मंत्री जी को लिखकर भेजा। सिर्फ कामरोको प्रस्ताव यहां पर उपस्थित किया। जो कामरोको प्रस्ताव आपने यहां पर रखा उस प्रस्ताव को लाने मात्र से आपने अपने फर्ज को अदा नहीं किया और फिर सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जांच क्यों नहीं की।

†सहकारिता मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)---जहां तक देवरिया का सम्बन्ध है श्री गेंदा-सिंह जी ने मुझको तार भी दिया था और खत भी लिखा था। मैंने यहां हैडक्वार्टर से अपने डिप्टी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डायरेक्टर को उनके साथ भेजा था । उसके बाद फिर उनका कोई खेत नहीं आया कि यह बीज वहां लोगों को नहीं मिला । अगर कहीं पर कमी हुई हो तो वह मुझे तो मालूम नहीं लेकिन कम से कम माननीय सदस्य मुझे किसी गांव को या किसी जगह को बतायें तो मैं वहां बीज पहुंचवा दूंगा । अभी मेरे पास बीज है । मैं नहीं समझता कि कहां पर इतनी जमीन बाकी है जिसका जिक्र किया गया है और यह कहा गया है कि बीज भेजा नहीं गया । अगर इतनी जमीन कहीं थी तो वह जरूर देखी जा सकती थी । माननीय गेंदासिंह जी से प्रार्थना की गई, यहां से डिप्टी डाइरेक्टर को भेजा गया । उसके बाद मालूम नहीं हुआ कि कहां पर कोई जमीन बाकी है । अगर किसी गांव में किसी किसान की जमीन बाकी है और उसको बीज नहीं मिल सका है तो वह बात इस तरह से न कहकर उत्पादन की बात की जाय तो यह मेरे लिये ज्यादा हेल्पफुल होगा । जो जमीन बाकी है मैं उसका प्रबन्ध कर दूंगा ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, इस पर मुझे एक मिनट का समय बात कहने के लिये दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं ।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों के विषयों के बारे में जानकारी

श्री अध्यक्ष ---उस दिन जो राजनारायण जी का कामरोको प्रस्ताव था उस पर मननीय मुख्य मंत्री ने जानकारी देने को कहा था । अगर आज वह देना चाहें तो सदत को बता दें ।

मुख्य मन्त्री (डाक्ट सम्पूर्णानन्द)---मैं आशा करता हूं कि कल तक दे सकूंगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बीज के बारे में ८, १० गांव मेरे क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर लोगों को बीज का एक दाना भी नहीं मिला है और मैं लिख कर भेजूंगा । श्रीमन्, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नेता लोग कहते तो हैं लेकिन बाजार में १२ आने सेर आटा, १२ आने सेर दूध और १२ आने सेर टमाटर, सभी कुछ १२ आने सेर, यह "अन्धेर नगरी बे पूछ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा यह राजा" क्या कर सकते हैं। श्रीमन्, मुझे आप से छोटी सी बात निवेदन करनी है । मैं तो कभी कुछ कहता ही नहीं ।

## साप्ताहिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व सदन के नेता इस सप्ताह की कार्यसूची क्या है, बताने की कृपा करेंगे ? यह नियम सा बन गया है कि प्रति सोमवार को वह सप्ताह की कार्यसूची बताया करेंगे, तो क्या वह बताने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, कार्यसूची का बहुत सा अंश दी हुई कार्य-सूची में आ गया है जिसमें इंटरटेन्मेंट टैक्स बिल, रजिस्ट्रेशन, रिपीलिंग अमेंडिंग बिल, कुमायूं जमींदारी अबालिशन बिल और रूल्स हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं सूचना के लिये धन्यवाद देते हुये कि पिछली कार्यसूची में प्रक्रिया नियमावली पर विचार के लिये ११ तारीख रखी गयी थी, क्या वह अब भी कायम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैंने अभी रूल्स की बात कही । उससे मतलब प्रक्रिया नियमावली से ही था ।

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते हैं कि ११ तारीख को रूल्स लिये जावेंगे या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---११ तारीख को शायद न हो सकें ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--जितना कार्य बताया गया है, यह निश्चित है कि वह १४, १५ तक पूरा नहीं हो सकता । इसके अलावा वाटर लागिंग आदि पर डिस्कशन भी है । तो ऐसी हालत में मैं जानना चाहूंगा कि सदन कब तक चलेगा ? यह सदन सब कार्य समाप्त करने के पश्चात् उठेगा अथवा उठ जायेगा चाहे यह कार्य समाप्त हो या न हो ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मैं गौरीशंकर राय जी से इस बात में इत्तफाक करता हूं कि इतने कम समय में यह सब काम नहीं हो सकता है । यह टैक्सेशन के इम्पार्टेन्ट बिल हैं, वह जल्दी पास नहीं हो सकते । माननीय मंत्री जी क्या यह घोषणा करेंगे कि सदन का समय बढ़ाया जाता है ? मैं निश्चित बात जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--सदन के उठने का कोई निश्चित समय नहीं है ।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--समय बढ़ाये जाने का सवाल इसलिये पैदा नहीं होता कि कोई खास तारीख हमने बतायी नहीं थी कि इस समय सदन उठ जायगा । जो मनी बिल्स हैं उनको अवश्य प्राथमिकता दी जायगी । उनका पहले होना जरूरी है । साथ ही मैं ऐसा समझता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्यों का भी यह खयाल है कि जहां तक हो सके, इस बैठक को १४, १५ तक समाप्त कर दिया जाय । एक आध दिन आगे पीछे की बात नहीं कही जा सकती, लेकिन अधिकांश लोगों की यही इच्छा है कि जितना काम हो सके उतना करें । और इस के अलावा इस पर बिजनेस कमेटी ने भी सोचा होगा या सोच रही होगी और ज्यादा ब्योरे की बात उसी वक्त सामने आ सकेगी ।

## उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ आपकी आज्ञा से पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८८७-८९५ पर)

## उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८९६-९०० पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह मनी बिल जो पुरः स्थापित किये गये हैं उन पर क्या गवर्नर महोदय की अनुमति है ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, वह आ चुकी है ।

## विभिन्न विधेयकों पर विवादार्थ कार्य परामर्शसमिति द्वारा समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--मुझे एक सूचना देनी है । नियम ५ के अन्तर्गत मुझे यह सूचना देनी है कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी ८ दिसम्बर, १९५८ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों पर सामान्य विवाद, खंडशः विवाद, तथा पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय--

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५७, संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित, उसके लिये १६ घंटे; उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ के लिये ४ घंटे; उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ के लिये १० घंटे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय के निर्धारण से सहमत है ।

१---कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५७ (संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित) ;

२---उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ ;

३---उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---श्री मोतीलाल अवस्थी जी कुछ कहना चाहते हैं ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं । बिजनेस कमेटी द्वारा निर्धारित समय का प्रस्ताव जो हमारे सामने रखा गया है, उसे आप देखें तो मालूम होगा कि पहले भी कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक जब कमेटी के सामने गया था तो उस वक्त भी काफी लोग उस पर बोलना चाहते थे और अब जब कमेटी के सामने से आ रहा है तो उस पर काफी लोगों के बोलने की गुंजायश है । दूसरे जो स्टैम्प बिल और कोर्ट फीस बिल हैं वे मनी बिल हैं जिनके जरिये लाखों रुपये का ट्रांजेक्शन होने वाला है । मालूम होता है कि सरकार टैक्सेशन के जरिये और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है....

श्री अध्यक्ष---समय तो कार्य परामर्शदात्री समिति ने निश्चय किया है, सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । आप समय निर्धारण के ऊपर अपनी राय दें, सरकार के ऊपर कोई आक्षेप न करें । इसे तो कार्य परामर्शदात्री समिति ने निश्चय करके भेजा है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आपकी आज्ञा से बिजनेस कमेटी के बारे में यह बतलाना चाहता हूं कि वहां पर जो यह समय दिर्धारण किया गया है वह बहुमत से ही किया गया है, सर्वसम्मति से नहीं ।

श्री अध्यक्ष---आप उसके अन्दर की बात कम से कम यहां न कहें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिजनेस कमेटी का निर्णय चाहे जिस प्रकार से भी हुआ हो, लेकिन हम लोगों को वह मान्य नहीं है क्योंकि वह सर्व सम्मति से तय नहीं हुआ है । इसलिये अच्छा यही है कि बिजनेस कमेटी के पास इसे पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय । मुझे आप आज्ञा दें तो मैं यहां तक कहूंगा कि बिजनेस कमेटी बिलकुल निकम्मी है, उसको आप तोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

* श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र सिंह बिष्ट ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५७ के लिये कम से कम १ हफ्ता दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---तो आप यह कहें कि इसको बिजनेस कमेटी के पास पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय, जैसा कि उन्होंने कहा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---ठीक है, इसको पुनर्विचार के लिये भेज दिया जाय ।

इसके अलावा श्रीमन्, मुझे यह भी अर्ज करना है कि जब उत्तर प्रदेश जमींदारी अबालिशन बिल पेश हुआ था तो वह बहुत लम्बे अर्से तक चला लेकिन कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल जब सेलेक्ट कमेटी में गया तो उस समय सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिये विरोधी पक्ष उपस्थित नहीं रह सका और उस पर अपनी राय कुछ भी नहीं दे सका । हम लोग उस पर कुछ भी विचार-विनिमय नहीं कर सके और मैंने अपनी असहमति की एक टिप्पणी भी भेजी थी जो सभापति जी के कथनानुसार देर में पहुंची जिससे उसका समावेश उसमें नहीं किया जा सका । मैं देख रहा हूं कि बार एसोसियेशन की जो राय थी उसका भी कहीं समावेश रिपोर्ट में नहीं है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये अधिक समय दिया जाय ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि आम तौर पर इसके लिये कम से कम १ हफ्ते का समय दिया जाय ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---मान्यवर, मुझे दुख है कि जनसंघ के उप-नेता ने जो बात कही है उसका मैं विरोध करूं, इसलिये कि कुमायूं जमींदारी अबालिशन बिल के लाने में दिन-ब-दिन देरी होती चली जा रही है । मैं बिजनेस कमेटी से सिफारिश करूंगा कि वह इसे शीघ्रातिशीघ्र सदन में लाये और जो विचार उसके सम्बन्ध में जिस किसी को प्रकट करने हैं वे सदन में किये जायं और उस समय उन विचारों पर निर्णय हो सकता है ।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मेरा निवेदन यह है कि जहां तक कुमायूं जमींदारी अबालिशन का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वह पास हो जाय और उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये, लेकिन मनी बिल्स जो हैं उनका मैं विरोध करता हूं । मैं हरगिज यह नहीं चाहता कि इतनी जल्दी में तय कर लिया जाय और करोड़ों रुपये के टैक्सेज लोगों पर लग जांय । सरकार ऐसा इंन्तजाम करे कि फिर दूसरे सदन के लिये इनको रख दे तो उचित होगा । इसका विरोध वहां भी किया गया और यहां भी हम करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित इन तीनों विधेयकों के सम्बन्ध में जो समय निर्धारित किया गया है उन पर पुनर्विचार के लिये इन तीनों विधेयकों को पुनः समिति के पास भेज दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१८,

विपक्ष में---१२१ ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(समाजवादी पार्टी द्वारा सदन त्याग ।)

श्री अध्यक्ष---अब दूसरा संशोधन यह है कि कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था, विधेयक, १९५७, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, इसके लिये जो कार्य परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित समय है उस सम्बन्ध में पुनर्विचार के लिये इसको कार्य परामर्श समिति के पास भेजा जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)--अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में कुछ राय जाहिर करने का वक्त नहीं दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं । वह समय निकल गया अब तो वोट का समय है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया, और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने के लिये कार्य-परामर्श समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :--

(१) कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था, विधेयक, १९५७, संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित,

(२) उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८, और

(३) उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--अध्यक्ष महोदय मुझे एक प्रार्थना करनी है । आज का जो बिजनेस है उसमें २ घंटे के लिये पहले उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ आयेगा उसके बाद आध घंटे के लिये उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८ आयेगा । तो ४ बजे तक काम समाप्त हो जायगा । तो मेरी प्रार्थना है कि अभी बहुत ज्यादा काम करना है इसलिये आज असेम्बली १ घंटा पहले खत्म करने से अच्छा यह होगा कि आज का १ घंटा उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ के लिये दे दिया जाय और बिजनेस कमेटी ने जो इसके लिये ४ घंटे का समय दिया है तो शेष ३ घंटे कल दे दिये जायं ।

*श्री गौरी शंकर राय--अध्यक्ष महोदय, मुझको आपत्ति है । मुझे निवेदन यह करना है कि एजेन्डे में आज का जो काम है वह कम काम है । इसके बाद मेरा यह निवेदन है कि कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५७ को पहले ले लिया जाय और जब वह समाप्त हो जाय तब इस हाउस में दूसरा कार्य लिया जाय । और जब यह कार्य समाप्त हो जाय तब फिर वही कार्य लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--(श्री गोविन्द सिंह विष्ट के कुछ कहने पर) दो, दो प्रस्ताव एक साथ नहीं होंगे । अभी तो उनके प्रस्ताव का वह विरोध कर रहे हैं ।

*श्री गोविन्द सिंह विष्ट--प्रध्यक्ष महोदय, मैं नरेन्द्र सिंह विष्ट जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आज का भी १ घंटा ले लिया जाय और कल का पूरा दिन रहने दिया जाय उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ के लिये । और मैं गौरी शंकर राय जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । वह तो कुमायूं के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं । फिर कुमायूं में अभी सर्वे ही हो रहा है, वहां कार्य भी पूरा नहीं हुआ है इधर बिल भी अगर जल्दी पास हो गया तो...

श्री अध्यक्ष--मेरा खयाल है कि जब इसमें विरोध है.....

श्री गौरी शंकर राय--मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । आप इसके सम्बन्ध में प्रिफरेंस तय करेंगे या हाउस करेगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--मैं बताये देता हूं । आपको एतराज है । क्योंकि पिछले दिन मैंने यह कहा था, उस रोज पूछा गया कि दो, ढाई घंटे के बाद कौन सा विधेयक लिया जायगा, तो मैंने शायद यह कहा था कि कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था, विधेयक, १९५७ ले लिया जायगा । क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश स्टैम्प और कोर्ट फीस विधेयक उपस्थित नहीं किये गये थे । अब आज आक्षेप करने का हर एक को अधिकार है । आज जब यह उपस्थित कर दिये गये हैं तो आज ही उनको जब तक सर्वसम्मति इस बारे में नहीं होती, तब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा कि उनको ३, ४ बजे के बाद और आज ही ले लिया जाय । तो अगर १ घंटा बचता है, मैं समझता हूं १ घंटा भी शायद ही बचे, क्योंकि बहस शुरू होते समय तक काफी समय निकल जाता है, एक प्रस्ताव न्याय मंत्री जो अभी ला भी रहे हैं, तो इस तरह के कुछ समय फुटकर निकल भी जाता है ।

यदि सरकार कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक को उपस्थित करना नहीं चाहती है तो काम समाप्त होने पर या जिस वक्त ढाई घंटे समाप्त होंगे आज का काम समाप्त हो जायगा । यही फैसला हो गया । अब प्रस्ताव मैं नहीं रखूंगा ।

श्री गौरी शंकर राय--अध्यक्ष महोदय, क्रम के सम्बन्ध में आप व्यवस्था देंगे या सदन ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो सरकार को पूर्ण अधिकार है, लेकिन उसमें यदि मैं कोई अवैधानिकता देखूंगा तो इस सम्बन्ध में मुझे जो नियमों में अधिकार है उसके अनुसार यदि नोटिस का समय कम होगा तो मैं स्वीकार करूं या न करूं । लेकिन चूंकि मैं पहले कह चुका था कि इस के बाद कुमायूं जमींदारी विनाश बिल लिया जायगा, उसमें अब परिवर्त्तन होता है । अब देखना यह है कि अगर आज ही बिल उपस्थित किया जाता है तो जिन लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि आज का दिन तो यहीं बैठे सदस्यों का बीत जायगा और कोई वक्त उन के लिये पढ़ने का नहीं होगा । इसलिये मैंने फैसला कर दिया कि उचित नोटिस का समय न होने के कारण उस विधेयक पर आज विचार नहीं होगा ।

श्री गौरी शंकर राय--क्या मंत्री जी को कोई परेशानी है आज या कल के लिये ?

श्री अध्यक्ष--माननीय माल मंत्री जी तो जब समय आयेगा तो अपनी परेशानी या खुशी जाहिर कर देंगे । वह इस वक्त पूछना तो कब्लजवक्त है ।

## आगरा जिले की जलमग्न भूमि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद के संबंध में जानकारी

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--श्रीमन्, स्वामी विश्वेश्वरानन्द के प्रस्ताव पर माननीय विरोधी दल के नेता ने बहस के लिये कुछ समय की मांग की थी और आप ने विश्वास दिलाया था कि एक भारी क्षेत्र में पानी भर जाने के विषय पर कुछ समय दिया जायगा .....

श्री अध्यक्ष--उसका तो मैंने फैसला कर दिया था कि उस विषय पर १० तारीख को ३ बजे से ५ बजे शाम तक बहस होगी ।

## विधेयक पर विवादार्थ निर्धारित समय में वृद्धि का सुझाव

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, आज जो समय बच रहा है उस में से आधा घंटा मनोरंजन विधेयक पर और बढ़ा दिया जाय ताकि माननीय सदस्यों का कुछ और एन्टरटेनमेंट हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--मंत्री जी यदि मनोरंजन ज्यादा चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं ।

# प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन*

**श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल** (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

हमें खेद है कि हम इस प्रतिवेदन को इससे पूर्व उपस्थित न कर सके । वाकया यह है कि सन् १९५७ में यह समिति मुकर्रर हुई थी, अक्तूबर में इसकी पहली बैठक हुई । उसके बाद हर माह इसकी बैठकें होती रहीं, लेकिन इस समिति का काम कुछ ऐसा है कि उसमें वादविवाद काफी हो जाता है और किसी विषय पर बिना पूरे इतमिनान किये समिति किसी फैसले पर नहीं पहुंचती । इसलिये नियमों में संशोधनों को तय करने में काफी समय लग जाता है ।

आपने इस समिति का उद्घाटन करते हुए ठीक ही फरमाया था कि यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण समिति है और इसके सदस्यों पर एक विशेष उत्तरदायित्व है और उन्हें बड़ी होशियारी और सावधानी के साथ अपने कर्त्तव्यों का पालन करना है । समिति को हर एक धारा और उसके अन्तर्गत बनाये हुए नियम पर गौर करना पड़ता है । यह रिपोर्ट समिति के १७ जुलाई, १९५८ तक के काम के बारे में है ।

मुझे सदन क्षमा करे, मैं पेपर की सहायता लेकर यह चीज रख रहा हूं, इसकी वजह यह है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष**---आप प्रतिवेदन पेश कर रहे हैं, आप लिखित पेश कर सकते हैं और लिखित स्टेटमेंट दे सकते हैं ।

**श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल**---६ अधिनियमों की हमने पड़ताल की---जोत चकबन्दी, जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था, बिक्री कर, माल-मेला, पंचायत राज और मोटर वेहिकिल्स । इनके नियमों की देख-रेख की और जो संशोधन उचित समझा उसको तजवीज किया । यह समिति आशा करती है कि सरकार इन संशोधनों से इत्तफाक करेगी ।

समिति को नियमों में कोई नुक्स संविधान के विपरीत होने का नहीं मिला, लेकिन ऐसे नियम जरूर पाये गये कि जो अधिनियम के अनुकूल न थे । मसलन चकबन्दी अधिनियम की धारा २९-बी के अनुसार खातेदार को प्रतिकर केवल नकदी में ही दिया जायगा । इस धारा के अन्तर्गत नियम ५७, उप नियम ५ बना है, जिसके अनुसार प्रतिकर adjustment से यानी संधानित करके दिया जायगा । यह नियम उपरोक्त धारा २९-बी के प्रतिकूल है ।

समिति को कुछ ऐसे नियम भी मिले कि जिनका स्थान समिति की राय में नियमों में होने के बजाय अधिनियम में होना चाहिए था । मसलन, चकबन्दी अधिनियम की धारा १२ (३) के अनुसार चकबन्दी अधिकारी का फैसला कतई, यानी final है, बशर्ते कि उसके विरुद्ध कोई दूसरी धारा या नियम न बना हो । इस धारा के अधीन नियम ३४ (३) में चक-बन्दी अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार दिया है ।

**श्री अध्यक्ष**---मैं समझता हूं, आपको बहुत ब्योरे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट तो सबके सामने आयेगी ही ।

**श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल**---जी हां । एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि जो पहली रिपोर्ट इस समिति से पहली समिति की थी उसमें हमने यह बात लिखी थी कि जो नियम सरकार बनाती है उसकी बाबत नियमों में यह भी लिखा जाय कि वह अधि-नियम की किस धारा के अन्तर्गत है । इसको सरकार ने मान लिया है और उन्होंने समिति को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात को माना है, वह आज ही आया है, लेकिन इस पर पूरे तौर से अमल नहीं हुआ । सब नियमों में धारा नहीं लिखी जाती और बाज औकात

---

*छापा नहीं गया ।

[श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल]

किसी मखसूस धारा का हवाला देने के बजाय ऐसी आम धारा का हवाला दे दिया जाता है कि जो अधिनियम के अन्त में आम तौर पर नियम बनाने का अधिकार देती है। उसकी वजह से पूरा पता नहीं चलता कि दरअसल कौनसी धारा के अन्तर्गत नियम बना है। अगर हर नियम के साथ मखसूस धारा का हवाला दे दिया जाय तो उससे समिति को नियमों की देख-रेख में काफी सुविधा होगी और समय भी काफी बचेगा।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जो पिछली रिपोर्ट में सरकार से सामान्य सिफारिशें की गयी थीं वे सब सरकार ने सिवाय एक सुझाव के, मान ली हैं। उस पर कमेटी पुनः विचार करेगी और उसको सरकार के सामने रखेगी।

अन्त में, मैं श्री देवकीनन्दन मित्थल, सचिव विधान सभा और श्री भोलादत्त उपाध्याय, समिति अधिकारी को धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने इस रिपोर्ट की तैयारी और नियमों की रोजमर्रा की देख-रेख में समिति की काफी मदद की।

## यू०पी० नर्सेज ऐण्ड मिडवाइव्ज कौन्सिल के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, यू० पी० नर्सेज ऐंड मिडवाइव्ज कौंसिल में श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा श्री धर्मदत्त वैद्य के स्थान, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के ३१ मार्च, १९५७ के अपराह्न से विघटन के कारण रिक्त हैं, पर विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ की धारा ९ के साथ पठित धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (बी) (१) के अनुसार करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, यू० पी० नर्सेज ऐन्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में श्रीमती लक्ष्मी देवी तथा श्री धर्म दत्त वैद्य के स्थान, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के ३१ मार्च, १९५७ के अपराह्न से विघटन के कारण रिक्त है, पर विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन यू० पी० नर्सेज, मिड-वाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ के धारा ९ के साथ पठित धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (बी) (१) के अनुसार करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—तो मैं इसके लिये सूचना दे दूं कि जो प्रस्ताव अभी स्वीकृत हुआ है उसके अनुसार इस प्रकार कार्यक्रम होगा—नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय १०-१२-१९५८ सायंकाल ४ बजे तक। नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय १०-१२-१९५८ सायंकाल ५ बजे तक सचिव के कमरे में। नाम वापसी की अंतिम तिथि तथा समय १२-१२-१९५८ मध्यान्ह १ बजे तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में १३-१२-१९५८ को २ बजे से ५ बजे तक होगा।

## उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८*

वित्त मन्त्री (श्री सैयद अलीजहीर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि इस तरमीम के जरिये जो पुरानी दफा ३ (१) कानून की थी उसकी जगह पर एक नयी दफा इस्तेमाल की जा रही है। इसकी वजह यह है कि

---

*१-१२-१९५८ की कार्यवाही में छपा है।

फिल्म इन्क्वायरी कमेटी और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने यह तरमीम पेश की कि कानून के जरिये से अगर कोई मखसूस रकम टैक्स को मुअय्यन की जाती है तो ठीक तौर से उससे काम नहीं होता है, बल्कि उसकी वजह से अक्सर सिनेमा वालों की आमदनी भी घट जाती है और सरकार को भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। पुरानी दफा में यह लिखा हुआ था कि २ आने से लेकर ३ आने तक और ३ आने से ४ आने तक और इसी तरह से ५ रुपये से साढ़े ६ रुपये तक और साढ़े ६ रुपये से १० रुपये तक और १० रुपये से ऊपर के लिये क्या-क्या टैक्स होंगे और उनकी रकमें निर्धारित कर दी गयी थीं। लेकिन इन दोनों कमेटियों ने यह रिकमेंड किया कि बजाय यह तरीका अख्तियार करने के बेहतर यह होगा कि एक परसेण्टेज लगा दिया जाय जैसा कि बाज सूबों में पहले से मौजूद है कि अगर इतनी इण्ट्री होगी तो उस पर क्या परसेण्ट टैक्स का लगेगा। इससे हर शख्स को सहूलियत होगी और जो अक्सर सिनेमा वालों को नुकसान होता है और गवर्नमेंट को भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता वह भी ठीक हो जायगा, लिहाजा इसको बदल देना चाहिये। इस बात को पेशे नजर रखते हुये जो तरमीम पेश की गयी है उसमें यह लिखा गया है कि सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि इस टैक्स को नोटिफिकेशन के जरिये से एनाउन्स कर दे। लेकिन जो रेट होगा वह किसी भी हालत में जो टिकट होगा उससे ५० फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं लिया जायगा।

५० फीसदी क्यों रखा गया है, यह भी एक सवाल है। इस सिलसिले में एक तरमीम आई है और मुझे यह अर्ज करना है कि जहां तक यह रकम है इस वक्त जो टैक्स निर्धारित है वह अगर देखा जाय और पर्सेंटेज लगाया जाय तो ऐसा मालूम होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा १०० फीसदी है। जितना ऐडमीशन का लिखा हुआ है तो १०० फीसदी तक टैक्स मुअय्यन किया गया है और ५० फीसदी कम से कम किया गया है। इसलिये जो कम से कम रकम थी ऐडमीशन पर वही रकम हमने रखी है और इससे ज्यादा टैक्स सरकार नहीं लेगी। इस वजह से जहां तक अंदाजा है उससे यह मालूम होता है कि तकरीबन ८–१० लाख रुपये का सरकार को नुकसान होगा। लेकिन बावजूद इसके कि नुकसान है यह तजवीज इसलिये की गई है कि हमारे सामने सिनेमा एसोशियेशन ने अपना रिप्रेजेन्टेशन भेजा है। इसलिये हमारा ख्याल है कि सिनेमा वालों को भी इससे लाभ होगा और ऐसा तरीका बन जायगा जिससे वह मजबूर नहीं होगा कि वह खास रकम मुअय्यन करे और उसके ऊपर टैक्स अदा करे। इन बातों को देखते हुये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर किसी का विरोध हो और इसको मंजूर होना चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**—अब इसमें चार संशोधन आये हैं। इनमें श्री व्रजनारायण तिवारी का संशोधन अवैध है। यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को नहीं जा सकता है क्योंकि यह धन विधेयक है। इसमें कौंसिल के सदस्य नहीं होंगे। इसलिये वह अवैधानिक है। बाकी श्री हिम्मत सिंह अपना संशोधन उपस्थित करें।

***श्री हिम्मत सिंह** (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स विधेयक जो पेश किया गया है इस पर मैं अपना संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ जनमत जानने के लिये २१ दिन तक घुमाया जाय।

मान्यवर, यह ऐक्ट १९३७ में बना जिसको करीब-करीब २१ साल हो गये हैं।

**श्री अध्यक्ष**—आपको १० मिनट का समय है क्योंकि इसके लिये दो घंटे का समय है। इसलिये थोड़ा-थोड़ा समय बांटना होगा।

**श्री हिम्मत सिंह**—यह ऐक्ट १९३७ में बना और उस समय से अब तक २१ वर्ष हो गये हैं और इस बीच के जमाने में बहुत से परिवर्तन हो गये हैं। जो चीजें लक्जरी की समझी जाती थीं वे आज कल जन-साधारण के जीवन में उपयोगी समझी जाने लगी हैं। आज हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मत सिंह]

इस ऐक्ट की ओर देखें तो हमें पता चलेगा कि इसके अन्दर जो एम्स एण्ड आजेक्टस दिये गये हैं उनमें लिखा है कि यह और सूबों जैसे बंगाल, बम्बई तथा पंजाब में लागू है इसलिये यहां भी लागू किया जाता है। दूसरा कारण यह दिया गया था कि यह लक्जरी है इसलिये लगाया जा रहा है। तीसरा कारण यह था कि सर्व-साधारण पर यह भार स्वरूप नहीं होगा। आज हम यह देखते हैं कि पंजाब में जहां १६ रुपये मन गेहूं बिक रहा है वहां की कोई नहीं करते, लेकिन यह देखते हैं कि किन-किन प्रदेशों में टैक्स किस-किस ढंग से लगा रहा है। लेकिन वे सूबे अपने यहां के रहने वालों को क्या-क्या सुविधाएं दे रहे हैं इस पर यहां ध्यान नहीं देते। १९३७ में इंटरटेनमेंट को लग्जरी कहा गया है और यह समझा गया है कि यह टैक्स धनाढ्यों पर ही लगेगा, अन्य पर नहीं लगेगा। विधेयक में जो उद्देश्य और कारण थे उनमें ये शब्द आये थे :

"The object of this Bill is to impose a small tax on amusements and betting on the lines of the Acts in force in Bengal, Bombay and the Punjab.

Government consider that in the present financial position of the State they are justified in levying this tax on what is primarily a luxury, and they expect that this slight additional charge will not press hardly on the persons concerned."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह टैक्स लग्जरी माना जाता है तो यह मान लिया जाता है कि यह टैक्स केवल अमीरों पर लगेगा। इसका गरीबों से कोई सम्बन्ध नहीं है। मान लीजिये १९३७ से पूर्व, बाइसिकिल, मोटर, रेल सब को लग्जरी समझा जाया करता था, समझा जाता था कि इन्हें केवल बड़े-बड़े आदमी ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब साइकिल हमारे देश में मामूली मजदूर के जीवन में भी उपयोगी सिद्ध हुई है। इसलिये साइकिल को हम कह सकते हैं कि यह लग्जरी चीज नहीं है। मोटर भी वही बन गयी है, रेल भी वही बन गयी है। इसी प्रकार इंटरटेनमेंट, ड्रामा है, सिनेमा है, यह जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होते चले जा रहे हैं। आज एक आदमी बड़ा कठिन परिश्रम करता है। उसके बाद उसे अवकाश, आराम और मनोरंजन भी मिलना चाहिए। हम देखते हैं, हमारा हाउस और हाई कोर्ट शनिश्चर और इतवार को बन्द रहते हैं, इस सिद्धान्त पर कि हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, इसलिए हमको रेस्ट की जरूरत है। ऐसे ही मजदूर को भी कठिन परिश्रम करने के बाद विनोद, मनोरंजन की आवश्यकता है। इस सिद्धान्त को हमारी गवर्नमेंट मानती है और हम देखते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े-बड़े इंस्पेक्टर रखे जाते हैं, श्रमिकों के जीवन में कौन-कौन से मनोरंजन के साधन हैं जो उपयोगी सिद्ध होंगे इसकी खोज की जाती है। उनके लिए डिपार्टमेंट, ड्रामा, भजन, कीर्तन कराता है और प्रसाद भी बांटता है। यह सिद्धान्त गवर्नमेंट मानती है कि उनके लिए एंटरटेनमेंट जरूरी है। फौजियों के लिए गाना, वाद्य और सिनेमा भी दिखाया जाता है क्योंकि फौजी, कठिन परिश्रम के बाद चूर हो जाते हैं, उनकी थकावट दूर करने के साधन उपलब्ध किये जाते हैं। जब गवर्नमेंट इस सिद्धान्त को मानती है कि मनोरंजन आवश्यक है, वह सर्वसाधारण के जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो यह कहना कि यह लग्जरी है, और यह टैक्स लग्जरी पर पड़ रहा है यह बिलकुल निरर्थक है। यह लग्जरी नहीं है। यह सर्वसाधारण के जीवन के लिए उपयोगी चीज है। जिन पर यह टैक्स लगाया जाता है उन पर कितना भार पड़ता है? हम देखते है कि सिनेमा के तीन-तीन शो होते हैं। छोटे से छोटा आदमी भी वहां जाता है। जब वह सिनेमा से लौटता है तो देखता है कि उसके पास पैसा बिलकुल नहीं है। परिणामतः शहरों में सैकड़ों ताले टूटा करते हैं और लोग कहा करते हैं कि पुलिस असमर्थ हो गई इसकी जानकारी करने में तो फिर यह चोरी कैसे होती है? मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह गरीब जनता की जेब पर भार पड़ेगा। वह इस बात के लिये बाध्य होती है कि मनोरंजन के लिये सिनेमा जाय। जब लोग परिश्रम करते हैं तो थोड़ा बहुत मनोरंजन उनके लिये जरूरी हो जाता है और साधन के लिये उनके पास पैसा नहीं होता है। तब फिर वे चोरी

आदि करते हैं। आज हमारी पुलिस यह पता लगाने में असमर्थ हो रही है कि कहां पर कैसे चोरी होती है। इसलिये यह भी चोरी करने का कारण है जो ऊपर मैंने आपको बताया। जो आंकड़े यहां पर दिये जाते हैं अगर हम उनको देखें तो मालूम होगा कि इण्टरटेनमेंट के तीन आने के साथ जो एक आना टैक्स दिया जाता है जो करीब ३३ प्रतिशत हो गया और अब तो वह और भी बढ़ गया तो वही एक कारण है।

आज जो भी टैक्स आप लगाते हैं उसका असर छोटे आदमी पर जाकर पड़ता है। जिन छोटे-छोटे आदमियों को आज हम समाज के लिये उपयोगी बनाना चाहते हैं उनके ऊपर यह भार रूप ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं आपके द्वारा सदन से इतना ही निवेदन करना चाहता था।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अवस्थी जी का संशोधन पेश करता हूं कि "उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि विस्तृत करने का भी अधिकार हो और जो विचार करके अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर देवे।"

इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का भाषण सुनने के बाद मेरे दृष्टिकोण के अनुसार दो-तीन बातें इस विधेयक में हैं। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन रिपोर्ट, फिल्म इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट और मोशन पिक्चर एसोशियेशन की जो मांगें थीं इस सम्बन्ध में उन्होंने वही संशोधन किये हैं कि यह "स्लैब" सिस्टम बदलकर "परसेण्ट" के आधार पर टैक्स लगा दिया जाय। श्रीमन्, १९३७ में जिस समय यह ऐक्ट बना "स्लैब सिस्टम" की धारा ३ में जो उपधारा थी उसकी जगह पर यह संशोधन जोड़ने के लिये विधेयक है। इस पर मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें यह दिया हुआ है कि यदि २ आने से ३ आने तक बढ़ाया जाय तो ३ पाई से ज्यादा टैक्स नहीं लगाना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा अगर ६ रुपये ८ आना से लेकर १० रुपये तक हो तो डेढ़ रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये। उसी आधार पर यह विधेयक बनाया गया है कि लोग ज्यादा पैसे में टिकट खरीद सकें और ज्यादा पैसा दे सकें और वे अगर मनोरंजन की चीज देखना चाहें तो उनको ज्यादा देना पड़े।

श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी ने साफ कहा है कि अगर किसी तरह का टैक्स लगाया जाना चाहिये तो वह उन्हीं के ऊपर लगाया जाना चाहिये जो देने की क्षमता रखते हैं और जो ज्यादा दे सकते हैं। जिसके पास देने की क्षमता नहीं है उसके ऊपर यह टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इसी आधार पर जहां तक मैं समझता हूं इस विधेयक को सन् १९३७ में इस विधान सभा में "स्लैब सिस्टम" रख कर पास किया गया है। अब आप उसको पर-सेण्टेज में बदलना चाहते हैं। उसका अर्थ यह है कि एक फ्लैट रेट लागू हो जाता है और ५० फीसदी पेमेण्ट में से लेने का अधिकार सरकार को हो जाता है चाहे वह पशु प्रदर्शनी ही क्यों न हो, कोई खेल ही क्यों न किया जाय। सब पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। बेटिंग, हार्स रेसिंग या गैम्बिलिंग पर अगर यह टैक्स बढ़ जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है, किन्तु अगर लड़कों के खेल आदि पर यह सिद्धान्त लागू हो जाय तो आज के युग में, जबकि हम आगे बढ़ रहे हैं, यह सीधे-सीधे टैक्सेशन होगा। इस हिसाब से यह प्रेजेन्ट सिस्टम जो है वह आम जनता को ज्यादा टैक्स करेगा। मैं यह नहीं कहता कि अन्न के बिना मरने वाले भी सिनेमा देखने जायं, लेकिन अगर लखनऊ का कोई इक्कावाला या रिक्शावाला सिनेमा देखने चला गया तो उससे सरकार को अब ५० प्रतिशत टैक्स लेने का अधिकार है और उसे ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरे, कहीं भी टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी या फिल्म जांच समिति में कोई परसेंटेज फिक्स नहीं हुआ। प्रतिशत निर्धारण करने की पावर सरकार अपने हाथ में ले रही है और इस सरकार के फैसलों में हम यह नीति देखते हैं कि आज जो जुडिशियल

[श्री उग्रसेन]

मैजिस्ट्रेट फैसला करते हैं वह अदालत में मैक्सिमम पनिश्मेंट देते हैं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनता पर जो मैक्सिमम लगाना था वह हमने लगा दिया, तो इसमें फीसदी की बात कहां से आ गयी, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

तीसरे, यह बात बतायी गयी है कि इससे प्रदेश को ८, १० लाख का घाटा होगा । मैं प्रदेश की सरकार का घाटा नहीं चाहता, लेकिन चाहता हूं कि जो निचले वर्ग के लोग हैं उनसे कम टैक्स लिया जाय और जो ऊपर के तबके के लोग हैं उनसे ज्यादा लिया जाय ।

इसके अलावा सरकार ने टैक्स लगाने की जो नीति अख्तियार की है और जो खास-खास कर लगाये जा रहे हैं, वह इस समय उचित नहीं है । प्रदेश की जनता की हालत इस समय बहुत नाजुक है और इस समय टैक्स बढ़ाना गलत होगा ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है ।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उग्रसेन---इसमें लिखा है कि सरकार नोटिफिकेशन के जरिये यह प्रतिशत फिक्स कर देगी और उन लोगों से एक साथ टैक्स वसूल कर लेगी । इस तरह से नोटिफिकेशन के आधार पर सरकार बहुत वाइड पावर्स अपने हाथ में ले रही है । पहले का सिस्टम साफ था कि इतने का टिकट है और इतना टैक्स देना पड़ेगा । तो सदन एक पावर दे देता है और कुछ निश्चित नहीं करता । पिछली बार विधान सभा ने तय कर दिया था कि इतने का टिकट होगा तो इतना टैक्स लगेगा, लेकिन इस बार कुछ निश्चित नहीं हुआ । अब तो सरकार नोटीफाई करके ५० फीसदी तक उनसे वसूल कर सकती है । माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन के द्वारा बहुत ज्यादा पावर अपने हाथ में ले ली है, ऐसा नहीं होना चाहिए । इससे जनता को बहुत ना जानकारी होगी और सरकार लोगों को ज्यादा दबा सकेगी । सन् १९३७ का सदन जब था तब दिल्ली में अंग्रेजी राज्य था । भले ही यहां थोड़ा सा मंत्रिमंडल बन गया हो । उस समय सदन को जो अधिकार था वह सरकार अब ले रही है कि नोटिफिकेशन से उनका काम हो जाय ।

मेरा निवेदन है कि इसकी दरें बिलकुल नियत कर दी जावें । और मैं तो चाहूंगा कि इसकी परिधि बढ़ाई जाय जैसा कि हमारे संशोधन में है । कभी-कभी स्कूल और कालेज नाटक खेलते हैं । तीन आने, चार आने से ज्यादा टिकट लगाते हैं तो जिले के अधिकारियों से उन्हें एगजेम्पशन नहीं मिल पाता है । खरीफ अभियान के सम्बन्ध में, रबी-आन्दोलन के सम्बन्ध में, कोई खेल खेला जाय तो टैक्स लग जायगा । बाग लगाने का और पंचवर्षीय योजना का सरकार सारा प्रोग्राम रखती है और फिर ५० प्रतिशत टैक्स भी लेना चाहती है । तो जन-जीवन से सम्बन्धित जितनी प्रदर्शनियां या खेल होंगे उनके लिये सरकार ऐसा संशोधन लावे कि उन पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर लगेगा किस पर ? गैम्बलिंग पर, हार्स रेसिंग पर । आज लखनऊ में हार्स रेसिन्ग और कुत्ते की दौड़ होती है, उन पर टैक्स अधिक से अधिक लगाया जाय । इन सब चीजों पर २००, ४०० प्रतिशत सरकार टैक्स लगा दे तो हमें कोई एतराज नहीं है । सरकार जनता को ज्यादा शराब पिलाकर योजना के लिये पैसा जमा करती है । इस से जन साधारण का जीवन खतरे में पड़ जायगा और हमारी कुवृत्तियां ज्यादा बढ़ेंगी । अतः मेरा सुझाव है कि ऐसी कुवृत्तियों वाले समारोहों पर टैक्स लगाया जाय, ज्यादा बढ़ाया जाय, ताकि मध्यम वर्ग के लोग इनमें भाग न ले सकें और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी व्यवस्था इसमें कर दें ।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से यह संशोधन पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटर नमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट दो दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।

यह बड़ा मुख़्तसर सा बिल है। इसके एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स में कहा गया है बजाय स्लैब सिस्टम के परसेंटेज सिस्टम पर टैक्स लगाया जाय। इसमें यह भी है कि फिल्म इनक्वायरी कमेटी रिपोर्ट का और टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन का फैसला है कि ऐसा करना चाहिये। जहां तक यह बात है, मुझे इसका विरोध नहीं करना है। स्लैब सिस्टम के बजाय फ़ीसदी के हिसाब से टैक्स लगाना बहुत मुनासिब है। लेकिन साथ ही साथ फिल्म इनक्वायरी कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि टैक्स ग्रास इनकम पर २० परसेंट और एडमिशन पर २५ परसेंट से ज्यादा न हो, और इस बिल में कहीं भी यह तज़किरा नहीं है। इसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके ऐट वैरियस टाइम्स, वक्तनफवक्तन, ५० फीसदी तक टैक्स लगा सकती है। मैं इसे बहुत गलत समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में ऐसा अधिकार ले ले कि जिस वक्त चाहे नोटिफिकेशन करे और उसके जरिये से बढ़ाती और घटाती रहे। वैसे तो हर तरह के रोज नये-नये टैक्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आते रहते हैं। इस टैक्सेशन से जनता बहुत पीड़ित है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, चाहे व्यापारी हो, मध्यम वर्ग का हो या ऊंचे वर्ग का हो। सभी पर तरह तरह के टैक्स पड़ते रहते हैं, लेकिन इस टैक्स का वास्ता न सिर्फ एक सेक्शन के लोगों से है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी बाशिन्दों से है। तकरीबन ९५ फीसदी इस टैक्स की आमदनी सिनेमा से होती है, जिसमें ६६ फीसदी आमदनी उन टिकटों से होती है जो एक पये के अन्दर हैं, यानी नीचे दर्जे के हैं। आम तौर से हम देखते हैं कि सिनेमा में छोटे दर्जों में रिक्शावाले या मजदूर लोग जाते हैं। मान लीजिये कि १ पये के टिकट पर ५ आने टैक्स लगता था। बजाय १ पये के १ रुपया २ आने हुआ और वहां १० आने टैक्स लग गया। बजाय २१ आने के इस तरह २८ आने हो गया। यानी ७ आने का फर्क पड़ा। तो इस परसेंटेज सिस्टम से यह चीज तो जाती रही, लेकिन इसमें हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसके उद्देश्य में कहीं पर भी यह जाहिर नहीं होता है कि टैक्सेशन बढ़ाने की नीयत सरकार की है। लेकिन ५० परसेंट के लफ्ज को जब देखा जाय और हिसाब लगाया जाय तो साफ मंशा जाहिर होता है कि इससे इज़ाफा करने की नीयत है, चाहे वह किसी भी सूरत में हो।

जहां तक बेटिंग टैक्स का वास्ता है, हार्स सिङ्ग वगैरह का, उसमें मुख़्तलिफ़ स्टेट्स में मुख़्तलिफ तरह के टैक्स हैं। बेटिंग टैक्स के लिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। पहले तो यह अधिकार गवर्नमेंट को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये, यह लेजिस्लेचर के थ्रू होना चाहिये। दूसरे, ५० परसेंट बहुत ज्यादा है। फिल्म इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आगे नहीं जाना चाहिये। इन दो तीन बातों को लेते हुए मैंने अपना सुझाव रखा है। मैं चाहता हूं कि यह प्रवर समिति को जाय, ताकि वह सभी सुझावों पर गौर करने के बाद अपने डिसीशन पर पहुंचे, यह बेहतर होगा इस हाउस के लिये।

इन्सान मशक्कत और मेहनत करता है। दिन भर मेहनत मशक्कत के बाद सिनेमा में जाकर थोड़ा सा पैसा सर्फ करते हैं। टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी तो अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा है कि यह टैक्स जो इंटरटेनमेंट के ऊपर लिया जा रहा है वह नकम टैक्स से भी ज्यादा है। अभी तक इस बात का कोई अन्दाजा नहीं है कि स वक्त तक हमारे यहां कितने सिनेमा हाउसेज हैं। सन् १९५० के लगभग ३२०० सिनेमा हाउसेज थे जब कि सन् १९२८ में सिर्फ ७०० ही थे। तो इस तरह से २०, २२ साल के अन्दर इतना ज्यादा इजाफा हो गया। आज तक सरकार की तरफ से इसकी कोई जांच नहीं हुई और न उसकी कोई रिपोर्ट है, जिससे यह कहा जा सके कि इस समय हमारे यहां यू० पी० में या देश में कितने सिनेमा हाउसेज हैं और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

उससे कितनी आमदनी सरकार को हो रही है। अगर ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलता है तो बराहरास्त इसका जनता से वास्ता होता है, छोटे तबके से वास्ता होता है, टैक्सेशन की पालिसी कोई अच्छी नहीं है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको सिर्फ दो रोज के लिये सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि वह तमाम तजावीज पर गौर करके अपना फैसला दे सके।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि बजाय २१ दिन के ७ दिन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आपका संशोधन कहां है?

श्री सीताराम शुक्ल --मैंने संशोधन पर संशोधन दिया था, मालूम होता है कि आपके पास पहुंच नहीं सका है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय अध्यक्ष ने आपके संशोधन को पेश करने की इजाजत नहीं दी है। वैसे आप उस पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--बहुत अच्छा। इस समय हाउस के सामने जो विधेयक पेश है, इसके अनुसार गवर्नमेंट जो अधिकार चाह रही है, मेरी प्रार्थना है कि हाउस उसको मंजूर करे, लेकिन साथ ही साथ मेरी प्रार्थना है कि सिनेमा में काफी सुधार भी होना चाहिये। उससे जरूर पैसा लिया जाय। लेकिन उस पैसे में से आधा सिनेमा के सुधार में, उसे और अच्छा बना में गवर्नमेंट मदद करे। बहुत से लोग यह कहते हैं कि गाना, बजाना, सुनना बेकार चीज है, किन्तु जो लोग गाना नहीं समझते हैं वे ही गाना बजाना बेकार समझते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जैसे आदमी हर वक्त काम करे और सोचे सोना बेकार है, तो न सोये अच्छी चीज है, सो जाता है तो चोरी हो सकती है, लेकिन आदमी अगर सो न जाय तो दूसरे दिन का काम खराब हो जाय, वह बीमार पड़ जाय। दो तीन दिन तक न सोये और काम करता रहे तो पागल हो जाय। इसलिये सो जाना जरूरी है। सो जाने से माइंड को रेस्ट मिलता है। लेकिन गाना सुनने से सोने के मुकाबले में माइंड को अधिक रेस्ट और आराम मिलता है। आदमी सो जाता है, लेकिन ख्वाब देखता रहता है कि मैं चोरी में वहां पकड़ गया हूं। या कर्जे वाला कर्जा मांग रहा है तो कहने के लिये वह सोयेगा, लेकिन रात भर तड़पता रहेगा, बकता रहेगा। इसलिये सोने से दिमाग को ज्यादा आराम मिलता है गाना सुनने से।

श्री उपाध्यक्ष--आदमी को गाने का भी ख्वाब आ सकता है।

श्री सीताराम शुक्ल--बेशक ख्वाब गाने का भी आ सकता है, लेकिन बुरा ख्वाब भी तो आ सकता है। उसको ख्वाब आये चोरी में पकड़े जाने का तो उसे शान्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जिस वक्त गाना होता है तो इंसान एकाग्रचित्त हो जाता है। उतनी देर तक वह विपत्ति को भूल जायगा। इसीलिये भगवान् ने कहा है :

"वेदानां सामवेदोऽस्मि।"

अर्थात् वेदों में साम वेद मैं हूं। भगवान् ने यह भी कहा है :--

"नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च।
मद् भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।।"

न मैं स्वर्ग में रहता हूं। न योगियों के हृदय में रहता हूं। जहां मेरे भक्त भजन करते हैं वहां जरूर रहा करता हूं। कहा ही नहीं था बल्कि हमारे शंकर जी तो अच्छे डांसर थे, गा वाले और नाचने वाले थे। भगवान् कृष्ण की वंशी को कौन नहीं जानता जिसको सुन कर मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी मोहित हो जाते थे। बंशी बजाई नहीं कि गउवें इकट्ठा हो गईं, उसकी नकल आज भी दुनिया म होती है। यूरोप में लोग दिन में बन्दूक चलाते है रात में

डांस करते हैं, लेकिन सिनेमा में आज कल कुछ ऐसे ढंग खेल हो रहे हैं कि जिससे अधिक ैसा आये। कहने को तो होता है सिनेमा तफरीह के लिये है, लेकिन वहां पर कम्युनिज्म व सोशलिज्म का प्रचार होता है। एक तबके को परेशान किया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि खेल ऐसे हों कि जिनसे सब को प्रसन्नता हो, खेल विपत्ति के लिये न हों। एक दिन भैरवी के रेकार्ड के लिये लखनऊ में घूमा किन्तु कहीं मिला नहीं। इस प्रकार गाने का स्तर गिर रहा है।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--वह इस टैक्स के अन्दर नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल--आपकी समझ में नहीं है। टैक्स लगेगा, वह यदि ढंग से खर्च हो तो उससे सिनेमा की तरक्की हो सकती है बिल्कुल टु दी प्वाइंट कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--जो नतीजा निकालना चाहते हैं उस पर इशारा कीजिये नहीं तो लोग समझने लगेंगे कि आप इधर उधर की बात कह रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--इधर उधर की बात करूंगा तो आप बैठे हुए हैं, टोक देंगे। मेरी प्रार्थना है कि जो टैक्स लिया जाय उसकी आधी रकम खर्च की जाय सिनेमा की तरक्की के लिए अच्छे से अच्छे गवैये बुलाइये अथवा गायिकाएं बुलायी जायं, उनका गाना भी हो, अथवा शायर बुलाये जायं उनकी शायरी भी हो या कवि बुलाये जायं उनकी कविता भी हो। इस तरह से उस तफरीह में चार चांद लग जायंगे और ऊंचे दर्जे के लोग सुनने जायंगे। अच्छे-अच्छे गवैये आज-कल विपत्ति में पड़ गये हैं, जो प्रतिदिन चार-चार घंटे रियाज करते थे ऊंचे दर्जे के गाने वाले आज परेशानी में पड़ गये हैं। गाना वह अच्छा होता है जिसमें भाव भी हो, साहित्य भी हो और नृत्य भी हो। पुट अप करने का ढंग भी अच्छा हो, किन्तु आज अच्छे से अच्छा गवैया बड़ी तकलीफ में ैं। मेरे यहां के एक उत्तम गवैया राघवशरण कथक आये थे और माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां उसका गाना भी हुआ। मेरी जमींदारी चली गई, लेकिन अब भी गायक वृन्द यदा-कदा आ ही जाते हैं। वह कह रहा था कि साहब लगन बीत गई, किन्तु एक भी बोड़ा नहीं मिला। वह उम्दा गवैये जो अच्छे से अच्छा गाते थे आंसू बहाते हैं। लखनऊ के अन्दर अच्छे से अच्छे गवैये हैं, मेरी प्रार्थना है कि वे बड़ी विपत्ति में हैं। अच्छा स्वराज्य मिला, एक अच्छे तबके को, जिसकी तारीफ भगवान् ने की, सारी दुनिया ने की, स्वराज्य मिलने के बाद विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। वह कला समाप्त होने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं शुक्ल जी से कहूंगा कि इण्टरटेनमेंट से इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री सीताराम शुक्ल--मैं वही अर्ज कर रहा हूं। टैक्स लगाया जाय, मगर उसका आधा हिस्सा, अच्छे अच्छे गवैया बुला कर खर्च किया जाय, उनका गाना सुना जाय, कवि से उसकी कविता सुनी जाय, शायर से शायरी सुनी जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो सिनेमा में चार चांद लग जायंगे, ताकि गवैये भूखों न मरने लगें, चोरी न करने लगें। इसलिये उनका भी ख्याल रखा जाय ताकि वे भी अच्छे रहें, पब्लिक भी अच्छी रहे और सरकार भी अच्छी रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। आशा है सरकार ध्यान देगी।

श्री रामेश्वर प्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शुक्ल जी की संस्कृतनिष्ठ स्पीच सुनने के बाद मुझे.....

श्री उपाध्यक्ष--अब शायद कुछ बाकी नहीं रह गया है बोलने को।

श्री रामेश्वर प्रसाद--मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और जो तीन संशोधन विरोधी पक्ष से आये हैं उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि जो यह अमेंडमेंट आया है यह बहुत ही उचित और सामयिक है और जस्ट है। अभी मेरे पहले विरोधी पक्ष के कुछ साथी जो संशोधन लाये थे वे बोल रहे थे। हमारे उग्रसेन जी और हिम्मत सिंह जी आदि ने अपने तर्क में स्लैब सिस्टम का जिक्र किया और समर्थन किया।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

और जो सिस्टम नया इन्ट्रोडचूस हुआ है उसका विरोध किया। उग्रसेन जी ने उसका एक तर्क यह दिया कि जो यह सिस्टम है इसलिये नहीं लगना चाहिये कि जो कम आमदनी वाले आदमी हैं उन पर टैक्स का बर्डेन कम पड़ना चाहिये और ज्यादा आमदनी वालों पर ज्यादा पड़ना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि अगर मेरे साथी इसी दलील को लेकर इस बात को देखते हैं कि स्लैब सिस्टम में यही दोष है, तो इसी दोष को दूर करने के लिये यह बिल यहां प्रस्तुत है, क्योंकि स्लैब सिस्टम में कई खराबियां हैं। उससे मालिकों को भी तकलीफ होती है, तमाम हिसाब किताब रखना पड़ता है। सरकार को भी इससे डिफिकल्टी होती है और वह यह होती है कि जो सरकार का टैक्स है उसमें इस सिस्टम से काफी इवेजन की गुंजायश रहती है। और इसमें यह है कि सरकार को बराबर उसकी जांच पड़ताल के लिये स्टाफ रखना पड़ता है, सरप्राइज विजिट करनी पड़तो है। फिर भी लोग नेशनल टैक्स की चोरी कर लेते हैं। कहीं डुप्लीकेट टिकट रखते हैं, अनस्टैम्प्ड टिकट रखते हैं। इस तरह से चोरी कर लेते हैं। सरकार को भी असुविधा है और सिनेमा चलाने वालों को भी असुविधा है, क्योंकि उनको तमाम हिसाब किताब रखना पड़ता है। सब से बड़ी बात यह है कि जो यह रेट्स हैं इस सिस्टम में प्रदेश भर के लिये एक तरीके पर मुकर्रर होते हैं। मान लीजिये कि स्टेट के किसी क्षेत्र में कोई सिनेमा मालिक अपने रेट फिक्स करना चाहता है तो वह नहीं कर सकता। जैसा कि श्री उग्रसेन जी ने कहा कि इसका बोझ गरीबों पर कम पड़े और अमीरों पर ज्यादा पड़े, तो गरीबों पर इसका बोझ ज्यादा पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। नजीर के तौर पर मैं बताऊं कि आज कल के रेट के हिसाब से जो ४ आने का टिकट है और उसके बाद ८ आने तक, उस पर ढाई आना टैक्स है और उसके बाद ८ आने से १ रुपया तक ५ आने है। अब थोड़ी देर के लिये मान लें कि जो बोझ है और कोई सिनेमा मालिक ८ आना के रेट पर दस आना कर देता है, तो दोष इसमें यह है, कि जो एक रुपए का टिकट है....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष जी, कोरम देख लिया जाय, शायद कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वर प्रसाद---मैं आपके सामने यह निवेदन कर रहा था कि मान लिया जाय कोई सिनेमा मालिक ८ आने के टिकट के दस आने कर देता है तो उस टिकट के लेने वाले को नुकसान होता है, इस तरह से उसको ५ आना टैक्स देना पड़ेगा और एक रुपए के टिकट वाले को भी ५ आना ही देना होगा। इसलिये हिसाब से यह भी मुनासिब नहीं है।

इसमें गुंजायश है कि गरीब पर ज्यादा टैक्स पड़े और उसकी हैसियत के हिसाब से न पड़े। अगर परसेंट सिस्टम होगा, दो आना के टिकट पर उसको उसी हिसाब से टैक्स देना होगा और हर ऊपर के टिकट वाले को भी अपनी हैसियत के हिसाब से टैक्स देना होगा। मैं यह कह रहा था कि यह तर्क कि गरीब पर कम बोझ पड़े और अमीर पर ज्यादा पड़े, उसके तहत में जो सिस्टम पहले था उसका समर्थन उचित नहीं है।

कुछ साथियों ने यह भी तर्क उठाया कि इस टैक्स में यह भी दोष है कि कल्चरल फंक्शन्स, ड्रामा या एजूकेशनल परफार्मेंसेज या साइन्टिफिक इन्वेन्शन्स या पंचवर्षीय योजनाओं का प्रदर्शन आदि जो होता है उस पर भी टैक्स लग जायगा और वह फ्री होने चाहिये इस टैक्स से। मैं समझता हूं कि मूल ऐक्ट को और पढ़ा जाय तो उसमें इस तरह का प्रावीजन है कि इस तरह के जितने परफारमेंसेज होंगे और जो यह समझे जायेंगे कि वह नेशन के हित में हैं, चाहे वह बच्चों के खेल हों, किसी तरह के प्रदर्शन हों, ड्रामे और संस्कृत प्रोग्राम हों या सीताराम जी शुक्ल के संगीत के कार्यक्रम हों, तो उपाध्यक्ष महोदय, उस मूल अधिनियम के अन्दर इस तरह का प्रावीजन है कि उन पर टैक्स नहीं पड़ेगा फ्री किये जा सकते हैं। यह जो मौजूदा बिल पेश है वह उसका जो तीसरा क्लाज है, उसी पर अमेंडमेंट इसमें आया हुआ है।

श्री उग्रसेन---अगर माननीय सदस्य जानकारी चाहें तो इस सम्बन्ध में मैं करा दूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद---नहीं, मुझे जानकारी है, आप पढ़ लें। तो श्रीमन्, मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि इस निर्दोष सिनेमा इण्टरटेनमेंट टैक्स बिल से टैक्स देने वाले, टैक्स कलेक्ट करने वाले और गवर्नमेंट को, तीनों को सुविधा होने वाली है। उसमें कोई देरी करना या हिचक करना उचित-सा नहीं मालूम होता।

हमारे शिवराज बहादुर जी ने कहा कि स्टेट पावर ले रही है और यह भी आर्गुमेंट दिया कि फ़िल्म इंक्वायरी कमेटी और टैक्सेशन कमीशन ने जो रेट्स फिक्स किये हैं उनके अनुसार ३२ परसेंट तक टैक्स लगना चाहिए और ५० फीसदी जो सरकार डिक्लेरेशन कर रही है वह उचित नहीं है। आप देखें कि फिल्म इंक्वायरी कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि उसने सर्वे किया और उसका एक मत है कि ३२ परसेंट तक ग्रास इनकम पर टैक्स लगे, लेकिन उसी जगह पर टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जो आल इंडिया बेसिस पर बैठा था उसने कतई इस प्रपोजल को नहीं माना। उसने किसी भी स्टेट को भी इस ईश्यू से नहीं बांधा है कि फिल्म इंक्वायरी कमेटी की लिमिट से कोई स्टेट बंध जाय। उन्होंने फ्री छोड़ दिया कि हर एक स्टेट इंडिपेंडेंट है कि वह जैसा उचित समझे फिक्स करे। यह कोई मजबूती की दलील नहीं है।

इसके साथ-साथ जहां तक परसेंटेज का सवाल है, मैं सदन से कहना चाहता हूं कि अभी तक जरा हिसाब को लगा कर देखें कि ४ आने, ८ आने के टिकट पर इस वक्त जो टैक्स पड़ रहा है वह ढाई आने पड़ रहा है और इस प्रकार करीब-करीब ६०-६२ फी सदी जाकर वह टिकट होता है---जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है उस में। लेकिन अब जो सिस्टम प्रिवेल किया जा रहा है उस में ५० परसेंट रखा गया है, यह कोई मुकर्रर लिमिट नहीं है, बल्कि सरकार नोटिफिकेशन करके चाहे तो १०-१५ परसेंट तक ले, लेकिन सरकार उसमें यह ताकत ले रही है कि ५० परसेंट से ज्यादा घोषित नहीं करेगी---यह उसका मतलब है।

ये जो रेट्स हैं इस वक्त, वह भी एक तरह से कोई ज्यादा नहीं है, ऐग्रिएबिल हैं। अगर हमारे माननीय सदस्य उस चार्ट को देखें जो कि आल इण्डिया बेसिस पर हर एक स्टेट का इस टैक्स का सर्वे दिया है, तो उससे भी मालूम होगा कि कई स्टेट हैं जहां पर कि वसूली का परसेंटेज हमारी स्टेट से ज्यादा है। वैसे अगर आलोचना हमारे साथी लोग करते हैं तो करें, उनको अख्तियार है। लेकिन आन रीजिनेबिल ग्राउन्ड्स जो दलीलें उसकी तहत में माननीय मित्र देते हैं मेरी बातें सुनने के बाद वे ठहरती नहीं दिखायी देतीं। तो यह छोटा-सा विधेयक है और मासूम भी, यह सहूलियत देने वाला है, इससे किसी पर कोई बुरा असर या ज्यादती नहीं होने वाली है, इस से कार्य संचालन में जल्दी होगी। सर्वे से मालूम हुआ है कि इसका सिनेमा देखने वालों ने भी विरोध नहीं किया। ऐसी स्थिति में इस बिल के पास करने में देरी करना या इसका विरोध करना उचित नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, उधर से कहा गया कि इस विधेयक में संशोधन के जो कारण बताये गये हैं वे बहुत उचित हैं। इसी पर मैं अपने पूर्व वक्ता महोदय से यह पूछता हूं कि अभी तक इस सदन में किसी प्रस्ताव का उन्होंने विरोध भी किया है?

श्री रामेश्वर प्रसाद---यह कोई प्रश्न नहीं है। मैं भी पूछता हूं कि क्या आपने कभी किसी प्रस्ताव का समर्थन किया है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---आपने यह भी कहा कि अगर सारे देश का खाका देखा जाय तो उस में भी कोई अनुचित बात नहीं मिलेगी। तो जिस धातु के आप बने हैं उसी धातु की केन्द्रीय सरकार बनी है। रहा यह कि टैक्स बढ़ाने की प्रवृत्ति इस सरकार को शुरू से ही है। शब्द तो बड़े अच्छे कहे जाते हैं, क्योंकि अगर कोई माननीय सदस्य विरोध करें तो फिर कहने का मौका मिल जाता है कि मनोरंजन कर का भी विरोध करते हैं। मनोरंजन के अधिकारी केवल सम्पन्न लोग ही नहीं होते, बल्कि हर आदमी को मनोरंजन का अधिकार है।

जहां तक स्लैब सिस्टम और परसेंटेज का सवाल है, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने जरूर कोई दोष स्लैब सिस्टम में देखा होगा। मेरी दृष्टि में भी वह कुछ वेग सा लगता है। लेकिन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने यह कहां कहा है कि ५० परसेंट तक आप कर दीजिये। अधिकार आप ले लीजिये और जब जब आपको तबियत आये नोटिफिकेशन के जरिये टैक्स बढ़ाते रहिये। आखिर यह सदन किस लिए है? इसका मतलब तो यह हुआ कि जो लोग आज के युग में मनोरंजन के अधिकारी हैं या जिन के जरिये मनोरंजन के काम किये जाते हैं वे अगर सरकार को खुश रखें तो ५० परसेंट से कम लगाया जा सकता है और अगर नाखुश कर दें तो ५० परसेंट लगाया जा सकता है। स्लैब सिस्टम वाला ऐक्ट सन् १९३७ का बना है। अभी कोर्ट फीस और स्टैम्प ऐक्ट ये दोनों इस सदन से पास हो चुके हैं। इस में कहा गया था कि एक आना जो टिकट का दाम था उसको सुविधा के लिहाज से दस नये पैसे कर दिया गया, लेकिन श्रीमन्, उसका दाम बढ़ गया यानी एक आने की जगह दस नये पैसे हो गया जो एक आने से हर हालत में ज्यादा है। सरकारी मनोवृत्ति हमेशा टैक्स बढ़ाने की रहती है और जब से यह सरकार बनी है टैक्स बढ़ाती चली जा रही है। क्या टैक्स के बढ़ाने से अमीरी और गरीबी की खाई दूर हो गयी है, क्या देश का नैतिक स्तर ऊंचा कर दिया गया है, क्या टैक्स अमीरों से ही वसूल किया जाता है? लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसी लिए विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि इस खाई को पाटो और समान स्तर पर लोगों का जीवन हो और सब को खाने-पीने की सुविधाएं प्राप्त हों, लेकिन सरकार के पास एक बहाना रहता है और वह कहती है कि देश के विकास के लिए टैक्स बढ़ाती है। आजकल यही हालत हो रही है कि "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु द्विगुण कपि रूप दिखावा"। इस में प्रोप्राइटर टैक्स वसूल करेगा। मैं जानना चाहूंगा कि इस समय जिस रेट पर आप कोई मनोरंजन दे रहे हैं क्या बढ़ जाने पर भी वही दाम होंगे?

श्रीमन्, यह तो देखने की बात है कि जब कभी भी टैक्स बढ़ता है तो वह कन्ज्यूमर के ऊपर ही लादा जाता है। इसी तरह यह भी उसी को देना होगा जो टिकट लेगा। मैं अवस्थी जी तथा शिवराजबहादुर जी के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। इस ऐक्ट के बन जाने के बाद अगर मुनाफे में एक समान रेशियो स्थापित किया गया तब तो मैं इस तरीके को ठीक समझूंगा। अभी जो बिक्री-कर बढ़ाया गया तो वह कन्ज्यूमर के ऊपर ही पड़ता है और जो बेचता है वह अपना मुनाफा ले लेता है। चीनी में भी यही हालत है। ३८ नये पैसे सरकार ले ले, ४० नये पैसे हमें मिलें, १६ पैसे खर्च होते हैं, और ६ पैसे मुनाफा होता है। देश की तरक्की के लिए टैक्स का लगाया जाना जरूरी है और सरकार को लगाना चाहिए, लेकिन अगर उसका प्रभाव आम जनता पर अच्छा नहीं पड़ता है तो कोई मतलब नहीं निकलता है।

जो टैक्स लगे, तो क्यों न इस में सरकार को ही अधिकार हो टैक्स वसूल करने का और जैसे चाहे सरकार टैक्स लगाया करे। क्यों आप किसी को व्यक्तिगत अधिकार देते हैं कि वह व्यापारी तरीके पर टैक्स लगाये। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि जो विरोधी दल के सदस्यों का संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय और इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय।

*श्री गोबिन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो कोई इरादा आज इस डिबेट में हिस्सा लेने का नहीं था, लेकिन हमारे दल के भाइयों की ओर से जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ बात कही गयी मैं साफ लफ्जों में कहूंगा, उसकी वजह से मुझे कुछ कहना पड़ रहा है। एक बात मैं बता दूं कि हमने हर सदस्य को यह छूट दे दी है कि इस विषय पर वह अपने व्यक्तिगत विचार रख सकता है। इसलिए यह न समझा जाय कि एक ही पार्टी के सदस्य कई किस्म की बातें करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह भी छूट दे दिया करें, ताकि उधर के माननीय सदस्यों के भी जजबात मालूम हो सकें।

जहां तक टैक्स का सवाल है मैं माननीय मन्त्री जी के प्रस्ताव का खुले दिल से समर्थन करता हूं। अगर सिनेमा पर, नाचने-गाने पर टैक्स नहीं लगायेंगे तो क्या गेहूं और चने पर लगायेंगे? सरकार को खर्चा चलाना है। अगर टैक्स नहीं लगायेंगे तो सरकार के अखराजात कैसे चलेंगे? तो क्या सिनेमा पर टैक्स न लगा कर अनाज पर टैक्स लगायें? हमारी तरफ से यह दलील दी गयी कि स्लैब सिस्टम को हटा कर प्रोपोर्शनल टैक्स लगाने से ज्यादा पड़ेगा। पुराने स्लैब सिस्टम से नीचे के दरजे में जाने वाले लोगों पर टैक्स ज्यादा पड़ रहा है जब कि अब जो टैक्स लग रहा है उस के हिसाब से चवन्नी वालों पर टैक्स घट रहा है, जब कि बाक्स वालों का टिकट ज्यादा नहीं हुआ है। अगर सिनेमा को भी लक्जरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सिनेमा लक्जरी नहीं होगा, पाउडर भी जरूरी है गोरा होने के लिए, सभ्य समाज में टाई भी लगाना जरूरी है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि खाने की चीजों पर से और कपड़े पर से टैक्स हटा दिया जाय और सिनेमा पर कुछ बढ़ा दिया जाय। अगर कोई आदमी सिनेमा नहीं जाता तो मरेगा नहीं, लेकिन अगर अन्न मंहगा हो गया तो फाकाकशी करनी पड़ेगी। सिनेमा को मंहगा कर दीजिये और आटा सस्ता कर दीजिये। कुछ बातें शुक्ल जी ने और इधर से भी कही गयीं, कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जैसे श्रीकृष्ण की वंशी पर टैक्स नहीं पड़ता था, एक मित्र ने कह दिया। दफा ६ में साफ-साफ दिया हुआ है कि अगर कहीं पर शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था हो, या चैरिटेबिल या साइंस के लिए हो तो उसमें छूट दी जायगी।

मैं उग्रसेन जी और शुक्ल जी दोनों की इत्तला के लिये कहता हूं। उस में यहां तक है कि अगर किसी संस्था में टैक्स वसूल कर लिया गया है और बाद में पता लगा कि उन्होंने सिर्फ २५ प्रतिशत अपने लिए बचाया और बाकी ७५ प्रतिशत चैरिटेबिल परपजेज में दे दिया तो रिफण्ड भी हो सकता है।

फिल्म इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि १९५१-५२ टैक्स का पीक ईयर था जब कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी थी। उस में ६० प्रतिशत चवन्नी वालों से टैक्स वसूल हुआ और सिर्फ ९ प्रतिशत बाक्स वालों से। अब जब यह सिस्टम बदल जायगा तो चवन्नी वालों को कुछ राहत मिलेगी। इस से उन का नुकसान नहीं होगा।

इस अवसर पर मुझे यह बात भी कहनी है कि मुझे एक ऐसा मौका हुआ जब मुझे यह मालूम हुआ कि इलाहाबाद के एक सिनेमा दिखाने वाले कई लाख रुपया इण्टरटेनमेण्ट टैक्स का बिलकुल खा गये। बाद में आडिट में वह चीज निकली। जो हमारी चेकिंग मशीनरी है वह भी नाकाफी है। मुझे एक चेकिंग अधिकारी से बात करने का अवसर हुआ तो उस ने कहा कि हम सारे प्रान्त में कहां कहां देख सकते हैं। मशीनरी कम होने से हमारे यहां टैक्स का इतना अधिक इवेजन हो रहा है कि जिसका कोई अन्त नहीं है। इसमें बहुत से लोग दोषी हैं। मुझे यह मालूम है कि सिनेमा का टिकट उन के घर पर आ जाता है। वे लोग सिनेमा के टिकट का टैक्स भी नहीं देते हैं। उन के परिवार के लिए टिकट आ जाता है। तो उनके लिए आप को सावधानी बरतनी होगी जिस से ऐसे लोग इवेजन न कर सकें। इस में लोग इसी तरह से करते हैं कि जैसा इलाहाबाद के उस सज्जन ने किया और लम्बे अरसे तक वह इसी तरह से करता रहा। सरकार को इस तरह का प्रबन्ध करना चाहिए जिस से टैक्स का कम से कम इवेजन हो सके।

मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी चीज आवे उसका विरोध ही किया जाय। इसलिए मेरी राय यह है कि ऐसे बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमको तुरन्त पास करना चाहिए। अलबत्ता माननीय मन्त्री जी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या टैक्स और बढ़ सकता है? जब पिछली

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

मर्तबा टैक्स बढ़ाया गया था तो उसके बाद भी यह इत्तिला है कि सिनेमा जाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। तो जब यहां पर आदमियों को इतना शोक है उसके लिए इतना टैक्स जरूर होना चाहिए जिससे सरकार को लाभ हो। एक दिन मैं एक रिक्शे पर जा रहा था। उस समय रिक्शे वाले ने एक गाने की ट्यून पकड़ी, लेकिन वह उसको ठीक से नहीं कह पा रहा था। तो उसके ट्यून को फिर सीखने के लिए वह १३वीं बार सिनेमा जा रहा था। वह गाना जानता था, लेकिन एक ट्यून को फिर सीखने के लिए वह जा रहा था। इसलिए यह जरूरी है कि सिनेमा पर टैक्स लगाया जाय। मैं माननीय मन्त्री जी के बिल का स्वागत करता हूं।

†श्री मोती लाल अवस्थी (जिला कानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री उग्रसेन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। उस संशोधन में यह प्रस्ताव रखा गया है कि उसको परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। उसी की ओर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यह बिल एक प्रकार से मनोरंजन और बेटिंग टैक्स का बिल है। यह बात मानी गयी है कि देश में बहुत से लोग, आज इस प्रकार के मनोरंजन के साधन हैं, उनसे सहानुभूति रखते हैं किन्तु ऐसे भी सज्जन हैं जो इस बात को न मानते हों, और मेरी गणना भी उन में है। मैं इस प्रकार के मनोरंजन का विरोध इस आधार पर करता हूं कि इससे हमारे देश की नैतिकता का बिलकुल पतन हुआ है। उसी आधार पर हमारा यह संशोधन आया है और इसी सम्बन्ध में हमारा परिधि विस्तृत करने का प्रस्ताव है। यह इस आशा से रखा गया है कि जो इस देश में इण्टरटेनमेंट की हानि हो रही है उसकी ओर ध्यान दिया जाय। इसका सम्बन्ध शासन से है और जब कि हम यह देखते हैं कि आज आर्ट के नाम पर इसको लोगों को रोजी देने वाला और देश की उपयोगी वस्तु कहा जाता है कि देश की उन्नति में यह हाथ बटा रहा है, सुरैया और देविका-रानी को पद्मश्री की उपाधि मिल रही है, तो भी मुझे थोड़ा इशारा कर देना चाहिए। यह सही है कि आज जिस प्रकार का इन्टरटेनमेंट हो रहा है उसमें सरकार केवल टैक्स लेकर ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मानती है और इसका परिणाम बड़ा घातक होता है। इस प्रकार के इन्टरटेनमेंट में हम सब कुछ अपना खो बैठते हैं। इस कानून में बेटिंग की परिभाषा यह दी हुई है कि "बेटिंग इन्क्लूड्स वेजरिंग"। और इसके अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये हैं उसमें हार्सरेस से लेकर न जाने कहां तक की बात आ गयी है। इस सब में हमारे धन का अत्यधिक अपव्यय, बरबादी और लूट होती है विशेषकर कार्निवाल आदि में जैसी ठगी होती है वह देखने लायक है।

इसके अन्तर्गत जो आफिशल्स होते हैं उन के पौबारह हैं। इण्टरटेनमेंट इन्स्पेक्टर्स का रवैया यह है कि उनको और उनके दोस्तों को दर्जनों टिकट इस आधार पर मिलते हैं कि उनको खुश रखा जाय और टैक्स के इवेजन में हाथ बटाया जाय। कोई भी इन्स्पेक्टर ऐसा नहीं है कि जो इस करप्शन से बरी हो और जिसकी आमदनी हजारों से ऊपर न हो। यह सब इसलिए है कि इससे टैक्स के इवेजन में सुविधा मिलती है और इन्स्पेक्शन अथारिटी का पूरा उपयोग नहीं होने दिया जाता। सरकार तो टैक्स की थैली को सम्हाल लेती है और सोचती है कि किस प्रकार अधिक से अधिक पया बना लें, चाहे वह कोअर्सिव मेथड से हो अथवा सीधे सादे, अथवा जो यह नया सिस्टम है, उससे, लेकिन ऐसा कर के हमें अपनी निगाह देश की भलाई से नहीं हटा लेनी चाहिए। मानता हूं कि देश के अनेक स्थानों में इसी प्रकार के इण्टरटेनमेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और जनता की रुझान भी इस ओर अधिक है। किन्तु यह महान ऋषियों का देश है। क्या हम इस प्रकार के इण्टरटेनमेंट का स्थान यहां बढ़ाते जायं और यह न देखें कि देश का नैतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान कैसे हो सकेगा? यह भी कहा गया कि अगर हम इक्वैलिटी का बर्ताव करें तो क्या उचित न होगा। मैं सोशलिस्ट पार्टी के प्रोग्राम में विश्वास रखने वाले सज्जन से इस बात के सुनने की आशा नहीं रखता था। हमको चाहिए

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हम धनिकों से अधिक धन लें। छोटी आमदनी के लोग छोटे दायरे में अपना काम चलाते हैं। क्या थर्ड क्लास में सफर करने वाले व्यक्ति की आमदनी फर्स्ट क्लास में चलने वाले की आमदनी से मिलायी जा सकती है? छोटे दर्जे वाले की आमदनी कम होती है, और उन पर टैक्स की बढ़ोत्तरी करने से सरकार को लाभ भले ही हो जाय, किन्तु जनता को हानि होती है। आप के शिडयूल में दिया हुआ है कि २ आने से ४ आने के बीच में १ आना टैक्स लिया जाना था। अब हर हालत में ५० परसेंट बढ़ जाने से वह २ आने या जितना टिकट होगा उसका आधा लिया जायगा। इसी प्रकार से दूसरे स्थानों पर भी अमीरों के लिए जो टैक्सेशन होगा उसमें उनको सुविधा होगी और वह गरीबों के लिए बोझ हो जायगा। यह क्या न्याय है? कभी-कभी हम यहां कहते हैं कि हम निर्धनों के लिए प्रयत्नशील हैं और काम करते हैं। क्या यही हमारा प्रयत्न है? श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल सीधासादा नहीं है, वह बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला बिल है। विशेषतौर पर माननीय मन्त्री जी से मुझे यह आग्रह करना है कि वे इस टैक्स को लगाते समय थोड़ा-सा अपने देश के पतन की ओर भी ध्यान दें। आज उन मनोरंजन की चीजों से हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे स्कूलों के विद्यार्थी और नौजवान इन इन्टरटेन्मेंट्स में बहुत अंश में भाग लेते हैं और कभी कभी उनको कन्सेशन भी मिलता है। यह सब ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अन्ततः इसका परिणाम क्या होने वाला है और इससे क्या हमारे स्वास्थ्य में और सांस्कृतिक उत्थान में फर्क पड़ता है। क्या यह देखने की चीज नहीं है?

**श्री उपाध्यक्ष**--अवस्थी जी, समय कम है इसलिए संक्षेप में ही बोलें।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--मैं अपने समय के अन्दर ही समाप्त कर दूंगा। मैंने अपना एक संशोधन दिया था कि इसकी परिधि को बढ़ा दिया जाय, ताकि समिति में इस पर ठंडे दिल से विचार किया जा सके। वह प्रस्ताव बहुत आवश्यक है और उसके साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था कि एक सप्ताह के अन्दर उसकी रिपोर्ट आ जाय। एक सप्ताह का समय कोई अधिक नहीं है, अगर सरकार चाहती तो उस ओर जाने की कोशिश करती, लेकिन मुझे आशा बहुत कम है। मुझे यह दिखलायी पड़ता है कि वह एक छोटा-सा संशोधन पेश कर के इसे जल्दी में पास कर लेना चाहती है। इस सर्वांगपूर्ण बिल के अन्दर जो दूषित भाग है उसको देखना ही नहीं चाहती है। इसलिए मैंने उचित समझा कि उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूं। मैं फिर आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो यह कि एक ही क्लास होना गरीबों के लिए अहितकर है और धनवानों के लिए हितकर है, दूसरे यह बिल पूरा का पूरा हमारे नैतिक उत्थान के बिलकुल विरुद्ध है और पतन की ओर ले जाने वाला है। सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि वह इस बिल को नये विचार से देखने की कोशिश करे और यह जानने की कोशिश करे कि आज देश की नाड़ी किस ओर जा रही है बजाय इसके कि वह ऐसी चीजों के लिए लोगों को प्रोत्साहन दे और उनको थपथपी लगावे। अन्त में मेरी प्रार्थना यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसे परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।

**श्री सैयद अली जहीर**--उपाध्यक्ष महोदय, ये जो ३ तजावीज आयी हैं, मैं इनका विरोध करता हूं। जैसा कि मैंने अपनी इब्तदाई तकरीर में कहा, इस संशोधन के लाने का यह बिलकुल मन्शा नहीं है कि किसी किस्म से जो टैक्स कि इस वक्त लागू है उसमें कोई बढ़ोत्तरी की जाय। असली मन्शा जैसा कि मैंने कहा था, सिर्फ यही है कि एक स्लैब सिस्टम जो पहले रखा था, और जो बाज जगह था और करीब-करीब ज्यादातर ऐसे सूबों में जहां कि वह लागू था वहां बदल गया है और परसेंटेज सिस्टम आया है वही सिस्टम हमारे सूबे में भी लागू कर दिया जाय। वाकया तो यह है, जैसा मैंने कहा कि इस टैक्स के जरिये, जो अब नया सिस्टम आ रहा है, जहां तक हिसाब लगाये जाने का ताल्लुक है, अगर उतने ही लोग जाते रहें और उन्हीं दर्जे में जैसे कि अब भी जाते हैं तो करीब-करीब ८, १० लाख रुपया कम सरकार को वसूल होगा।

[श्री सैयद अली ज़हीर]

लेकिन चूंकि कमेटी की तजवीज यही आयी और फिल्म एसोसिएशन की तरफ से भी यही रेप्रेजेन्टेशन हुआ, लिहाजा हमने इसको मंजूर किया और इस तरीके को रखा। मिसाल के लिए मैं यह कहता हूं कि अगर एक ऐडमिशन किसी दर्जे में १५ आने में होता है तो उसके ऊपर सिर्फ ८ आना टैक्स लगेगा और अगर उसी दर्जे में ऐडमिशन १७ आने में हो जाय तो उसका टैक्स ८ आने से बढ़ कर १ रुपया हो जायगा। जहां सिर्फ २ आने ऐडमिशन में बढ़ा वहां ८ आने टैक्स में बढ़ जायगा। तो जाहिर है कि यह एक लाजिकल बात थी कि यह मुनासिब नहीं था। इसीलिए कमेटी ने इन तमाम चीजों पर गौर किया और उन्होंने यह तजवीज की कि तमाम टैक्स किसी परसेंटेज बेसिस पर लेना चाहिए और इस तरह से इसको लगाना चाहिए। यह भी कहा गया कि यह जो परसेंटेज बेसिस है इससे कुछ न कुछ फर्क पड़ जाता है। गरीबों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और अमीरों पर कम पड़ेगा। जहां तक इस सिस्टम का ताल्लुक है जितना पैसा जो देगा उसी निस्फ से उसको टैक्स देना पड़ेगा। गरीब आदमी जो २, ४ या ८ आने देकर जाता है जाहिर है उस पर कम टैक्स पड़ेगा और जो ५ रुपये दे सकता है उसको ढाई रुपया टैक्स पे करना पड़ेगा।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—टैक्स देने वालों में कितनी संख्या गरीबों की है जो टैक्स पे करते हैं?

**श्री सैयदअली ज़हीर**—छोटे दर्जे के जो लोग हैं ९१ फीसदी टैक्स उन्हीं से मिलता है। १ पये से कम वाले जो दर्जे हैं ९१ फी सदी टैक्स उन्हीं से मिलता है। लेकिन इस वजह से यह कहना कि इसमें किसी किस्म का फर्क किया है यह सही नहीं है।

इसके अलावा और बहुत से एतराजात किये गये जो गालिबन इस वजह से हुए कि जो ओरिजिनल ऐक्ट है उसको उन्होंने पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं की है। कहा यह गया कि गांवों में, रूरल एरियाज में मुख्तलिफ किस्म के तमाशे होते हैं उन पर भी टैक्स लगेगा। स्पोर्ट्स होते हैं उन पर भी टैक्स लगेगा। कैटिल फेयर्स होते हैं उन पर टैक्स लगेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी जो पहली दफा है उसका क्लाज २ यह कहता है कि यह टैक्स सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज में ही लागू होगा और किसी ऐसी जगह पर जहां पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करे। कोई नोटिफिकेशन रूरल एरियाज के लिए नहीं हुआ है। रूरल एरियाज बिलकुल एक्जेम्पटेड हैं। वहां चाहे ड्रामा हो, थियेटर हो या सिनेमा हो उस पर किसी टैक्सेशन का सवाल नहीं आता। इस कानून की दफा ६ में यह कहा गया है कि इस किस्म के जो कल्चरल शोज हैं उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि उनको टैक्स से मुस्तस्ना कर दें।

"6. (1) The entertainment tax shall not be charged on payments for admission to any entertainment where Government are satisfied—

(*a*) that the whole of the takings thereof are devoted to philanthropic, religious or charitable purposes without any charge on the takings for any expenses of the entertainments; or

(*b*) that the entertainment is of a wholly educational character (any question on that point to be determined in the case of difference by Government in the Department of Education) : or

(*c*) that the entertainment is provided for partly educational or partly scientific purposes by a society not conducted or established for profit; or

(*d*) that the entertainment is provided by a society which is established solely for the purpose of promoting the interest of the industry or agriculture, or the manufacturing industry, or some branch thereof, or the

public health, and which is not conducted for profit, and consists solely of an exhibition of the products of the industry, or branch thereof, for promoting the interest of which the society exists or of materials, machinery, appliances, or food-stuffs, used in the production of those products, or of articles which are of material interest in connexion with the question relating to the public health, as the case may be."

वगैरह-वगैरह, इसमें बहुत से शोज़ का जिक्र है जो कल्चरल परपज के लिये या तालीमी परपज के लिये दिखाये जाते हों और उनका मकसद मुनाफा कमाना न हो तो उन पर टैक्स देना नहीं होगा, लेकिन अगर मुनाफा कमाने की गरज हो तो टैक्स देना होगा । ये सब चीजें जैसे पहले थीं अब भी अपनी जगह पर कायम हैं। तो इस किस्म के जो एतराजात किये गये जाहिर है कि वह इसी बुनियाद पर थे कि गालिबन ऐक्ट को पढ़ने की जहमत माननीय सदस्यों ने नहीं उठायी थी और खाली तरमीमों के ऊपर कंसेंट्रेट किया था।

इसके साथ ही साथ यह भी बता दूं कि अभी २४ अप्रैल को एक जी० ओ० गवर्नमेंट ने निकाला है जिसके जरिये से गवर्नमेंट ने दफा ६ के मातहत, जिसको मैंने अभी पढ़ कर सुनाया, जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं उनको भी टैक्स से मुस्तसना कर दिया है जो यू० पी० कौंसिल आफ स्पोर्ट्स के जेरे निगरानी तमाम सूबे में होते हैं। तो यह सब चीजें मुस्तसना कर दी गई हैं। इन सब चीजों के होते हुए जो तरमीम की जा रही है, या जो तजवीज पेश है वह महज इतनी है कि इस सिस्टम आफ टैक्सेशन को बदल कर एक बेहतर किस्म का सिस्टम टैक्स का जो और सूबों में रायज है वह यहां भी किया जा रहा है। इसलिये ऐसे ऐक्ट को किसी कमेटी को भेजना या उसमें तरमीम करना मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर जरूरी है।

एक चीज मैं और अर्ज कर दूं, हालांकि वह इस वक्त तो मौजूद नहीं है, लेकिन गालिबन एक तरमीम आने वाली है उसके सिलसिले में अर्ज करना जरूरी है। हमने ५० परसेंट जो रखा है वह मैक्सिमम है। यह हमारी गरज नहीं है कि हम हर हालत में ५० परसेंट लगायेंगे । हमारा तो मकसद यह है कि ५० परसेंट से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है। जब लागू होगा तो यह देखा जायगा, कि यह सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। अगर जरूरत होगी तो घटा कर ४०, २५, २० फीसदी भी कर दिया जायगा। हवाला यह भी दिया गया कि फिल्म इन्क्वायरी कमेटी ने यह रिकमेण्ड किया था कि २५ परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिये' लेकिन टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन ने उसका हवाला दिया और यह कहा कि कोई परसेंटेज कमेटी फिक्स नहीं कर रही है। यह तो हर स्टेट को अपने यहां की सूरतेहाल देख करके परसेंटेज फिक्स करना होगा। तो यह कहना कि कमेटी ने महज २० या २५ परसेंट कहा था, ठीक नहीं होगा। इसको टैक्सेशन इनक्वायरी कमीशन ने नहीं माना और हमने जो ५० परसेंट रखा है तो मैं अर्ज कर दूं कि हमने इस वजह से रखा है कि हमारे यहां जो इस वक्त टैक्सेशन है वह मिनिमम है और बढ़ते-बढ़ते बाज सूरतों में ७०, ८०, १०० फीसदी तक हो जाता है। तो अब हमने ज्यादा से ज्यादा ५० परसेंट कर लिया है और जो स्लैब सिस्टम की वजह से टैक्सेशन था वह १०० फीसदी तक पड़ जाता था, उसको रद्द कर दिया है। इस वजह से नुकसान होने की भी गुंजायश है और अगर इतनी ही रिसीट आयी जितनी कि आती है तो सरकार को करीब ८, १० लाख का नुकसान होगा। तो कोई ऐसा ख्याल नहीं होना चाहिए कि हमने टैक्स को ज्यादा करने की कोशिश की है या इन्टरटेनमेंट को हम दबाना चाहते हैं। यह तो महज सिस्टम को बदलने का सवाल है। इसीलिये यह बिल यहां लाया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो तजवीजें हैं उनको आप लोग वापस ले लेंगे नहीं तो हाउस उनको रद्द कर देगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ जनमत जानने के लिये २१ दिन तक घुमाया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति के निर्दिष्ट कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि विस्तृत करने का भी अधिकार हो और जो विचार करके अपना प्रतिवेदन १ सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपनी रिपोर्ट दो दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी---जैसा कि दफा ९६ में है कि---

"After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the Table of the House."

हम चाहते हैं कि मोशन पिक्चर एसोसियेशन का प्रस्ताव, फिल्म इन्क्वायरी कमेटी और टैक्सेशन इन्क्वाइरी कमेटी आदि की जो रिपोर्ट हैं वह हमारे सामने होते तो अच्छा था।

श्री उपाध्यक्ष---कोई ऐसे पेपर्स हों जिनकी बुनियाद पर यह बिल बना हो और वह कान्फिडेंशियल न हों तो मंत्री जी कृपा कर वह भेज दें।

श्री सैयद अली जहीर---श्रीमन्, जैसा कि इसके आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स में लिखा है कि टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन और फिल्म इन्क्वायरी कमेटी व मोशन पिक्चर एसोसियेशन की सिफारिशों को सामने रख कर यह तरमीम की जा रही है। वह हर जगह से रिपोर्टें हासिल कर सकते हैं इसमें कोई प्राइवेट या गुप्त चीज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---उसमें कोई प्राइवेट पेपर्स नहीं हैं, वह हर जगह मिल सकती हैं, आप लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं।

खंड २

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७ की धारा ३ का संशोधन

२---यूनाइटेड प्राविन्सेज इंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ की धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(1) There shall, from the date this section comes into force, be levied and paid to Government on all payments for admission to any entertainment, a tax (hereinafter referred to as 'entertainment tax') at a rate, not exceeding 50 per cent of the payment for admission, as the Government may from time to time specify by a notification in this behalf, and the tax shall be collected by the proprietor and paid to the Government in the manner prescribed."

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इण्टरटेनमेंट एण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ के खंड २ में प्रस्तावित उपधारा (१) की पंक्ति ४ में अंक "50" के स्थान पर अंक "33" रख दिया जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अभी जरा देर पहले उन्होंने फरमाया था कि मेम्बरान ने यह जहमत गवारा नहीं की कि वह जरा इस बिल को पढ़ लेते और अगर वह उसका मुताला कर लिये होते तो उनको इन तरमीमों को पेश करने की जरूरत न होती। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जहां बिल १-२ घंटे में पास कराये जायं और बोलने का मौका भी सदस्यों को न दिया जाय तो बात वही बनती है कि:

"ये दस्तूरे जुबांबन्दी है कैसा तेरी महफिल में,
यहां तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी।"

श्री उपाध्यक्ष---यह तो सदन का फैसला है, सदन ने समय मुकर्रर किया है, २ घंटे का सदन का निश्चय है।

श्री शिवराज बहादुर---वह सदन का निश्चय ही हो, लेकिन इस पूरे बिल पर २ घंटे का वक्त बहुत ही कम है। इस पर गौर करने के लिये जरूरी है कि हम टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, मोशन पिक्चर एसोसियेशन और फिल्म इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्टस् का मुतायला करें और उनके डेलीबरेशन्स को समझें और देखें। कमेटी ने वैसी भी शहादतें ली हैं और डाकूमेंटरी एवीडेंसेज भी ली हैं।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, कहा जाता है कि यह एक बहुत छोटा-सा बिल है और बहुत ही मासूम बिल है। मंत्री जी भी मासूम हैं, लेकिन दुनिया की तारीख बताती है कि मासूम लोगों से ही ज्यादातर गुनाह सरजद हुये हैं और उन्हीं लोगों की नश्तरेनजर की मासूमियत से लोगों को बड़ी-बड़ी तकालीफ उठानी पड़ी हैं। कहा यह भी गया कि सरकार की मन्शा इस बिल के जरिये से कोई आमदनी में इजाफा करने की नहीं है और न वह चाहते हैं कि ज्यादा टैक्स लगाया जाय। मैं यह तो नहीं कहता कि किसने कौन सी किताब पढ़ी है और कौन सी नहीं पढ़ी, लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन करूंगा कि जिन्होंने दुनिया की इस तरह की चीजों को देखा है वह जानते हैं कि हिन्दुस्तान में या इस सूबे में इस टैक्स से, यहां की पूरी आय के प्रपोर्शन में आय बहुत कम है। अगर उस थोड़ी सी आमदनी में थोड़ा सा इजाफा हो भी जाता है, कोई नामिनल इजाफा तो उससे सरकार का तो कोई खास फायदा न होगा, बल्कि जनता को कुछ तकलीफ ही होगी।

बहुत से लोगों ने कहा कि यह टैक्स करप्शन फैलाता है और बुराई की तरफ जनता को ले जाता है और इस वजह से इस टैक्स में इजाफा कर दिया जाय ताकि लोग इस तरह के तमाशों में न जायं। यह बड़ी कमजोर दलील है। आप तो ५० परसेंट का टैक्स लगा कर और दावत देते हैं कि जनता और ज्यादा सरकार को दे। यह बात नहीं है, अच्छी चीज देखने वाले को तो बुरी से बुरी चीज में भी अच्छाई मिल जाती है और बहुत से लोगों को अच्छी चीज में भी खराबियां मिलती हैं, यह सिद्धान्त है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जब कि किसी सूरत से भी हमारी इनऐक्टिव लाइफ नहीं होनी चाहिए, आज देश में तरह तरह की मुसीबतें हैं, ऐसे ऐटमास्फ़ेयर में, ऐसे माहौल में जिसमें हम अपनी जिन्दगी की सांसें ले रहे हैं आदमी की जिन्दगी दूभर है, खाने की, कपड़े की, एजूकेशन की दिक्कत हैं; हर शोबये जिन्दगी में, हर इदारे में कोई न कोई परेशानी है और जबरदस्त परेशानियां हैं। तो इन सब चीजों के बावजूद हमारे सामने यह भी बात आयी कि ६६ परसेंट, ऐसे लोग हैं सिनेमा देखने वाले गरीब लोगों में जो कि मध्यम श्रेणी के हैं, गरीब हैं। यह तादाद ९५ परसेंट इंटरटेनमेंट टैक्स देने वालों में से है। तो ये गरीब लोग हैं जो कि छोटे टिकट में बैठने वाले हैं। तो इसका असर छोटे लोगों पर पड़ता है। इसके साथ-साथ फिल्म इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कहीं निर्धारित नहीं किया है कि आप ५० परसेंट तक जायं। मंत्री जी ने फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ५० परसेंट तक लगा सकती है। मैंने अभी यह समझा है कि बजाय ५० परसेंट के ३३ परसेंट हो। फिल्म इंक्वायरी कमेटी ने बड़ी सफाई से कहा है कि हम इंडस्ट्री को तरक्की देना चाहते हैं। उन्होंने लाखों आदमियों से कंट्रैक्ट किया है और एवीडेंस लिये हैं। लखनऊ, बाम्बे, इलाहाबाद और हिन्दुस्तान के बड़े से बड़े शहर,

[श्री शिवराज बहादुर]

कलकत्ता है, में बैठ कर विचार किया है और एवीडेंस लिये हैं। बड़े गौर व खोज के बाद उनके ये रिकमेंडेशंस हैं कि किसी भी सूरत में टैक्स २५ परसेंट से एक्सीड न करे। टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की इस मसले पर खामोशी का मतलब यह नहीं है कि आप ५० परसेंट तक टैक्स लगा दें। तो ऐसी सूरते हाल में हर शौबये जिन्दगी में इनसान की जिन्दगी और ज्यादा सख्त और दुश्वारतर न बनायें। मैं ज्यादा न कहते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि मासूम बिल है, मासूम मिनिस्टर साहब हैं और यह भी मासूम सा प्रस्ताव है, इसलिए इसे मंजूर कर लें। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्तुत अमेंडमेंट है, मैं समझता हूं अभी आपके सामने माननीय मंत्री जी ने जो स्पीच दी थी उसको सुनने के बाद उसके आने की जरूरत नहीं मालूम होती थी, लेकिन पेश हुआ तो मैं उसका विरोध करता हूं। जो मंत्री जी ने एक लिमिट उस बिल के अन्दर रखी कि ५० परसेंट तक यह टैक्स लगाया जायगा तो उसमें यह अमेंडमेंट आना कि ३३ परसेंट रखा जाय, यह तो राय का प्रश्न हो सकता है। दूसरा, मैं या कोई और कह सकता है २० परसेंट होना चाहिए .....

श्री उपाध्यक्ष--डेमोक्रेसी में राय की ही तो अहमियत है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--तो यह राय का प्रश्न हो सकता है, लेकिन उसके पीछे तर्क या रीजन नहीं है और जो ५० परसेंट लिमिट रखी गयी है वह एक आधार पर रखी गयी है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया था कि इस टैक्स में जो इस वक्त पड़ रहा है उसके सर्वे से मालूम होता है कि लिमिट ५० फीसदी कम से कम लोगों को पड़ रही है, उसी के अन्दर सब को रखा गया है। ऐसी हालत में पावर तो सरकार को दे दी जाय और इस बिल को पास कर लिया जाय और सरकार के ऊपर इस बात को छोड़ दिया जाय कि जैसा उचित समझेंगे वैसे उसको स्पेज करेंगे। फिर मुझे ताज्जुब तो यह होता है जब हमारे शिवराज बहादुर जी ऐसे लर्नेड साथी यह तर्क देते हैं कि इससे टैक्स बढ़ रहा है। अभी मंत्री जी ने बताया कि टैक्स की टोटल इन्कम इस सिस्टम से घटेगी। यह भी तर्क निराधार है कि गरीब पर इससे ज्यादा बोझ पड़ेगा। अभी-अभी इसी पर काफी बहस हुई कि मौजूदा स्लैब सिस्टम में यही दोष है कि वह गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं करता, लेकिन इस सिस्टम से छोटा टिकट लेने वाले को कम टैक्स देना पड़ेगा। ऊंचे दर्जे का टिकट लेने वाले को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यह बहुत स्पष्ट बात है, इसमें ज्यादा समझने या सर्वे करने की जरूरत नहीं है। ३३ परसेंट का सुझाव गैरजरूरी है और राय का प्रश्न है इसलिये माननीय मित्र इसको वापस लें और जैसा यह बिल है वैसा ही पास होने दें। इन शब्दों के साथ जो बिल में धारा है उसका मैं समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं माननीय सदस्य श्री शिवराज बहादुर के संशोधन का समर्थन करता हूं। समर्थन में मैं केवलमात्र इसीलिये नहीं खड़ा हो गया जैसे हमारे भाई रामेश्वर प्रसाद जी ने अपना कर्तव्य समझ लिया है कि उनको एक दिन कुछ बोलना है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--मेरा कर्तव्य यह है कि सही बोलूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले मेरे पूर्व वक्ता ने मूल अधिनियम को बिल्कुल नहीं पढ़ा और न स्लैब सिस्टम और न प्रोपोर्शनल सिस्टम को ही समझा। पहले यों था : "exceeds rupees 6-8 but does not exceed rupees ten" उनके लिये साढ़े ४ रुपये था। उसके बाद "which exceeds Rupees ten for every five rupees or pasb thereof in excess of first ten rupees" उनके लिये ३ रुपये और, यानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१५ रुपये का अगर टिकट हो तो ५ रुपये तो वह और ३ रुपये और कुल ८ रुपये पड़ेंगे। लेकिन अब जो तरीका रखा जा रहा है उससे बड़े टिकटों में चाहे कोई विशेष अन्तर न पड़े लेकिन छोटे टिकटों में काफी अन्तर पड़ेगा। अभी मंत्री जी ने मेरे प्रश्न करने पर जब यह स्पष्टीकरण किया कि छो टिकट लेने वालों की संख्या ९१ प्रतिशत तक है तो यह साबित हो चुका कि यह टैक्स गरीबों पर हो ब गा। हम तो टैक्स बढ़ाने के आधार का ही विरोध करते हैं क्योंकि जो कुछ टैक्स है उसी का दुरुपयोग सरकार कर रही है। और अधिक रुपया मांगकर अधिक से अधिक रुपया बरबाद होगा करप्शन बढ़ेगा। लेकिन फिर भी यदि रुपया गरीबों की जेबों से मांगा जाय जो देने के लिये बाध्य होंगे तो यह कोढ़ में खाज हो जायगा। इसलिये जो प्रस्ताव ५० प्रतिशत के बजाय ३३ प्रतिशत का रखा गया था वह गरीबों को मदद देने के लिये ही रखा गया था। लेकिन उसका भी विरोध करने के लिये भी सज्जन खड़े हो जाते हैं और वह ऐसी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं जिसके बगैर शायद वह उस स्थान पर न रहें। अतः मैं हाउस से अपील करता हूं और मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वह प्रसन्न दिल से सोचें और ऐसे प्रस्तावों को पास करने के लिये ताकत पैदा करें।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जिसका यह औचित्य बताया गया है कि फिल्म इंक्वायरी कमेटी ने यह सुझाव दिया है कि स्लैब सिस्टम के बजाय परसन्टेज सिस्टम कर दिया जाय, माननीय मंत्री ने इसको स्वीकार कर लिया है जिसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन इस कमेटी ने और भी सुझाव दिये थे जिनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

इसके साथ ही साथ सिस्टम बदलने के नाम पर एक सुविधा और पैदा कर दी गयी जिसके आधार पर मनोरंजन टैक्स में बृद्धि करने की कोशिश होगी। यद्यपि उन्होंने इसको स्पष्ट करने की काफी कोशिश की है कि हमारी ऐसी मंशा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि व्यावहारिक रूप में जहां कहीं भी मैक्जीमम शब्द इस्तेमाल होता है, वह मिनीमम हो जाता है और जहां मिनीमम इस्तेमाल होता है तो मैक्जीमम हो जाता है। मुझे सिनेमा देखने का ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि चार आने वाले को १ १/४ आने, ८ आने वाले को २ १/२ आने, एक पये वाले को पांच आने और २ रुपये वाले को १० आने टैक्स के देने पड़ते हैं जो ३३ प्रतिशत के करीब पड़ते हैं। इस प्रकार सिस्टम के बदलने के साथ ५० प्रतिशत तक कर लगाने का अधिकार लेने की सरकार को जरूरत नहीं है। उन लोगों पर टैक्स बढ़ रहा है जिनकी पेइंग कैपेसिटी कम है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि एक बराबर का दर्जा अगर इसमें करने जा रहे हैं तो मंत्री जी इनायत फरमाये और जो दूसरे प्रकार के टैक्सेज हैं, उन पर यदि आप बराबर का दर्जा लाने की कोशिश करेंगे और एक सा टैक्स लगाने की चेष्टा करेंगे तो हम उनके साथ होंगे।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जहां उत्तरदायी सरकार के लिये आवश्यक है कि वह लोगों के आवास के लिये व्यवस्था करे, भोजन की व्यवस्था करे और शिक्षा तथा दवा दारू की व्यवस्था करे वहां यह भी उसका परम कर्त्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिये मनोरंजन की सुविधा भी प्रदान करें। यदि ऐसा उद्देश्य सरकारों के सामने न होता तो नाट्य परिषद् जैसी संस्थाओं की स्थापना न की गयी होती। आज यह मनोरंजन का स्थान नागरिकों के जीवन का अंग बन गया है। इसलिये मनोरंजन के साधनों को मुहइया करने के लिये कई तरह के तरीके अपनाये जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ५० की जगह ३३ प्रतिशत कर लगाने का सुझाव शिवराज बहादुर जी और मैंने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करें। उनके यह प्रस्ताव स्वीकार करने से यह मालूम हो जायगा कि जिस व्यक्ति की जितनी ताकत है उससे उतना ही टैक्स वसूल करना चाहते हैं।

†श्री शिवराज बहादुर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मुख्तसर-सा प्रस्ताव है। वह अपनी बू न छोड़ेंगे, हम अपनी वजा न छोड़ेंगे। जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है बहुत मासूम सीधा-सा प्रस्ताव है और जो उस पर सरकारी पक्ष की तरफ से तर्क दिये गये हैं उनमें कोई ऐसी माकूल दलील नहीं है जिससे मुतास्सिर हो कर मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूं। इस प्रस्ताव में सिर्फ इतना ही है कि ५० प्रतिशत के बजाय ३३ प्रतिशत रख दिया जाय। मैंने अर्ज किया इस टैक्स से हमारी आमदनी कोई ऐसी नहीं बढ़ेगी। यह तो महज एक तफरीह के लिये लोग जाते हैं। बहुत से लोगों की हाबी किताब पढ़ने की होती है, कुछ लोगों की हाबी है सिनेमा चले गये रिक्रिएशन के लिये या बेटिंग को चले गये। कोई दिक्कततलब बात नहीं है काश हमारे मंत्री जो इसको स्वीकार कर लें, तो जहे किस्मत। बहुत दफा हमने उनकी तरफ से आये हुए प्रस्तावों का खुले दिल से सपोर्ट किया है। कोई जिद की बात नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह गलतफहमी रफा करना चाहता हूं कि यह बिलकुल नियत नहीं है कि नीचे दर्जों पर टैक्स बढ़ाया जाय। इस वक्त १२ से १९ नये पैसे पर दस नये पैसे टैक्स है। यह ८३ प्रतिशत से ५२ प्रतिशत तक होता है। इसी तरह से १९ से अगर ज्यादा है और २५ तक है तो उसके ऊपर ८० प्रतिशत से ले कर ६० प्रतिशत तक पड़ता है क्योंकि १५ नये पैसे टैक्स है। इसी तरह से २५ नये पैसे से ऊपर ५० नये पैसे तक २५ नये पैसे का टैक्स है वह १०० से ५० प्रतिशत तक पड़ता है। इसी तरह से ५० नये पैसे से ऊपर एक पये तक ५० नये पैसे टैक्स पड़ जाता है यानी १०० प्रतिशत से ५० प्रतिशत तक। तो कोई भी दर्जा लिया जाय जो टैक्सेज लगे हुए हैं वह किसी तरह से ५० प्रतिशत से कम नहीं है। इस वजह से जैसे मैंने कहा हम उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। दूसरे यह मैक्जीमम लिमिट है। अगर इसकी वजह से इंडस्ट्री को नुकसान होता है, या एग्जिबिटर्स की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन आता है या फिल्म गोअर्स को कोई तकलीफ होती है तो हम कम कर सकते हैं यह अलग चीज है। लिये मैं यह तरमीम मंजूर नहीं कर सकता। ५० जो रखा है वही रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित उपधारा (१) की पंक्ति ४ में अंक "50" के स्थान पर अंक "33" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--३७,
विपक्ष में--८९।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

### उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेन्ट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९३७।

यूनाइटेड प्राविन्सेज इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को कतिपय प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजन के लिये यूनाइटेड प्राविन्सेज इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ को संशोधित किया जाय ;

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और धारा २ उस दिनांक से प्रचलित होगी जो सरकार इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं कुछ बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—इसका नियम यह है कि कोई संशोधन हुआ हो तो उस पर बोला जा सकता है । इस कारण अब बोलने की बात तो है नहीं । यदि आपको विरोध करना हो तो आप वोटिंग में इसका विरोध कर सकते हैं ।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इंटरटेनमेंट ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८†

न्याय मन्त्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

इस सम्बन्ध में मुझे कोई तकरीर नहीं करना है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने भी इसको पढ़कर मुनासिब समझा कि इसमे तरमीम की गुंजायश नहीं है और अलबत्ता किसी संशोधन की नोटिस भी नहीं है । यह बहुत सीधा-साधा सा बिल है । इसके उद्देश्य और कारणों से इसके लिए जरूरी बातें जाहिर हैं । एक ऐक्ट जिसकी जरूरत नहीं थी उसको मन्सूख करने के लिये और बाकी जो अनुसूची में दूसरे दिये हुये हैं उनमें कुछ गलती थी उनको दुरुस्त करने के लिये यह बिल लाया गया है । आशा है आप सज्जन इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—गोविन्द सिंह जी, आपने जो संशोधन दिया है वह काफी देर में आया है और यह विधेयक काफी समय से सदन के सामने है, दो तारीख को आ गया था । तो क्या विशेष परिस्थिति थी कि जिसकी वजह से आपको देर हुई और इसको पेश करने की आपको इजाजत दी जाय यह आप बता दें ।

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आजकल तो यह पता ही नहीं रहता कि कौन विधेयक कब लाया जायगा । आप संशोधन उपस्थित करने का नहीं तो कम से कम विरोध करने का तो मौका देंगे ही ।

---

†२ दिसम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, आप विरोध कर सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हाउस में अभी कहा गया कि मासूम-सा बिल आ रहा है, पहले बिल के बारे में भी कहा गया था कि मासूम मिनिस्टर हैं मैं सोचता हूं कि इस बार मिनिस्टर साहब तो बुजुर्ग हैं और यह बिल भी ऐसा मासूम नहीं है, जैसा कि पहले वाला था. . .

श्री उपाध्यक्ष—उन मिनिस्टर साहब ` अपने मासूम होने पर एतराज नहीं किया, लेकिन ठाकुर साहब आपकी बात मान लेंगे यह मैं नहीं कह सकता। (हंसी)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वह मानने को तैयार नहीं है। तो श्रीमन्, जैसा माननीय मंत्री जी ने फर्माया कि कुछ क्लाजेज रिडेंड्रेंट हो गये हैं, ऐसा हो सकता है। मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया, लेकिन चूंकि एक बिल इसमें ऐसा आ गया मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, कि जिसमें अभी कुछ तरमीम आयी थी और पहले १९५६ में कुछ तरमीम हुई थी। कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उसमें संशोधन किये थे और पिछले वर्ष इस हाउस ने भी उसमें कुछ संशोधन किये थे, तो उस समय उसके जो मिनिस्टर इंचार्ज थे, उन्होंने जो फर्माया था उसे मैं आपकी जाजत से पढ़ देना चाहता हूं। यह ५ फरवरी, १९५८ की प्रोसीडिंग है:

"अध्यक्ष महोदय, सन् १९५६ में एक कानून बना था जिसके द्वारा हम ने यह इन्तजाम किया था कि बाज-बाज ऐसे मामले होते हैं कि जिन में बजाय इसके कि जिस के ऊपर इल्जाम लगे उसे अदालत में बुलाया जाय इस चीज का न्तजाम हो कि जब मामला तय हो जाय तो मुल्जिम जुर्माना अदालत में भेज दे और इस तरह से मामला खत्म हो जाय और वह अदालत जाने की तकलीफ से बच जाय" वगैरह वगैरह और सन् १९५६ में यह दफा ११४-ए जिसको डिलीट किया जा रहा है, यह ओरिजिनल १९३९ के ऐक्ट में से बनी थी। उस वक्त भी कहा गया था कि यह आफेंसेज ज्यादातर मोटर ड्राइवर्स से ताल्लुक रखते हैं। आजकल उनका नाम कन्डक्टर्स हो गया है तो उन लोगों के जो छोटे-छोटे आफेंसेज हैं जैसे किसी का फुट बोर्ड ठीक नहीं है, किसी की लाइट ीक नहीं है या नम्बर प्लेट ठीक नहीं हुई, तो उनका चालान हो जाता है और आजकल सन् १९४७ के बाद हमारी बदकिस्मती से अदालतों का रवैया यह हो गया है कि तारीखों पर तारीखें पड़ती रहती हैं और मुकदमे फैसल नहीं होते। जिन लोगों को अदालत जाने का मौका होता है उनको इसका तजुर्बा है . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन—डेली फीस लिया कीजिये तो कोई परेशानी नहीं होगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—वह पुराने वकील हैं जो अपने जमाने की बात करते हैं जब आदमी के पास पैसा था। अब तो वह सब टैक्स में खत्म हो गया। सरकार ने इतना टैक्स लगा दिया कि फीस देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप मुफ्त कीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—बहुत से लोग, जिन को इधर से जाना पड़ेगा, मुफ्त करेंगे। तो इसका अन्दाजा सीटें खाली होने पर लगेगा।

तो आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स में यह बताया गया कि ड्राइवर्स और क्लीनर्स को छोटे-छोटे आफेंसेज में बार-बार अदालत जाना पड़ता है और इससे उनको तवालत होती है इससे अच्छा हो कि किसी अथारिटी को, जिसे ११४-ए में प्रस्क्राइब किया गया है, उन मामलों को कम्पाउन्ड करने का हक हो और उनको अदालत न जाना पड़े। मान लो कि ड्राइवर बिना लाइसेंस जा रहा है, या उसने कोई अन्य छोटे-मोटे अपराध किये हैं जिनका हवाला ११२ या ११६ आदि में दिया है तो उसका वहीं चालान हो और वहीं पर मामला कम्पाउन्ड हो जाय और मामला आगे ही न जाय। यह व्यवस्था की गयी थी।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

शुरू में तो यह कहा गया। वह बात अब नहीं रही। अब उन्होंने कहा कि हम यह करते हैं कि अदालत जब पहली हाजिरी का समन भेजेगी तो कुछ खास आफेंसेज में अदालत के लिए लिखना लाजिमी होगा, जैसे शिडयूल ५-ए में दिया हुआ है, कि अगर तुम चाहो तो इन मामलात में २५ पया तक मैजिस्ट्रेट के पास भेजने के बाद अपना राजीनामा करालो। सन् १९५६ में गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो ऐक्ट पास किया और फिर हमने यहां दण्डप्रशा मन विधि पास किया और पूरी की पूरी कम्पाउन्डिग की पावर दे दी है। अगर आप शिडयूल भी देखें तो उसमें दफा ११४ नहीं आती है। दफा ११४-ए जिसे हम निकालने जा रहे हैं वह है :—

(1) The offences punishable under sections 112 and 113 may be compounded by Regional Transport Officer or, where he is so authorized by the R. T. O., by the Assistant Regional Transport Officer.

(2) The offences under section 114 may be compounded by the Transport Commissioner or, where he is so authorized by the Transport Commissioner, by the Deputy Transport Commissioner, Administration.

The expressions Transport Commissioner, Deputy Transport Commissioner (Administration), Regional Transport Officer and Assistant Regional Transport Officer mean officers appointed as such by the State Government.

रीजनल ट्रांस्पोर्ट अफसर, ११२ और ११३ में, और ११४ में ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर राजीनामा कर सकेगा। अगर ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर किसी डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर को अधिकार दे-दे तो वह भी राजीनामा कर सकता है।

मैं एक बात आप के जरिये मंत्री जी की सेवा में उपस्थित करूं। एक मोटर वाले का चालान हुआ था इसी तरह से। एक बड़े अधिकारी नैनीताल जा रहे थे। मोड़ पर उन्होंने स्वयं हार्न नहीं दिया, लेकिन ऊपर से आने वाले का उन्होंने चालान कर दिया कि साहब की गाड़ी के सामने तुम ने रोका नहीं। शायद वह सलाम करना भूल गया था। मैंने उनके दफ्तर में नोटिस सर्व किया था कि गलती उनकी है, इस आदमी की नहीं है। अफसर साहेब नैनी ताल गये थे, हवा खाने के लिए और देश सेवा के सबूत के लिए एक गरीब को धर पकड़ा। भले ही उन्हें स्वयं को पुलिया से पहले रुकना चाहिए था, जैसा कि कायदों में भी है। दफा ११४ में आफेंसेज रिलेटिंग टु लाइसेंज हैं। जिस ताकत को उन्होंने पहले दिया—पहले १९५६ में एम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स में कहा गया था कि हम ड्राइवर्स को इन पेटी आफेंसेज में अदालत से बचाने के लिए यह कर रहे हैं। ११४ में गलत लाइसेंस होना कम्पाउन्ड करने का अधिकार दे दिया। और एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स में कहा गया कि देखो हम ने कितना बड़ा अधिकार दे दिया। आज कहते हैं कि उस दफा को निकाल दो और शिडयूल में कम्पाउंडिग की ताकत नहीं दी गयी है तो यह रिडेंडेंट कैसे हुआ ? मुझे तो शक है कि अगर कल को कोई मामला ११४ में आनेरेबिल हाई कोर्ट के सामने जायगा, पूरे विस्तार के साथ तो एडवोकेट-जनरल ही बता सकते थे लेकिन उनके उपस्थित रहने में नहीं मालूम क्या बात है, क्या परहेज है, जब कि श्रीमान् ने कई बार कहा भी है कि वह यहां उपस्थित रहें, कई मामलों में, ब्लिट्ज के केस में, तारीखें भी बदलीं। मैंने जो प्रस्ताव दिया था मैं गोया उसे रख नहीं सकता लेकिन इतना और कहना चाहता हूं कि मौजूदा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट अंग्रेज के वक्त में बना था। इसमें कार में बैठने वाले बड़े बड़े लोगों के लिए और ड्राइवरों के लिए एकसां कानून नहीं है। संविधान के अनुसार दोनों के लिए एकसां कानून होना चाहिए। दफा ८६ में अगर कोई आदमी लाइसेंस मोटर चलाते समय न रखता हो, भूल आया हो, तो अगर वह कार का मालिक है तो सात दिन के अन्दर उसे दिखाने की छूट है मगर ड्राइवर के लिए यह बात नहीं है। मैं एक मामले को जानता हूं कि ड्राइवर ने कपड़े बदले, और लाइसेंस दूसरे कोट की जेब में भूल गया, वह ठेले का ड्राइवर था। हल्द्वानी से वह तीन मील दूर पकड़ा गया, हल्द्वानी में वह कोट उतार आया था। उसने कहा भी कि मैं

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

भूल आया हूं मगर उसके लिए छूट नहीं है। तो आज भी इस कानून में गरीब, प्रोलेटेरियट क्लास के लिए और अमीर सर्मायेदार के लिए भेद रखा गया है। मैं चाहता हूं कि तथा कथित सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी बनाने वाले राज्य में यह नहीं होना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी मेरी बातों पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माान्यवर, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस सदन की यह शिकायत मैं आप के सामने रखना चाहता हूं कि कोई भी मासूम बिल हो, इसे केवल आधे घंटे का समय दिया गया है। इस थोड़े समय में इस बिल पर, जिसमें कम से कम १० बातों का सुधार किया गया है या निकालने की बात कही गयी है जब तक ५३० आदमी का हाउस न हो, विचार कर सकना सम्भव-सा नहीं है। आपने हमारा विरोध देखा होगा कि हम उस बिजीनेस कमेटी के पक्ष में नहीं रहते जहां हमें पूर्णरूप से विचार करने का मौका भी न हो। यह इसी तरह का हेस्टी लेजिस्लेशन होने जा रहा है। अभी २ दिसम्बर को हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस धवन ने कहा था कि :—

"They observed that the U. P. Rent Control and Eviction Act is an ill-drafted piece of legislation as there was lacuna in it, and so on."

आप देखेंगे कि यह कानून जल्दबाजी में पास किया गया और इस संशोधन विधेयक का परिणाम भी ऐसा ही हो रहा है।

अभी आपके सामने हमारे पूर्व वक्ता माननीय गोविन्द सिंह जी ` मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के बारे में कहा। मैं आपका ध्यान सन् १९३९ यू० पी० इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके उपखंड (२) में कहा गया है कि धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिया जाय। इसको निकालने से यह मालूम होता है कि जिस संशोधन को मासूम कहा जा रहा है, उसके जरिये, ड्रास्टिक चेंज किया जा रहा है और यह ड्रास्टिक चेंज मालूम नहीं किस भावना में बह कर जल्दी पास करने की कोशिश की जा रही है। मैं स बात को ऐडमिट करता हूं कि इसके अन्दर जो ९, १० कानून हैं उन सब को पढ़ने का मौका नहीं मिला और इस तरह से हम लोगों को पढ़ने का मौका न देकर इस बिल के साथ अन्याय किया जा रहा है। और इस तरह से हमारी बदनामी का कारण हो सकता है।

आज तक हम को यह भी नहीं मालूम है कि प्रक्रिया नियमावली संशोधन किस तारीख को इस सदन में पेश किया जायगा। जब माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछा गया तो उन्होंने भी नहीं बतलाया कि किस तारीख को कौन सा बिल आयेगा। कोई भी टाइम टेबिल हमारे सामने नहीं है। होता यह है कि कोई कानून पेश किया जाना होता है तो सुबह एजेन्डे पर आ जाता है, जब कि एजेंडा भी हम को ९ बजे मिलता है जिस से पढ़ने का मौका नहीं मिलता। पहले यह बतलाया गया था कि सप्ताह का कार्यक्रम वीक के पहले दिन ही बतला दिया जायगा लेकिन हम को नहीं बतलाया गया कि किस दिन कौन बिल आयेगा जिस से हम निश्चित रूप से उसके लिए तैयार होकर आवें।

इसी तरह से हैबिचुअल आफेंडर्स प्रिवेंशन अधिनियम है, उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) अधिनियम १९५५, है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ हैं जिनके सम्बन्ध में हम लोग बोलना चाहते थे लेकिन आप इसके लिए सिर्फ आधा घंटा समय रखे हैं और फिर भी इसको मासूम-सा विधेयक कहते हैं। इन सब के ऊपर आधा घं` में कुछ कहना असम्भव-सा है। अगर उन सब पर सोचा जाय और विचार किया जाय तो उसमें काफी समय लगेगा।

जल्दी में कानून बनाने की वजह से हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स कई बार हमारे सामने आते हैं। इसलिये कोई भी बिल हो उसे खूब अच्छी तरह पढ़ कर, सुनकर पास करना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंडियन मेडिसिन बोर्ड के बनाने की जहां तक बात है उसमें एक प्रेसीडेंट होगा और पांच सदस्य गवर्नमेंट की तरफ से नामिनेटेड होंगे। उसमें दो सदस्य तो आयुर्वेदिक कालेज के होंगे, एक यूनानी सिस्टम के सदस्य होंगे और दो और सदस्य होंगे। इस तरह से टाइम लिमिट करके हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और वह इस रूप में अन्याय है कि जनता को बतलाया जाता है कि यह बिल सर्वांगपूर्ण है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि वह इस बिल को ऐज ए होल न पास करे और इसका हम विरोध करें।

**श्री हुकुम सिंह विसेन**--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र अवस्थी जी ने इस बात की शिकायत की कि इस विधेयक के लिये केवल आधा घंटा समय रखा गया है जो उनके दृष्टिकोण से नाकाफी है। जहां तक मेरा ख्याल है बिजनेस कमेटी ने इस पर विचार करके आधे घंटे का समय रखा और मेरा ऐसा भी ख्याल है कि यह प्रस्ताव भी इस सदन में पेश हुआ और मंजूर हुआ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--मैंने उनका विरोध किया था।

**श्री हुकुम सिंह विसेन**--लेकिन जब कोई प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसको सबमिट करते हैं, उसको मानते हैं। तो इस सदन ने बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस सदन का निर्णय अब हमारे सामने है और उस निर्णय के खिलाफ अब हम कोई बात कह नहीं सकते। यह विधेयक पहले भी एजेंडे पर रहा और इससे हमारे मित्र को काफी नोटिस हो गयी होगी। उन्होंने इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत कुछ बातें कहीं भी उससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि उन्होंने पढ़ने का भी प्रयास किया। लिहाजा जहां तक वक्त की कमी का सवाल है वह प्रश्न तो उठता नहीं लेकिन मेरे मित्र को तो चूंकि इसका विरोध करना हैं इसलिये कोई न कोई वजह ढूंढ़ कर विरोध करना है। लिहाजा हमारे मित्र ने अपना फर्ज अदा किया। मासूम तो मैं इसे नहीं कहता लेकिन यह छोटा-सा विधेयक है। अनुसूची में जो बातें कही गयी हैं वे बहुत साफ हैं। उनमें कोई गलत फहमी की गुंजाइश नहीं है।

हमारे मित्र गोविन्द सिंह विष्ट ने दफा ११४(ए) के बारे में भी बहुत कुछ कहा। यह मेरे मित्र को मालूम है कि १९५६ में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दफा एक अधिनियम द्वारा बनाई। हाल में गवर्नमेंट आफ इंडिया से आदेश आये हैं कि उनकी यह मंशा है कि एक यूनीफार्म कानून सारे देश भर के लिये होना चाहिये। लिहाजा उन आदेशों के अनुसार उस दफा ११४(क) को डिलीट करने का प्राविजन सरकार को करना पड़ रहा है। ऐसी हालत में सोशलिस्टक पैटर्न और नान सोशलिस्टिक पैटर्न की कोई गुंजाइश है नहीं और हमेशा कानून जो बनते हैं हालात बदलने के साथ वे भी बदलते रहते हैं। हमेशा हालात के मुताबिक हमको और आपको भी अपनी राय बदलनी होती है। जरूरत के बाद यह पता चला कि इस दफा ११४-ए की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके रहने से केंद्रीय सरकार जो समता चाहती है वह नहीं रहती है, लिहाजा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया गया है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसे जरूर स्वीकार करेगा।

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खण्ड २-४ तथा अनुसूची १ व २

२--प्रथम सूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में वर्णित सीमा तक एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — एक अधिनियम का निरसन।

३--द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम उस अनुसूची के पांचवें स्तम्भ में वर्णित सीमा तक तथा उसमें वर्णित रीति से एतद्द्वारा संशोधित किये जाते हैं। — कतिपय अधिनियमों का संशोधन।

अपवाद

४—इस अधिनियम द्वारा किये गये धारा २ में अभिदिष्ट अधिनियम के निरसन का प्रभाव किसी अन्य ऐसे अधिनियम पर न पड़ेगा जिसके द्वारा निरसित अधिनियम प्रवृत्त, समाविष्ट अथवा अभिदिष्ट किया गया हो;

और यह अधिनियम पहले से की गई या हुई किसी बात की, अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न या उपागत किसी अधिकार, आगम, आभार या दायित्व की, अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपचार या कार्यवाही की, अथवा किसी ऋण, शास्ति, आभार, दायित्व, दावे या मांग के उत्सर्ग या उससे मुक्ति की, अथवा पहले से स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति (indemnity) की अथवा किसी अतीत कार्य या वस्तु के प्रमाण की मान्यता या अमान्यता, अथवा उसके प्रभाव या परिणाम पर प्रभाव न डालेगा ;

और न यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, या वर्तमान क्षेत्राधिकार पर या वकालत, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप में या क्रम पर या वर्तमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार निर्बन्धन, विमुक्ति (exemption) पद या नियुक्ति पर ही कोई प्रभाव डालेगा, भले ही वे एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, या उसमें अथवा उससे किसी भी रीति से क्रमशः सम्पुष्ट, अभिज्ञात अथवा व्युत्पन्न हुये हों ;

और न इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन के परिणाम-स्वरूप किसी भी क्षेत्राधिकार, पद, रुढि, दायित्व, अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, विमुक्ति, प्रथा व्यवहार, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी विषय अथवा वस्तु का, जो सम्प्रति विद्यमान अथवा प्रवृत्त न हो, पुनः प्रचलन अथवा पुनः स्थापन ही होगा।

## प्रथम अनुसूची

(धारा २ देखिये)

### निरसन

| क्रम-संख्या | वर्ष | संख्या | संक्षिप्त शीर्षनाम | निरसन की सीमा |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | १९४७ | १७ | दि यू०पी०रेस्टोरेशन आफ लैन्ड्स ऐन्ड हाउसेज ऐक्ट, १९४७ | समस्त |

## द्वितीय अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

| क्रम-संख्या | वर्ष | संख्या | संक्षिप्त शीर्षनाम | संशोधन |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | १८८३ | १९ | दि लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, १८८३ | धारा ३ में शब्द "of a District" तथा "or any officer" के बीच में आने वाले शब्द "or the Deputy Commissioner" निकाल दिये जायं। |

| क्रम-संख्या | वर्ष | संख्या | संक्षिप्त शीर्षनाम | संशोधन |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| २ | १९२२ | १० | दि यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, १९२२ | (१) धारा ११-आई में: (क) खंड (जी) के अन्त में आने वाला शब्द "and" निकाल दिया जाय और (ख) खंड (एच) के अन्त में आने वाले सेमीकोलन के पश्चात् शब्द "and" बढ़ा दिया जाय। (२) धारा १४-डी की उपधारा (१) के खंड (सी) में कोष्ठक तथा अक्षर "(1)" के स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर "(d)" रख दिये जायं। |
| ३ | १९३९ | १० | दि यू० पी० इंडियन मेडिसन ऐक्ट, १९३९ | (१) धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (iii) में शब्द "system of medicine" तथा "in the manner prescribed" के बीच में शब्द "to be elected" रख दिये जायं; और (२) धारा १४ का द्वितीय प्रतिबन्धक निकाल दिया जाय। |
| ४ | १९३९ | ४ | दि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ | धारा ११४-ए २७ फरवरी, १९५८ से निकाल दी जायगी और निकाली हुई समझी जायगी। |
| ५ | १९४८ | ७ | दि यू०पी० रिफ्यूजीज़ रजिस्ट्रेशन ऐंड मूवमेंट ऐक्ट, १९४७ | (१) धारा ४ के द्वितीय प्रतिबन्धक में शब्द "furnish on" तथा "behalf" के बीच में आये हुये शब्द "its" के स्थान पर शब्द 'his or her' रख दिये जायं, तथा (२) धारा ५ में शब्द "as may be authorized" तथा "this behalf" के बीच में आने वाले शब्द "on" के स्थान पर शब्द "in" रख दिया जाय। |
| ६ | १९४८ | १५ | संयुक्त प्रांतीय बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ | धारा ८-क की उप-धारा (४) में कोष्ठक तथा अक्षर "(च)" के स्थान पर कोष्ठक तथा अक्षर "(ङ)" रख दिये जायं। |
| ७ | १९५१ | १ | १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम | अनुसूची ५ में-- (क) परिच्छेद ४-ख के स्पष्टीकरण के खंड (२) में शब्द और संख्या "डिसप्लेस्ड पर्सन्स कम्पेंसेशन ऐंड रिहैब्लिटेशन ऐक्ट, १९५५" के स्थान पर शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड |

| क्रम-संख्या | वर्ष | संख्या | संक्षिप्त शीर्षनाम | संशोधन |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | | | पर्सन्स (कम्पेंसेशन ऐंड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट, १९५४" रख दिये जांय, और<br>(ख) परिच्छेद ८ में शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड पर्सन्स कम्पेंसेशन ऐंड रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, १९५५" के स्थान पर शब्द और संख्या "डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (कम्पेंसेशन ऐंड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट, १९५४" रख दिये जायं। |
| ८ | १९५२ | ३८ | उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, १९५२। | (१) धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:<br>"१६--यदि कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध प्रतिरोध आज्ञा या धारा १५ के अधीन किसी बस्ती में आसेध की आज्ञा दी गयी हो--<br>(क) बिना आज्ञा या प्रवेश-पत्र (पास) के, जो नियत किया गया हो, ऐसी बस्ती या ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के, जिसके भीतर उसकी गतिविधि सीमित की गयी हो, बाहर या ऐसे स्थान में या ऐसे समय पर, जिसके लिये उसके प्रवेश-पत्र (पास) की शर्तों के अनुसार अनुमति न हो, पाया जाय, या<br>(ख) किसी बस्ती से निकल भागे या प्रस्थान करे,<br>(१) तो वह बिना किसी वारन्ट के किसी पुलिस अधिकारी या बस्ती के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जो राज्य सरकार की किसी सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा इस बात के लिये अधिकृत किया गया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सम्मुख उपस्थित किया जा सकता है, जो इस अधिनियम के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के |

| क्रम-संख्या | वर्ष संख्या | संक्षिप्त शीर्षनाम | निरसन की सीमा |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | | उद्देश्य से उसे उस क्षेत्र या बस्ती में, जैसी भी स्थिति हो, ले जाये जाने की आज्ञा देगा ।"<br>(२) अनुसूची में धारा ३६३ के सामने शब्द "अपहरण (kidnapping)" के पश्चात् तथा विराम के पहले शब्द" के लिये दंड" बढ़ा दिये जायं । |
| ९ | १९५६ | ३ उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) अधि-नियम, १९५५ । | (१) धारा ६ की उप-धारा (२) में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट" के पश्चात् आये हुये शब्द"अथवा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी" निकाल दिये जायं, तथा<br>(२) धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में आये हुये शब्द तथा अंक"धारा ८" तथा शब्द"के अधीन" के बीच में शब्द तथा अंक "अथवा सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ की धारा ७" रख दिये जायं । |
| १० | १९५७ | २५ उत्तर प्रदेश राज्यविधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ । | धारा २ में आये हुये शब्द"विधान मंडल" तथा शब्द"(अनर्हता निवारण)" के बीच में शब्द "सदस्य" रख दिया जाय |

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसची इस विधेयक के अंग मांने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

## शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

## उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

एक अधिनियम को निरसित करने तथा कुछ अन्य अधिनियमों को संशोधित करने का

## विधेयक

यह इष्टकर है कि एक अधिनियम जिसका अब प्रायः कोई प्रयोग नहीं रह गया है स्पष्ट और विशिष्ट रूप से निरसित कर दिया जाय;

और यह भी इष्टकर है कि कतिपय अन्य अधिनियमों में कुछ संशोधन किये जायं :--

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन अधिनियम, १९५८" कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हुकुम सिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८ ( the Uttar Pradesh Repealing and Amending Bill, 1958), जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं । यह पास करने लायक नहीं है । इसको हम रिजेक्ट करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक, १९५८ (the Uttar Pradesh Repealing and Amending Bill, 1958) जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## सदन के आगामी कार्यक्रम के विषय में पूछताछ

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं हाउस की बिजनेस के बारे में और आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १९(२) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि :--

"19. (2) On the first working day of every week when the House meets, the Leader of the House or any member authorized by him will, after questions, inform the House of the business to be performed during the week and the order in which it will be taken."

तो श्रीमन्, प्रातःकाल भी यह प्रश्न उठाया गया था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा था कि कार्यसूची में जैसा लिख दिया गया उसी तरह से लिया जायगा । तो मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जब हमारा नियम है उसके मुताबिक पहले तो हमें दुख है कि हमें कल का ही प्रोग्राम मालूम नहीं है और बार-बार शिकायत होती है । हमको पूरे वीक का प्रोग्राम न मालम होने के कारण बड़ी दिक्कत होती है और इतना कम समय रह जाता है कि हमारे लिये तैयारी करना असम्भव हो जाता है । तो इस नियम के मुताबिक मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि प्रातःकाल भी नहीं बतलाया गया, पूरे वीक का क्या ऐजेन्डा होगा ? इस सिलसिले में आप व्यवस्था दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मैंने इस सम्बन्ध में शुक्रवार को आपका ध्यान आकर्षित किया, प्वाइंट आफ आर्डर उठाया और यह कोशिश की जानने की कि अगले सप्ताह में क्या वर्क लिया जायगा । लेकिन बावजूद मेरी कोशिस के हमारे उपनेता सदन ने जो इस समय मौजूद हैं यह कह कर टाला कि हमारा दस्तूर यह है कि सोमवार को ही बताया जाता है । लेकिन

आज भी माननीय मुख्य मन्त्री जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिजनेस कमेटी ने कुछ इसके बारे में निर्देश दिये हैं। लेकिन मैं बताऊं कि बिजनेस कमेटी ने १६ घंटे का एक कार्य, ४ घंटे और २ घंटे का दूसरा कार्य, इतना ही बताकर समाप्त कर दिया है। पूरे वीक का प्रोग्राम अब भी नहीं बताया है। और विशेष तौर से प्रक्रिया नियमावली संशोधन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया जिसके लिये पहले ११ तारीख रखी गई थी। जब माननीय पालीवाल जी ने एतराज उठाया तो मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दिया कि सम्भवतः नहीं। इसलिये मालूम होता है कि उसके लिये कोई डेट नियत नहीं है।

इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल आने वाला है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो हमको पूरे वीक का प्रोग्राम बताना चाहिये था जैसा कि हमारी नियमावली में है। इसके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--नियम १९(२) माननीय प्रताप सिंह जी ने पढ़कर सुनाया। इसमें दिया है कि :—

"19. (2) On the first working day of every week when the House meets, the Leader of the House or any member authorized by him will, after questions, inform the House of the business to be performed during the week and the order in which it will be taken. If any change is considered necessary, the Government will, as far as possible, inform the Honse of it a day before it is made."

यह है कि सप्ताह के पहले दिन नेता सदन कार्यक्रम के बारे में बतायेंगे और क्रम भी बतायेंगे कि किस क्रम से वह लिया जायगा। इसके बाद अगर कोई परिवर्तन करना हो तो वह परिवर्तन करने के एक रोज पहले बतायेंगे कि अमुक परिवर्तन हो, जहां तक उनके लिये यह बात बताना सम्भव हो। आज सबेरे उन्होंने यह बताया था कि उत्तर प्रदेश निरसन संशोधन विधेयक पास हो जाने के बाद प्राथमिकता जो फाइनेन्स बिल्स हैं, उत्तर प्रदेश स्टैम्प तथा कोर्ट फीस विधेयक, उनको दी जायगी। मेरे पास लिखित भी उनकी तरफ से आ गया है कि उत्तर प्रदेश निरसन तथा संशोधन विधेयक के बाद इनको प्राथमिकता दी जाय, और इसलिये कल उत्तर प्रदेश स्टैम्प्स (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८ लिया जायगा। यह उन्होंने आर्डर निश्चित किया है....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि...

श्री अध्यक्ष--यह नियम नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप खड़े होकर मुझे अपनी बात सुनाने लगें। उन्होंने कुछ क्रम में परिवर्तित किया है, जो छपा हुआ कार्यक्रम था उसमें यह परिवर्तन हुआ है कि वह अब उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक को प्राथमिकता दना चाहत हैं। आज ही वह इस विधेयक को लेना चाहते थे और श्री न ेन्द्रसिंह विष्ट का प्रस्ताव भी आया था कि स्टाम्प विधेयक आज ही शेष समय में आखिर में ले लिया जाय लेकिन मैंने उसके लिये इजाजत देने से इन्कार कर दिया था कि इस तरह से मैं उसे लेने को तैयार नहीं हूं। इसलिये आज तो अब कार्यक्रम खत्म हो जायगा और चूंकि वह उसें प्राथमिकता देना चाहते हैं इसलिये एक दिन के नोटिस के बाद वह अब कल लिया जायगा।

श्री मोती लाल अवस्थी--क्या मैं जान सकता हूं कि कुमायूं जमींदारी वाला विधेयक आज नहीं लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। तो कुमायूं वाले को अगर वह लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि मैं उसके बारे में कह चुका हूं और उसका ड्यू नोटिस हो चुका है। अब अगर वह स्टाम्प वाला पहले लेना चाहते हैं और क्रम को बदलना चाहते हैं तो अब आधा घंटे में और

[श्री अध्यक्ष]

काम न होगा और सदन अब उठ जायगा और कल को स्टाम्प विधेयक लिया जायगा । चूंकि अब लिखित सूचना उसके बारे में आ चुकी है इस कारण कल स्टाम्प विधेयक लिया जायगा । इस विधेयक के लिये जो निर्धारित समय है वह ४ घंटे का है, इस तरह से उसमें कल का पूरा दिन लग जायगा । उस के बाद कोर्ट फीस वाले बिल का नम्बर आता है, वह १० तारीख को होता लेकिन १० तारीख के लिये हम पहले ही निश्चय कर चुके हैं कि उस दिन पहले तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट्स लिये जायंगे और दूसरा निश्चय यह भी हो चुका है कि वाटरलागिंग का जो प्रस्ताव, नेता विरोधी दल का था उस पर ३ से ५ बजे शाम तक, २ घंटे की, बहस होगी । कोर्ट फीस विधेयक के लिये अब बाद में कहा गया है इसलिये पहले से जो निश्चित विषय १० तारीख के लिये रहे, उनको ही पहले लिया जायगा, उस दिन कोर्ट फीस विधेयक न लिया जाकर ११ और १२ तारीख को लिया जायगा, उसके लिये १० घंटे का समय निर्धारित हुआ है, ऐसी हालत में ११ और १२ को वह चलेगा और १३ को भी २ घंटे चलेगा या यह भी हो सकता है कि सदन इन दोनों दिन, यानी ११ और १२ को ही १-१ घंटा अधिक बैठकर उसे पारित कर दें, यह सदन की इच्छा पर निर्भर है, यह चीज सरकार नहीं कर सकती है पहले से बल्कि यह सदन ही कर सकता है और अगर ११-१२ को एक घंटा अधिक सदन देना नहीं चाहता तो फिर १३ को २ घंटे इसी पर बहस चलेगी । इसके बाद कृषि महाविद्यालय वाला विधेयक यदि तब तक प्रवर समिति से आ जायगा तो लिया जायगा । १२ तारीख को गैर सरकारी दिवस है, उसके लिये सरकार एक प्रस्ताव लाना चाहती है जिसकी सूचना उसने दी है जिस को उस प्रस्ताव का विरोध करना हो वह कर सकता है जब कि वह प्रस्ताव सदन में आये कि असरकारी दिन सरकारी दिन में परिवर्तित किया जाय । सरकार चाहती है कि उस दिन के बजाय कोई और असरकारी दिन आगे किसी तारीख को निश्चित किया जावेगा ।

एक सदस्य---१३ तारीख को सटरडे है ।

श्री अध्यक्ष---उसके लिये भी प्रस्ताव आवेगा । अगर नहीं आयेगा तो नहीं रखा जायगा ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, जैसा कि बिजनेस कमेटी में इस पर वार्ता हुई थी कि कुमायूं जमींदारी अबालीशन को प्रायोरिटी मिलेगी और ४ दिन मिलेंगे, हम यह नहीं समझ पाये कि इस तरह से वह टाला जायगा । क्या स तरह से वह टल जायगा ?

श्री अध्यक्ष---टालने का सवाल नहीं है ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, हाउस १५ दिन तक है, उसके बाद यह जमींदारी अबालीश बिल नहीं आयेगा ।

श्री अध्यक्ष---उसके बाद भी सदन को बैठने का अधिकार न हो, ऐसी बात नहीं है । १५ तारीख तक इस हफ्ते का प्रोग्राम समाप्त होगा । फिर १५ तारीख को आपका कृषि महाविद्यालय बिल चलेगा, अगले सोमवार को, उस रोज सदस्य पूछ सकते हैं कि और क्या कार्यक्रम होगा । इस आदरणीय सदन को यह भी अधिकार है कि जब वह बैठा है और काम सामने है तो अधिक दिनों तक और भी बैठ सकता है । इसका निश्चय सरकार ही कर सकती है, ऐसा नहीं है । जबतक सरकार यह न करे कि हम बिल को वापस लेते हैं तब तक तो सदन ही निश्चय करेगा ।

आज स हफ्ते का प्रोग्राम मैंने बतला दिया । कल यह स्टैम्प बिल लिया जायगा ।

श्री प्रताप सिंह---मान्यवर, कल का प्रोग्राम अभी साढ़े ४ बजे बतलाया गया । अगर १ घंटा पहले भी मिले तो तैयारी तो हो सकती है, लेकिन जिन-जिन लोगों का इससे सम्बन्ध है उनको कितनी दिक्कत होती है । साढ़े ४ बजे से कल का प्रोग्राम आपके सेक्रेटेरियट वाले छपने भेजेंगे ।

श्री अध्यक्ष--हमारा सेक्रेटेरियट तो शिकायत नहीं करता।

श्री प्रताप सिंह--शिकायत तो नहीं करता, लेकिन उसमें जो १९ रूल हैं, उसमें लिखा है कि अगर आवश्यक परिवर्तन हो तो एक दिन पहले सरकार उस सम्बन्ध में सूचित करेगी, तो मान्यवर, यह साढ़े ४ बजे जो कार्यक्रम बतलाया जा रहा है यह इस रूल के अनुकूल है या प्रतिकूल ?

श्री अध्यक्ष--प्रतिकूल नहीं है।

श्री प्रताप सिंह--श्रीमन्, एक मिनट। जिस तरीके से एजेंडा बटा हुआ है, अगर इस तरीके से आता तो दूसरी बात थी, हमको कोई एतराज नहीं था। जिस तरीके से प्रातःकाल मुख्य मन्त्री जी ने कहा, वही क्रम रहना चाहिये था। तो मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि माननीय सदन की कोई मर्यादा है जिसके अनुसार हमको काम करना है ?

श्री अध्यक्ष--पहले जो सूचना यहां भेजी गई थी ६ दिसम्बर के लिये यह प्रोग्राम आपके सामने रखा गया था कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (संशोधन) विधेयक आयेगा। (२) उत्तर प्रदेश कोर्टफीस स्टैम्प यानी उन पर ६ तारीख को ही आपको तैयार हो जाना था। तो अगर ३ रोज और बढ़ गये तो उसकी वजह से आप अपनी तैयारी भूल गये, ऐसी चीज मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। तो यह तो रहा तैयारी का सवाल।

जहां तक दूसरा सवाल है कि बीच में समय क्यों बढ़ गया और कामों में तो इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि किसी कार्य में कुछ समय ज्यादा ले ले। सरकार समझती है कि २ दिन एक विधेयक में लगेंगे लेकिन आपका कृषि महाविद्यालय बिल ५ रोज के लिये सदन ही द्वारा टल गया। इस कारण पहले जो बिल आने वाले थे वह बाद को आयेंगे। इस तरह से बीच-बीच में परिवर्तन होते ही रहते हैं। इसमें कोई अचानक बात नहीं हुई है, बल्कि ३ रोज देर से उक्त विधेयक आ रहा है।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ३८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
८ दिसम्बर, १९५८।

## नत्थी 'क'

(देखिये ५ दिसम्बर, १९५८ के स्थगित तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९५ पर ।)

इटावा जिले के हरिजन सहायक विभाग में वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में हरिजन, पिछड़ी-जातियों (मुसलमानों की पिछड़ी जातियों सहित) व विमोचित जातियों के विकास में अलग-अलग मद में जो रुपया खर्च किया तथा जो रुपया हरिजन कल्याण अधिकारी, हरिजन कल्याण सुपरवाइज़र, (पारदर्शक) लिपिक, चपरासी के अलग-अलग वेतन, भत्ता, कार्यालय का किराया व लेखन सामग्री में खर्च हुआ, उसका विवरण निम्न प्रकार है :

| नाम मद | खर्च की धन-राशि हरिजनों के लिये | खर्च की धनराशि पिछड़ी हुई जाति के लिये, (मुसलमानों की पिछड़ी जातियों सहित) | खर्च की धनराशि विमुक्त जातियों के लिये |
|---|---|---|---|
| | रु० न० पै० | रु० न० पै० | रु० न० पै० |
| १—कुओं की व्यवस्था के लिये .. | १२१२·३९ | .. | २१०·०० |
| २—आवास की व्यवस्था के लिये | १०६६·१२ | .. | .. |
| ३—कुटीर उद्योगों के लिये .. | ६१००·०० | ७००.०० | ५५०.०० |
| ४—हरिजन सहायक समितियों (सम्मेलन इत्यादि) के लिये .. | ७५०·०० | .. | .. |
| ५—सामाजिक कार्य के लिये (कार्य-कर्त्ताओं का भत्ता) .. | २०१·८२ | .. | .. |
| ६—शिक्षा की उन्नति के लिये .. | २,५८,८१५·०० | ११९०९.०० | २२०.०० |
| योग .. | २,६८,१४५·३३ | १२६०९·०० | ९८०·००. |

| | रु० न०पै० |
|---|---|
| वेतन, जिला हरिजन कल्याण अधिकारी .. .. .. | २१२०·०० |
| भत्ता, जिला हरिजन कल्याण अधिकारी. . .. .. .. | ७२०·०० |
| वेतन सुपरवाइज़र .. .. .. .. .. | ४११·०० |
| भत्ता सुपरवाइज़र .. .. .. .. .. | ४४९·१९ |
| वेतन चपरासी .. .. .. .. .. | १५६·३९ |
| भत्ता चपरासी .. .. .. .. .. | ११८·०६ |
| विशेष वेतन लिपिक .. .. .. .. .. | १२०·०० |
| किराया कार्यालय .. .. .. .. .. | ७२·५० |
| लेखन सामग्री .. .. .. .. .. | ५०·२७ |
| डाक व्यय .. .. .. .. .. | ६०·०० |
| आकस्मिक विविध व्यय .. .. .. .. | ४१·३३ |
| साज-सज्जा की खरीद .. .. .. .. .. | ४६९·७७ |
| योग .. | ४७८८.५१ |

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०३ पर।)

### तालिका

| शिकायतों की किस्में | सन् १९५६ में प्राप्त शिकायतों की संख्या | जांच की गई शिकायतों की संख्या | सही पाई गई शिकायतों की संख्या | सन् १९५७ में प्राप्त शिकायतों की संख्या | जांच की गई शिकायतों की संख्या | सही पाई गई शिकायतों की संख्या | सन् १९५८ तक प्राप्त शिकायतों की संख्या | जांच की गई शिकायतों की संख्या | सही पाई गई शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ भ्रष्टाचार | ९७ | ७९ | २६ | १०६ | ८४ | ३५ | ८६ | ५५ | २२ |
| २ हैसमेंट .. | ६९ | ५८ | १४ | ३१ | २८ | २३ | २० | १२ | ८ |
| ३ एक्सटार्शन | २२ | १८ | ५ | १० | १० | ६ | ३ | ३ | २ |
| ४ बिलकुल–विन-डिक्टिवनेस | १ | १ | १ | – | – | – | – | – | – |
| ५ मिसलेनियस | – | – | – | ७६ | – | – | ३६ | – | – |

नोट:—चूंकि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट (कम्प्लेन्ट) खीरी को नियुक्ति ही १ फरवरी सन् १९५६ ई० से हुई थी, अतः उक्त सूचना १ जनवरी सन् १९५६ ई० के बजाय १ फरवरी, सन् १९५६ ई० से ३० जून, सन् १९५८ ई० तक की है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१२ पर।)

### चालानों का विवरण जिसके द्वारा ६ पाइप मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीज ने वापस किया

| चालान की तारीख | चालान का नम्बर | लैन्थ्स जो फर्म ने वापिस की | |
|---|---|---|---|
| | | फुल लैन्थ्स | हाफ लैन्थ्स |
| १२-३-५१ | २२८ | .. | २९ |
| १४-३-५१ | २२९ | .. | ४१ |
| १५-३-५१ | २३१ | .. | १९ |
| १६-३-५१ | २३२ | .. | ३२ |
| ६-६-५२ | १७७ | .. | .. |
| **वास्तविक प्राप्ति की तिथि (Actual date of receipt)** | | | |
| | २७-५-५२ | .. | १२० |
| | २८-५-५२ | .. | १२४ |
| | २८-५-५२ | .. | ८१ |
| | २९-५-५२ | .. | ४५ |
| | ३०-५-५२ | .. | ४० |
| | ३१-५-५२ | .. | ४० |
| | २-६-५२ | .. | ६५ |
| | ३-६-५२ | .. | ८० |
| | ३-६-५२ | १३२ | .. |
| | ४-६-५२ | १०४ | .. |
| ८-१२-५२ | २१२ | .. | १७ |
| १६-१२-५२ | २१४ | .. | २४ |
| ६-२-५३ | २३४ | .. | ६७ |
| ९-२-५३ | २३६ | .. | १२ |
| १०-२-५३ | २३६-अ | .. | ३३ |
| १६-२-५३ | २३८ | .. | २० |
| १८-२-५३ | २३९ | .. | १९ |
| ४-३-५३ | २४१ | .. | २० |
| १६-३-५३ | २४५ | .. | २४ |
| १७-३-५३ | २४६ | .. | २८ |
| ८-५-५३ | २५७ | .. | १९ |
| ९-५-५३ | २५८ | .. | २० |
| २१-५-५३ | २६८ | -(२४-२) | २२ |
| २८-९-५३ | २७७ | .. | १० |
| २९-९-५३ | २७८ | .. | ८ |
| ६-१०-५३ | २७९/२८० | .. | १० |

| चालान की तारीख | चालान का नम्बर | लैन्थ्स जो फर्म ने वापिस की | |
|---|---|---|---|
| | | फुल लैन्थ्स | हाफ लैन्थ्स |
| ८-१०-५३ | .. .. | २८१ .. | १४ |
| १०-१०-५३ | .. .. | २८३ .. | १३ |
| १२-१०-५३ | .. .. | २८४ .. | १० |
| १३-१०-५३ | .. .. | २८५ .. | १० |
| २१-१०-५३ | .. .. | २८६ .. | १२ |
| | | २३६ | १,१२८ |
| | | या | |
| | | ५६४ फुल | लैन्थ्स |
| | | २३६ फुल | लैन्थ्स |
| | | ८०० फुल | न्लैथ्स |

प्रदेश सरकार

## नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९०-९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१६ पर।)

### तालिका 'क'

### १९५८ की परिषद् की परीक्षाओं में नकल करने व अव्यवस्था पैदा करने आदि की घटनाओं का विवरण

| शिकायत का आधार | इन्टरमीडियेट परीक्षा | | योग | हाई स्कूल परीक्षा | | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | बालक | बालिकायें | | बालक | बालिकायें | |
| १—परीक्षा केन्द्रों पर रंगे हाथों पकड़े गये परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में केन्द्र व्यवस्थापकों की शिकायतें .. | २८१ | १२ | २९३ | ४३८ | १८ | ४५६ |
| २—उत्तर की पुस्तकें जांचते समय परीक्षकों द्वारा शिकायतों से सम्बन्धित .. | ३१५ | १८ | ३३३ | ५४१ | १ | ५४२ |
| ३—ज्ञात अथवा अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शिकायतों पर आधारित | २८ | ४ | ३२ | ९२६ | ६ | ९३२ |
| ४—वास्तविक परीक्षार्थी की जगह दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने की शिकायतें .. | .. | १ | १ | ४ | .. | ४ |
| ५—परीक्षा भवन से लिखित अथवा सादी उत्तर पुस्तकें लेकर भाग जाने की केन्द्र व्यवस्थापकों की शिकायत | ३ | .. | ३ | १० | .. | १० |
| ६—परीक्षा में मारपीट करने अथवा अव्यवस्था पैदा करने की शिकायतें .. | १० | .. | १० | १८ | .. | १८ |
| योग .. | ६३७ | ३५ | ६७२ | १,९३७ | २५ | १,९६२ |

## तालिका 'ख'

## विभिन्न अभियोगों के आधार पर परीक्षाफल रोके जाने के उपरान्त की गयी कार्यवाही का विवरण

| | इन्टरमीडियेट परीक्षा | हाई स्कूल परीक्षा |
|---|---|---|
| १—दोष-मुक्त परीक्षार्थी जिनका परीक्षा फल घोषित किया गया .. .. | १७४ | ४७२ |
| २—दण्डित परीक्षार्थी जिनका परीक्षाफल रद्द किया गया .. .. .. | ४५६ | १,२८३ |
| ३—उन परीक्षार्थियों की संख्या जिन्हें अभियोग-पत्र भेजा गया है .. .. | २२ | १४६ |
| ४—उन परीक्षार्थियों की संख्या जिनके सम्बन्ध में अभी जांच हो रही है .. .. | १७ | ५८ |
| योग .. | ६७२ | १,६६२ |

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२१ पर ।)

### तालिका

| नाम थाना | सन् १९५७ ई० में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या | सन् १९५८ ई० में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| १—केराकत .. .. .. | ४ | ५ |
| २—चन्दबक .. .. .. | ८ | ३ |
| ३—जलालपुर .. .. .. | ९ | ४ |

# नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२६ पर।)

## सूची

| नाम थाना | स्वीकृत हुये लायसेन्सों की संख्या | |
|---|---|---|
| | बन्दूक | रिवाल्वर |
| १—कोतवाली .. .. .. | २४ | ६ |
| २—सफदरगंज .. .. | १५ | २ |
| ३—रामसनेहीघाट .. .. | १० | .. |
| ४—टिकैत नगर .. .. | ८ | .. |
| ५—भेलसर .. .. .. | ८ | १ |
| ६—मवई .. .. .. | ६ | .. |
| ७—फतेहपुर .. .. .. | ११ | .. |
| ८—रामनगर .. .. .. | ३ | २ |
| ९—मोहम्मदपुर .. | ४ | .. |
| १०—कुर्सी .. .. .. | ५ | .. |
| ११—कोठी .. .. .. | २ | .. |
| १२—लोनी कटरा .. .. | ४ | १ |
| १३—सुबेहा .. .. .. | १ | .. |
| जोड़ .. | १०१ | १२ |

## नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२७ पर।)

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस कप्तान साहब,
देवरिया।

महोदय,

नम्र निवेदन है कि हम प्रार्थी लार टाउन एरिया के चेयरमैन और सदस्यगण हैं।

आज दिनांक २३-७-५८ को प्रातः ७ बजे को मोटर से मुसाफिर सिंह पुत्र रामअज्ञा सिंह, साकिन लार टोला, पिपरा के देवरिया आ रहे थे। उसी मोटर में बैठे अमानुल्लाह, पुत्र सन्नाउल्लाह और अबुल खैर, पुत्र मुहम्मद हनीफ वगैरह के सामने कहा कि लार टाउन एरिया के मौजूदा अध्यक्ष सागर मल एवं मुहम्मद अखतर, अब्दुल बरकात वगैरह सदस्यों का कत्ल करने की स्कीम हमारी पार्टी में बनाई जा चुकी है और लार की पुलिस भी हम लोगों की मदद में है, एक हफ्ते के अन्दर ही इन लोगों का कत्ल कर दिया जायेगा। यदि हमारी पार्टी के दूसरे आदमी नहीं गये तो मैं अकेले ही एक हफ्ते के अन्दर ही इन लोगों का कत्ल स्वयं करूंगा। यहां की स्थानीय पुलिस भी इनकी साजिस में है। मुसाफिर सिंह काफी सरकश काबी याफ्ता और गिरोह बन्द हैं। हम लोगों को अन्देशा है कि लार कस्बे में शीघ्र ही ये लोग कोई भयानक खतरा करना चाहते हैं। हम लोगों के जान माल का इन लोगों से खतरा है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थी हूं कि शीघ्र उचित कार्यवाही कर हम लोगों के जान माल की रक्षा करने एवं लार कस्बे में कोपागंज जैसी दुर्घटना होने से बचायें। लार की मौजदा पुलिस से भी हम लोगों को खतरा है। इस लिये आप इस कार्य को स्वयं अपने करने की उदारता करें।

प्रार्थी :

ह० सागरमल, अध्यक्ष।
ह० मु० अखतर, सदस्य।
ह० अब्दुल बरकात, सदस्य।

टाउन एरिया लार, थाना लार,
जिला देवरिया, दिनांक २३-७-५८।

प्रतिलिपिः

१--श्री पुलिस मंत्री, उत्तर प्रदेश स०, लखनऊ।
२--श्री लोकल सेल्फ मंत्री, लखनऊ।
३--श्री जिलाधीश, देवरिया।
४--एस० डी० एम०, देवरिया।

हस्ताक्षर गवाहान :

ह० अमानुलाह।
ह० अबुल खैर।

## नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८३८ पर।)

# उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का

ऐक्ट संख्या ७, १८७० ।

## विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० में और संशोधन किया जाय ;

ऐक्ट संख्या ७, १८७० ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित करे ।

२--उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० (जिसे आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ७ की--

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की धारा ७ का संशोधन ।

(१) उपधारा (४) में--

(क) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"Provided, further, that in all suits falling under clause (*a*), such amount shall in no case be less than Rs.500"; और

(ख) वर्तमान द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "further" के स्थान पर शब्द "also" रख दिया जाय ;

(२) उपधारा (४-बी) में वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"Provided that such amount shall not be less than one-fifth of the market-value of the property involved in or affected by the relief sought or Rs. 200 whichever is greater :

"Provided, further, that in the case of suits falling under clauses (*a*) and (*b*), the amount of court-fee leviable shall in no case exceed Rs. 500."

(३) उपधारा (४-सी) का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय ।

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनुसूची १ का संशोधन ।

३--मूल अधिनियम की अनुसूची १ (Schedule I) में--

(१) अनुच्छेद (Article) १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

| | | |
|---|---|---|
| "1. Plaint, written statement pleading a set-off or counter-claim of memorandum of appeal (not otherwise provided for in this Act) presented to any Civil or Revenue Court except those mentioned in section 3. | When the amount or value of the subject-matter in dispute— | |
| | (i) does not exceed fifty rupees; | naye paise for every five rupees, or part thereof. |
| | (ii) exceeds one hundred rupees but does not exceed three hundred rupees ; | on one hundred rupees, the fee payable under clause (i), and on the remainder, one rupee and twenty-five naye paise for every ten rupees or part threof. |
| | (iii) exceeds three hundred rupees but does not exceed five hundred rupees. | on three hundred rupees, the fee payable under clause (ii), and on the remainder, one rupee and fifty naye paise for every ten rupees or part threof. |
| | (iv) exceeds five hundred rupees but does not exceed one thousand rupees ; | on five hundred rupees, the fee payable under clause (iii), and on the remainder, two rupees and twenty-five naye paise for every ten rupees or part thereof. |
| | (v) exceeds one thousand rupees but does not exceed five thousand rupees ; | on one thousand rupees, the fee payable under clause (iv), and on the remainder, twelve rupees for every one hundred rupees or part thereof. |
| | (vi) exceeds five thousand rupees but does not exceed ten thousand rupees ; and | on five thousand rupees, the fee payable under clause (v), and on the remainder, twenty rupees for every two hundred rupees or part thereof. |

| | |
|---|---|
| (vii) exceeds ten thousand rupees. | on ten thousand rupees, the fee payable under clause (vi), and on the remainder, thirty-seven rupees and fifty naye paise for every five hundred rupees or part thereof." |

(२) अनुच्छेद ६ में "शब्द fifty naye paise", "one rupee" और "two rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "seventy-five naye paise" "one rupee and fifty naye paise" और "three rupees" रख दिये जायं ;

(३) अनुच्छेद ७ में शब्द "one rupee", "two rupees" तथा "five rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise", "three rupees" तथा "seven rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(४) अनुच्छेद ८ में शब्द "eight annas" तथा "one rupee" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee" तथा "one rupee and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(५) अनुच्छेद ८-ए में शब्द "one rupee" के स्थान पर शब्द "one rupee and fifty naye paise" रख दिये जायं;

(६) अनुच्छेद ९ में शब्द "seventy-five naye paise" के स्थान पर शब्द "one rupee" रख दिये जायं ; और

(७) वादों के निवेशन (institution of suits) पर उद्ग्राह्य मूल्यानुसार यथामूल्य शुल्क (*ad valorem* fee) की दरों की सारणी के स्थान पर संलग्न अनुसूची में दी गई सारणी रख दी जाय ।

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनुसूची २ का संशोधन ।

४--मूल अधिनियम की अनसूची २ (Schedule II) में--

(१) अनुच्छेद १ के खंड (ए) से (डी) तक में शब्द "twenty-five naye paise", "one rupee", "two rupees" तथा "three rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "fifty naye paise", "one rupee and twenty-five naye paise", "two rupees and fifty naye paise" तथा "five rupees" रख दिये जायं;

(२) अनुच्छेद १ के खंड (ई) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

| | | |
|---|---|---|
| "Application or petition: | (*e*) When presented to a High Court— | |
| | (1) under the Companies Act, 1956, for the winding up of a company ; | one hundred rupees. |
| | (2) under Article 226 of the Constitution for a writ other than a writ in the nature of Habeas Corpus ; | one hundred rupees. |

| | | |
|---|---|---|
| | (3) for probate or letters of administration to have effect throughout India ; | twenty-five rupees. |
| | (4) under section 115 of the Code of Civil Procedure, 1908, for revision of an order ; and | ten rupees. |
| | (5) in any other case not otherwise provided for. | five rupees." |

(३) अनुच्छेद १ के खंड (एफ) में शब्द "two rupees" और " three rupees and seventy-five naye paise " के स्थान पर क्रमशः शब्द " two rupees and fifty naye paise " तथा "five rupees" रख दिये जायं;

(४) अनुच्छेद ५ में शब्द " one rupee " के स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जायं;

(५) अनुच्छेद १० में—

(क) प्रथम स्तम्भ में शब्द "Mukhtarnama or Vakalatnama" के स्थान पर शब्द "Mukhtarnama, Vakalatnama or any paper signed by an advocate signifying or intimating that he is retained by a party" रख दिये जायं; और

(ख) तीसरे स्तम्भ में शब्द "one rupee", "two rupees" तथा "three rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and twenty-five naye paise", "two rupees and fifty naye paise" तथा "five rupees" रख दिये जायं;

(६) अनुच्छेद ११ में शब्द "one rupee", "two rupees and fifty naye paise" तथा "three rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise", "three rupees" तथा "five rupees" रख दिये जायं;

(७) अनुच्छेद ११ के पश्चात् निम्नलिखित को अनुच्छेद ११-ए के रूप में बढ़ा दिया जाय :

| | | | |
|---|---|---|---|
| "1-A. Memorandum of Appeal under section 39 of the Arbitration Act, 1940. | (*a*) When the appeal is from an order in a case where the value for purposes of jurisdiction does not exceed five thousand rupees ; | : | fifteen rupees. |
| | (*b*) in any other case | : | one hundred rupees.' |

(८) अनुच्छेद १७ में--

(क) तीसरे स्तम्भ में खंड (१) तथा (२) के सामने शब्द "eighteen rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty-two rupees" रख दिये जायं; और

(ख) खंड (३) से (६) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं :

| | | |
|---|---|---|
| "(iii) to obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed in any suit, not otherwise provided for by this Act ; | (*a*) when the value of the suit or appeal, for purposes of jurisdiction, does not exceed one thousand rupees ; | twenty- five rupees. |
| (iv) and (v) (deleted by U.P. Act XIX of 1938) ; | (*b*) when such value exceeds one thousand rupees, but does not exceed five thousand rupees ; | fifty rupees. |
| (vi) for relief under section 14 of the Religious Endowments Act, 1863, or under section 91 or section 92 of the Code of Civil Procedure, 1908; | (*c*) when such value exceeds five thousand. rupees , but does not exceed ten thousand rupees ; and | one hundred rupees. |
| (vii) every other suit not otherwise provided for by this Act. | (*d*) when such value exceeds ten thousand rupees ; | two hundred rupees. |
| | Provided that in a suit filed before a High Court under its original jurisdiction, the fee chargeable in all cases under this article shall be two hundred and fifty rupees." | |

(९) अनुच्छेद १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायं :

| | | |
|---|---|---|
| "18. (i) Application under section 14 of section 20 of the Arbitration Act, 1940, or an application to set aside an award under the said Act. | (*a*) When the value of the subject -matter of the award does not exceed five thousand rupees ; | twenty rupees. |
| | (*b*) when such value exceeds five thousand rupees, but does not exceed ten thousand rupees ; and | one hundred rupees. |
| | (*c*) when such value exceeds ten thousand rupees. | two hundred rupees. |
| (ii) Other applications under the Arbitration Act, 1940. | .. | twenty rupees." |

(१०) अनुच्छेद १९ में शब्द "eighteen rupees and seventy-five naye paise" के स्थान पर शब्द "twenty-" रख दिये जायं ;

(११) अनुच्छेद २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायं :

| | | |
|---|---|---|
| "21. Memorandum of Appeal under the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936. | .. | thirty-seven rupees and fifty naye paise." |

(१२) अनुच्छेद २१ के पश्चात् निम्नलिखित को अनुच्छेद २१-ए के रूप में बड़ा दिया जाय :

| | | |
|---|---|---|
| "21-A. Application or petition under the Special Marriage Act, 1954, or the H indu Marriage Act, 1955. | .. | thirty-seven rupees and fifty naye paise" |

(१३) अनुच्छेद २२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

| | | |
|---|---|---|
| "22. Election petition questioning the election of any person. | (*a*) As a President, Chairman or Mayor of a Municipal Board, District Board, Corporation or any other local body except those mentioned in clause (*c*) ; | one hundred and fifty rupees. |
| | (*b*) as a member of a Municipal Board, District Board, Corporation or any other local body except those mentioned in clause (*d*) ; | one hundred and twenty-five rupees. |
| | (*c*) as a Pesident or Chairman of a Notified or Town Area Committee ; | fifty rupees. |
| | (*d*) as a member of a Notified or Town Area Committee. | twenty-five rupees." |

# अनुसूची

## [धारा ३ (७) देखिये]

*Table of rates of* ad valorem *fees leviable on the institution of suits*

| Where the amount or value of the subject-matter exceeds | But does not exceed | Proper fee | Where the amount or value of the subject-matter exceeds | But does not exceed | Proper fee |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Rs. | Rs. | Rs. nP. | Rs. | Rs. | Rs. nP. |
| .. | 5 | 0 50 | 410 | 420 | 53 00 |
| 5 | 10 | 1 00 | 420 | 430 | 54 50 |
| 10 | 15 | 1 50 | 430 | 440 | 56 00 |
| 15 | 20 | 2 00 | 440 | 450 | 57 50 |
| 20 | 25 | 2 50 | 450 | 460 | 59 00 |
| 25 | 30 | 3 00 | 460 | 470 | 60 50 |
| 30 | 35 | 3 50 | 470 | 480 | 62 00 |
| 35 | 40 | 4 00 | 480 | 490 | 63 50 |
| 40 | 45 | 4 50 | 490 | 500 | 65 00 |
| 45 | 50 | 5 00 | 500 | 510 | 67 25 |
| 50 | 55 | 5 50 | 510 | 520 | 69 50 |
| 55 | 60 | 6 00 | 520 | 530 | 71 75 |
| 60 | 65 | 6 50 | 530 | 540 | 74 00 |
| 65 | 70 | 7 00 | 540 | 550 | 76 25 |
| 70 | 75 | 7 50 | 550 | 560 | 78 50 |
| 75 | 80 | 8 00 | 560 | 570 | 80 75 |
| 80 | 85 | 8 50 | 570 | 580 | 83 00 |
| 85 | 90 | 9 00 | 580 | 590 | 85 25 |
| 90 | 95 | 9 50 | 590 | 600 | 87 50 |
| 95 | 100 | 10 00 | 600 | 610 | 89 75 |
| 100 | 110 | 11 25 | 610 | 620 | 92 00 |
| 110 | 120 | 12 50 | 620 | 630 | 94 25 |
| 120 | 130 | 13 75 | 630 | 640 | 96 50 |
| 130 | 140 | 15 00 | 640 | 650 | 98 75 |
| 140 | 150 | 16 25 | 650 | 660 | 101 00 |
| 150 | 160 | 17 50 | 660 | 670 | 103 25 |
| 160 | 170 | 18 75 | 670 | 680 | 105 50 |
| 170 | 180 | 20 00 | 680 | 690 | 107 75 |
| 180 | 190 | 21 25 | 690 | 700 | 110 00 |
| 190 | 200 | 22 50 | 700 | 710 | 112 25 |
| 200 | 210 | 23 75 | 710 | 720 | 114 50 |
| 210 | 220 | 25 00 | 720 | 730 | 116 75 |
| 220 | 230 | 26 25 | 730 | 740 | 119 00 |
| 230 | 240 | 27 50 | 740 | 750 | 121 25 |
| 240 | 250 | 28 75 | 750 | 760 | 123 50 |
| 250 | 260 | 30 00 | 760 | 770 | 125 75 |
| 260 | 270 | 31 25 | 770 | 780 | 128 00 |
| 270 | 280 | 32 50 | 780 | 790 | 130 25 |
| 280 | 290 | 33 75 | 790 | 800 | 132 50 |
| 290 | 300 | 35 00 | 800 | 810 | 134 75 |
| 300 | 310 | 36 50 | 810 | 820 | 137 00 |
| 310 | 320 | 38 00 | 820 | 830 | 139 25 |
| 320 | 330 | 39 50 | 830 | 840 | 141 50 |
| 330 | 340 | 41 00 | 840 | 850 | 143 75 |
| 340 | 350 | 42 50 | 850 | 860 | 146 00 |
| 350 | 360 | 44 00 | 860 | 870 | 148 25 |
| 360 | 370 | 45 50 | 870 | 880 | 150 50 |
| 370 | 380 | 47 00 | 880 | 890 | 152 75 |
| 380 | 390 | 48 50 | 890 | 900 | 155 00 |
| 390 | 400 | 50 00 | 900 | 910 | 157 25 |
| 400 | 410 | 51 50 | 910 | 920 | 159 50 |

| Where the amount or value of the subject-matter exceeds | But does not exceeds | Proper fee | | Where the amount or value of the subject-matter exceeds | But does not exceed | Proper fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | |
| Rs. | Rs. | Rs. | nP. | Rs. | Rs. | Rs. | nP. |
| 920 | 930 | 161 | 75 | 6,800 | 7,000 | 857 | 50 |
| 930 | 940 | 164 | 00 | 7,000 | 7,200 | 877 | 50 |
| 940 | 950 | 166 | 25 | 7,200 | 7,400 | 897 | 50 |
| 950 | 960 | 168 | 50 | 7,400 | 7,600 | 917 | 50 |
| 960 | 970 | 170 | 75 | 7,600 | 7,800 | 937 | 50 |
| 970 | 980 | 173 | 00 | 7,800 | 8,000 | 957 | 50 |
| 980 | 900 | 175 | 25 | 8,000 | 8,200 | 977 | 50 |
| 990 | 1,000 | 177 | 50 | 8,200 | 8,400 | 997 | 50 |
| 1,000 | 1,100 | 189 | 50 | 8,400 | 8,600 | 1,017 | 50 |
| 1,100 | 1,200 | 201 | 50 | 8,600 | 8,800 | 1,037 | 50 |
| 1,200 | 1,300 | 213 | 50 | 8,800 | 9,000 | 1,057 | 50 |
| 1,300 | 1,400 | 225 | 50 | 9,000 | 9,200 | 1,077 | 50 |
| 1,400 | 1,500 | 237 | 50 | 9,200 | 9,400 | 1,097 | 50 |
| 1,500 | 1,600 | 249 | 50 | 9,400 | 9,600 | 1,117 | 50 |
| 1,600 | 1,700 | 261 | 50 | 9,600 | 9,800 | 1,137 | 50 |
| 1,700 | 1,800 | 273 | 50 | 9,800 | 10,000 | 1,157 | 50 |
| 1,800 | 1,900 | 285 | 50 | 10,000 | 10,500 | 1,195 | 00 |
| 1,900 | 2,000 | 297 | 50 | 10,500 | 11,000 | 1,232 | 50 |
| 2,000 | 2,100 | 309 | 50 | 11,000 | 11,500 | 1,270 | 00 |
| 2,100 | 2,200 | 321 | 50 | 11,500 | 12,000 | 1,307 | 50 |
| 2,200 | 2,300 | 333 | 50 | 12,000 | 12,500 | 1,345 | 00 |
| 2,300 | 2,400 | 345 | 50 | 12,500 | 13,000 | 1,382 | 50 |
| 2,400 | 2,500 | 357 | 50 | 13,000 | 13,500 | 1,420 | 00 |
| 2,500 | 2,600 | 369 | 50 | 13,500 | 14,000 | 1,457 | 50 |
| 2,600 | 2,700 | 381 | 50 | 14,000 | 14,500 | 1,495 | 00 |
| 2,700 | 2,800 | 393 | 50 | 14,500 | 15,000 | 1,532 | 50 |
| 2,800 | 2,900 | 405 | 50 | 15,000 | 15,500 | 1,570 | 00 |
| 2,900 | 3,000 | 417 | 50 | 15,500 | 16,000 | 1,607 | 50 |
| 3,000 | 3,100 | 429 | 50 | 16,000 | 16,500 | 1,645 | 00 |
| 3,100 | 3,200 | 441 | 50 | 16,500 | 17,000 | 1,682 | 50 |
| 3,200 | 3,300 | 453 | 50 | 17,000 | 17,500 | 1,720 | 00 |
| 3,300 | 3,400 | 465 | 50 | 17,500 | 18,000 | 1,757 | 50 |
| 3,400 | 3,500 | 477 | 50 | 18,000 | 18,500 | 1,795 | 00 |
| 3,500 | 3,600 | 489 | 50 | 18,500 | 19,000 | 1,832 | 50 |
| 3,600 | 3,700 | 501 | 50 | 19,000 | 19,500 | 1,870 | 00 |
| 3,700 | 3,800 | 513 | 50 | 19,500 | 20,000 | 1,907 | 50 |
| 3,800 | 3,900 | 525 | 50 | 20,000 | 20,500 | 1,945 | 00 |
| 3,900 | 4,000 | 537 | 50 | 20,500 | 21,000 | 1,982 | 50 |
| 4,000 | 4,100 | 549 | 50 | 21,000 | 21,500 | 2,020 | 00 |
| 4,100 | 4,200 | 561 | 50 | 21,500 | 22,000 | 2,057 | 50 |
| 4,200 | 4,300 | 573 | 50 | 22,000 | 22,500 | 2,095 | 00 |
| 4,300 | 4,400 | 585 | 50 | 22,500 | 23,000 | 2,132 | 50 |
| 4,400 | 4,500 | 597 | 50 | 23,000 | 23,500 | 2,170 | 00 |
| 4,500 | 4,600 | 609 | 50 | 23,500 | 24,000 | 2,207 | 50 |
| 4,600 | 4,700 | 621 | 50 | 24,000 | 24,500 | 2,245 | 00 |
| 4,700 | 4,800 | 633 | 50 | 24,500 | 25,000 | 2,282 | 50 |
| 4,800 | 4,900 | 645 | 50 | 25,000 | 25,500 | 2,320 | 00 |
| 4,900 | 5,000 | 657 | 50 | 25,500 | 26,000 | 2,357 | 50 |
| 5,000 | 5,200 | 677 | 50 | 26,000 | 26,500 | 2,395 | 00 |
| 5,200 | 5,400 | 697 | 50 | 26,500 | 27,000 | 2,432 | 50 |
| 5,400 | 5,600 | 717 | 50 | 27,000 | 27,500 | 2,470 | 00 |
| 5,600 | 5,800 | 737 | 50 | 27,500 | 28,000 | 2,507 | 50 |
| 5,800 | 6,000 | 757 | 50 | 28,000 | 28,500 | 2,545 | 00 |
| 6,000 | 6,200 | 777 | 50 | 28,500 | 29,000 | 2,582 | 50 |
| 6,200 | 6,400 | 797 | 50 | 29,000 | 29,500 | 2,620 | 00 |
| 6,400 | 6,600 | 817 | 50 | 29,500 | 30,000 | 2,657 | 50 |
| 6,600 | 6,800 | 837 | 50 | | | | |

and the fee increases at the rate of thirty-seven rupees and fifty naye paise for every five hundred rupees or part thereof, for example :

| *Value* | *Proper fee* |
|---|---|
| Rs. | Rs. nP. |
| 40,000 .. .. | 3,407 50 |
| 50,000 .. .. | 4,157 50 |
| 60,000 .. .. | 4,907 50 |
| 75,000 .. .. | 6,032 50 |
| 1,00,000 .. .. | 7,907 50 |
| 2,00,000 .. .. | 15,407 50 |
| 3,00,000 .. .. | 22,907 50 |
| 4,00,000 .. .. | 30,407 50 |
| 5,00,000 .. .. | 37,907 50 |

## उद्देश्य तथा कारण

इस राज्य में न्यायालय-शुल्क (कोर्ट फीस) की दरें अन्तिम बार १९४३ में पुनरीक्षित की गई थीं। १९५२ के संशोधन अधिनियम का मुख्य प्रयोजन दरों का, जो पूर-पूरे रुपयों में नहीं दी गई थीं, सुगमांकों में परिवर्तित करना था ताकि छपाई तथा गणना में सुविधा हो जाये। इस प्रकार न्यायालय-शुल्क की दरें पिछले पन्द्रह वर्षों में बढ़ाई नहीं गई हैं। इस अवधि में और विशेषकर स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् न्यायपालिका पर व्यय बहुत बढ़ गया है। उच्च न्यायालय के विस्तार तथा विभिन्न नये न्यायालय, विशेषतः राज्य के शेष जिलों में से अधिकांश में जिला जजों के न्यायालय खुलने से अधिष्ठानों तथा भवनों पर व्यय और भी बढ़ गया है। इस बढ़ते हुये व्यय को पूरा करने के लिये न्यायालय-शुल्क को वर्तमान दरों को समुचित रूप में पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया है।

अधिनियम के यत्र-तत्र वर्तमान भाषा सम्बन्धी दोषों को सुधारने और नये प्रकार के आवेदन-पत्रों तथा वादों को, जिनकी इस अधिनियम में अब तक व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था करने के लिये भी इस अवसर का उपयोग किया गया है।

सैयद अली जहीर,
वित्त मंत्री।

## नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८३८ पर।)

## उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५८

ऐक्ट संख्या २, १८९९। 'डियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का

### विधेयक

एक्ट संख्या २, १८९९। यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में वृत्ति के सम्बन्ध में यथा शोधित 'डियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ में और संशोधन किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टैम्प (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित करे।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ४ का संशोधन। २—उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ (जिसे आगे चलकर "मल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ४ की उपधारा (१) में शब्द "two rupees and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "three rupees" रख दिये जायं।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ६-ए का संशोधन। ३—मल अधिनियम की धारा ६-ए की उपधारा (१) में जहां कहीं भी शब्द तथा अंक "the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1952" आये हों उनके स्थान पर शब्द "this Act as amended in its application to Uttar Pradesh" रख दिये जायं।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा २४ का संशोधन। ४—मल अधिनियम की धारा २४ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक "I" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "I-B" रख दिये जायं।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा २९ का संशोधन। ५—मूल अधिनियम की धारा २९ के खंड (ए) में शब्द तथा अक्षर "Schedule I" के स्थान पर शब्द तथा अक्षर "Schedules I, I-A or I-B, as the case may be" रख दिये जायं।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की धारा ४८-ए का संशोधन। ६—मूल अधिनियम की धारा ४८-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"48-A. Notwithstanding anything contained in this Act, no certificate or endorsement under this Act in respect of an instrument chargeable in Uttar Pradesh with a higher rate of duty in accordance with this Act as amended in its application to Uttar Pradesh shall be received in evidence or be in any way valid in respect of the payment of duty on such instrument unless the duty chargeable at the rates provided in this Act as amended in its application to Uttar Pradesh has been paid on such instrument."

७—मूल अधिनियम की अनुसूची १-बी में—

(१) अनुच्छेद (article) २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की अनुसूची १-बी का संशोधन ।

| | | |
|---|---|---|
| "2. ADMINISTRATION BOND, including a bond given under sections 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925, or section 6 of the Government Savings Banks Act, 1873. | Subject to a maximum of one hundred rupees, the same duty as on a Bond (no. 15)." | |

(२) अनुच्छेद १० में शब्द "one hundred rupees" के स्थान पर शब्द "one hundred and twenty-five rupees" रख दिये जांय ;

(३) अनुच्छेद १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

| | |
|---|---|
| "15. BOND [as defined by section 2(5)] not being a DEBENTURE (no. 27) and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court Fees Act, 1870— | |
| where the amount or value secured does not exceed Rs.10 ; | twenty-five naye paise. |
| where it exceeds Rs.10 but does not exceed Rs.50 | fifty naye paise. |
| where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100 ; | one rupee and fifty naye paise. |
| where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200 ; | three rupees. |
| where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300 ; | four rupees and fifty naye paise. |
| where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400 ; | six rupees. |
| where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500 ; | seven rupees and fifty naye paise. |
| where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600 ; | nine rupees. |
| where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700 ; | ten rupees and fifty naye paise. |
| where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800 ; | twelve rupees. |
| where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900 ; | thirteen rupees and fifty naye paise. |
| where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000 ; | fifteen rupees. |
| and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000. | seven rupees and fifty naye paise. |

*See* ADMINISTRATION BOND (no. 2), BOTTOMRY BOND (no. 16), CUSTOMS BOND (no. 26), INDEMNITY BOND (no. 34), RESPONDENTIA BOND (no. 56), SECURITY BOND (no. 57).

*Exemptions*

Bond, when executed by—

(*a*) headmen, nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, section 99, for the due performance of their duties under that Act ;

(*b*) any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem."

(४) अनुच्छेद २३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

| | | |
|---|---|---|
| "23. CONVEYANCE [as defined by section 2(10)] not being a TRANSFER charged or exempted under no. 62— | | |
| where the amount or value of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs.50 ; | | one rupee. |
| where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100 ; | | three rupees. |
| where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200 ; | | six rupees. |
| where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300 ; | | nine rupees. |
| where it exceeds Rs.300 but does not exceed Rs.400 ; | | twelve rupees. |
| where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500 ; | | fifteen rupees. |
| where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600 ; | | eighteen rupees. |
| where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700 ; | | twenty-one rupees. |
| where it exceeds Rs.700 but does not exceed Rs.800 ; | | twenty-four rupees. |
| where it exceeds Rs.800 but does not exceed Rs.900 ; | | twenty-seven rupees. |
| where it exceeds Rs.900 but does not exceed Rs.1,000 ; | | thirty rupees. |
| and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000. | | fifteen rupees. |
| *Exemption* | | |
| Assignment of copyright in musical works by resident of, or first published in, India." | | |

(५) अनुच्छेद २४ में जहां कहीं भी शब्द "one rupee", "one rupee and fifty naye paise" तथा "two rupees and fifty naye paise" आये हों उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise", "two rupees" तथा "three rupees" रख दिये जायं ;

(६) अनुच्छेद २५-ए में शब्द "two rupees and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "three rupees" रख दिय जायं ;

(७) अनुच्छेद २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

| | |
|---|---|
| "26. CUSTOMS BOND | Subject to a maximum of one hundred rupees, the same duty as on a Bond (no. 15)." |

(८) अनुच्छेद ३९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

| | | |
|---|---|---|
| "39. MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY— | | |
| (*a*) if accompanied by Ariticles of Association under section 26 of the Companies Act, 1956 ; | | seventy-five rupees. |
| (*b*) if not so accompanied | .. | 'seventy-five rupees' and above. |
| *Exemption* | | |
| Memorandum of any Association not formed for profit and registered under section 25 of the Companies Act, 1956." | | |

(९) अनुच्छेद ४० में जहां कहीं भी शब्द "one rupee and twenty-five naye paise" आये हों उनक स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जायं ;

(१०) अनुच्छेद ४३ में शब्द "twenty-three rupees and fifty naye paise" तथा "twenty-five naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "thirty rupees" तथा "fifty naye paise" रख दिये जायं;

(११) अनुच्छेद ४६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"46. PARTNERSHIP—

| | | |
|---|---|---|
| A—Instrument of— | | |
| (*a*) where the capital of the partnership does not exceed Rs.5,000 ; | | The same duty as on a Bond (no. 15). |
| (*b*) in any other case | .. .. | one hundred rupees. |
| B—Dissolution of | .. .. | fifteen rupees." |

(१२) अनुच्छेद ५४ में शब्द "twenty-four rupees" के स्थान पर शब्द "thirty rupees" रख दिये जायं ;

(१३) अनुच्छेद ५५ में शब्द तथा अंक "Rs.1,000" तथा "fifteen rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द तथा अंक "Rs.3,000" तथा "fifty rupees" रख दिये जायं;

(१४) अनुच्छेद ५७ में शब्द "twelve rupees" के स्थान पर शब्द "eighteen rupees" रख दिये जायं ;

(१५) अनुच्छेद ६१ में जहां कहीं भी शब्द "twelve rupees" आये हों उनके स्थान पर शब्द "fifteen rupees" रख दिये जायं;

(१६) अनुच्छेद ६२ में—

(१) खंड (सी) में जहां कहीं भी शब्द "twelve rupees" आये हों उनके स्थान पर शब्द "fifteen rupees" रख दिये जायं;

(२) खंड (डी) में शब्द "twenty-four rupees" के स्थान पर शब्द "thirty rupees" रख दिये जायं; और

(३) खंड (ई) में शब्द "twelve rupees" के स्थान पर शब्द "fifteen rupees" रख दि जायं ; और

(१७) अनुच्छेद ६४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"64. TRUST—

| | | |
|---|---|---|
| A—DECLARATION OF—of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will— | | |
| (*a*) where the amount or value does not exceed Rs.10,000 | | The same duty as on a Bond (no. 15). |
| (*b*) where such amount exceeds Rs.10,000 ; | | on ten thousand rupees, the duty payable under clause (*a*), and on the remainder, two rupees for every additional one thousand rupees or part thereof. |

| | |
|---|---|
| B—REVOCATION OF—of, or concerning, any property when made by any instrument other than a Will. | The same duty as on a Bond (no. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding thirty rupees." |

## उद्देश्य तथा कारण

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के निमित्त राजस्व में और वृद्धि कर के उद्देश्य से राज्य में प्रचलित स्टैम्प शुल्क (stamp duty) की वर्तमान दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

सैयद अली जहीर
वित्त मंत्री।

---

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२७७ एल० ए०—१९५८—८४०।